



मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

Tel. 0294-2470166, 2470707, Fax : 0294-2471150
E-mail : registrar@mlsu.ac.in Website : www.mlsu.ac.in

H. E. Margaret Alva

Chancellor

Prof. I.V. Trivedi

Vice Chancellor

Dean, Post-Graduate Studies

Dean, Student Welfare

Dr. D.S. Chundawat

Dean, University College of Science &
Chairman, Faculty of Science

Prof. K. Venugopalan

Dean, University College of Commerce &
Management Studies &
Chairman, Faculty of Commerce

Prof. Vijay Shrimali

Dean, University College of Social Sciences &
Humanities

Prof. Sharad Shrivastava

Dean, University College of Law &
Chairman Faculty of Law

Dr. Anand Paliwal

Chairman, Faculty of Management Studies

Prof. Karunesh Saxena

Chairman, Faculty of Education

Prof. Kailash Sodani

Chairman, Faculty of Social Science

Prof. Farida Shah

Chairman, Faculty of Humanities

Prof. Meena Gaur

Chairman, Faculty of Earth Science

Prof. Vinod Agarwal

Officer Incharge of Co-Curricular Activities

Chief Warden, Hostels

Prof. D.S. Chundawat

Chief Proctor

Prof. M.S. Shekhawat

Chairman, University Sports Board

Prof. D.S. Chundawat

Officer Incharge, Central Library

Prof. S.N.A. Jaffery

Co-ordinator, N.S.S.

Prof. C.R. Suthar

Director, College Development Council

Prof. P.R. Vyas

Director, Skill Development Centre

Prof. Vinod Agarwal

Director, Population Research Centre

Dr. Monika Nagori

Director, U.G.C. Centre for Women's Studies

Prof.

Director, Computer Center

Prof. K. Venugopalan

Convener University Central Anti Ragging Committee

Prof. D.S. Chundawat



Director, University Employment & Advisory Bureau	Prof. M.S. Hada
Co-ordinator, SC/ST Cell	Prof. P.M. Yadav
Co-ordinator, Internet Centre	Prof. K. Venugopalan
Co-ordinator, Centre for Human Rights Studies	Dr. Girdhari Singh Kumpawat
Convener, Committee for Action against Women Harassment	Prof. Meena Gour
Director, Centre for Nehru Studies	Prof. Sanjay Lodha
Co-ordinator, Competitive Exam, Coaching Centre	Prof. Pradeep Trikha
International Students Advisor	Prof. B.L. Ahuja
Convener, University Media Cell	Dr. Kunjan Acharya
Co-ordinator, Entrepreneurship Development Cell	Prof. Vinod Agarwal
Project Officer, Centre for Adult Education & Extension	Dr. Vijay Pareek
Co-ordinator, Centre for Soft Skills	Prof. Seema Malik
Convener, University Research & Development Cell	Prof. A.K. Goswami
Convener, Equal Opportunity Cell	Prof. Nafisa Hatimi
Director, Centre of Initiative for Innovation & Development Action	Prof. Sanjay Lodha
Co-ordinator, Internal Quality Assurance Cell	Prof. K. Venugopalan
Convener, Intellectual Property Rights Cell	Dr. M.S. Shekhawat
Convener, Minority Cell	D.M. Farooq
Convener Disability Cell	
Deputy Librarian	Dr. Ramkesh Meena
Incharge University Sports Board	Dr. D.S. Chauhan

Administrative Officers

Registrar	Dr. R.P.Sharma
Comptroller	Dr. Kumudini Chanvaria
Controller of Exams.	Dr. R.C. Kumawat
Dy. Registrar (Exam.)	Shri Harkesh Meena
Asstt. Registrar	Shri Mukesh Barber
Sr. Accounts Officer	Dr. G.L. Vasita
University Engineer	Shri A.S. Khan

Associate Officers (N.C.C.)

Army Wing	Lt. G.S. Rathore (University College of Science) Company Commander, No. 10 Bn. N.C.C., Udaipur
Naval Wing	Sh. Ajit Kumar Bhabhor
Air Wing	Dr. Devendra Singh Rathore (Care Taker) (University College of Science)



विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर
University College of Science, Udaipur

Phone: 0294-2413955 Fax: 0294-413955
email: ucs@mlsu.ac.in website: mlsu.ac.in

अधिष्ठाता
सह अधिष्ठाता
सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
प्रॉक्टर
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. के. वेणुगोपालन
प्रो. बी. एल. आहुजा
डॉ. जी. एस. राठौड़
डॉ. सुधीश कुमार
1. डॉ. अनूप सिंह मीणा
2. डॉ. अनुया वर्मा

Faculty of Science विज्ञान संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. के. वेणुगोपालन

● **वनस्पति विज्ञान विभाग (Department of Botany)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य

डॉ. एस. डी. पुरोहित
डॉ. कनिका शर्मा
डॉ. संध्या त्यागी
डॉ. रोहिणी त्रिवेदी
डॉ. जया अरोड़ा
डॉ. विनीत सोनी
डॉ. हरीश

● **रसायन शास्त्र विभाग (Department of Chemistry)**

आचार्य
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
सह आचार्य
सह आचार्य
सहायक आचार्य

डॉ. ए.के. गोस्वामी
डॉ. पिकी बाला पंजाबी
डॉ. रेखा दशोरा
डॉ. अनिता मेहता
श्रीमती शिखा अग्रवाल



सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य

डॉ. पूनम खण्डेलवाल
डॉ. चेतना आमेटा
डॉ. दिनेश पाण्डे
डॉ. दिनेश कुमार यादव
श्री नितिन कुमार
डॉ. अनूप सिंह मीणा
डॉ. प्रभात कुमार बारोलिया
श्री परमेश्वर लाल मीणा

● **गणित एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Mathematics and Statistics)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
सह आचार्य
सह आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य

डॉ. वी.एल. मण्डोवरा
डॉ. जी.एस. राठौड़
डॉ. अतुल त्यागी
डॉ. राकेश्वर पुरोहित
डॉ. सुशील कुमार गांधी
डॉ. अपराजिता कृष्णा
डॉ. अजित कुमार भाभोर

● **फार्मसी विभाग (Department of Pharmacy)**

आचार्य
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
सह आचार्य
सहायक आचार्य
सहायक आचार्य

डॉ. पी.के. चौधरी
डॉ. सी.पी. जैन
डॉ. ललित सिंह चौहान
श्रीमती जूही प्रधान
श्रीमती सुनीता पांचावत

● **भौतिक विज्ञान विभाग (Department of Physics)**

आचार्य
आचार्य
आचार्य
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. के. वेनुगोपालन
डॉ. राजेश पाण्डेय
डॉ. बी. एल. आहुजा
डॉ. एन. लक्ष्मी



आचार्य

डॉ. एम. राय

आचार्य

डॉ. बी. एम. व्यास

सह आचार्य

डॉ. के. बी. जोशी

सह आचार्य

डॉ. सुधीश कुमार

सह आचार्य

डॉ. एम. एस. ढाका

• **प्राणी विज्ञान विभाग (Department of Zoology)**

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. महीप भटनागर

सह आचार्य

डॉ. आरती प्रसाद

सहायक आचार्य

डॉ. छाया भटनागर

सहायक आचार्य

डॉ. रागिनी शर्मा

सहायक आचार्य

डॉ. प्रीति सिंह

सहायक आचार्य

डॉ. विजय कुमार कोली

सहायक आचार्य

श्री दीपक रावल

सहायक आचार्य

श्री आशाराम मीणा



पाठ्यक्रम (Courses)

- **जैव तकनीकी (Bio-Technology)**
पाठ्यक्रम निदेशक, (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)
सहायक आचार्य
प्रो. कनिका शर्मा
डॉ. हर्षदा जोशी
- **सूक्ष्म जैविकी (Microbiology)**
पाठ्यक्रम निदेशक
प्रो. महीप भटनागर
- **पोलीमर विज्ञान (Polymer Science)**
सहायक आचार्य एवं प्रभारी
डॉ. ज्योति चौधरी
- **आपदा प्रबन्धन (Disaster Management)**
पाठ्यक्रम निदेशक
प्रो. एन. के. चौहान
- **पर्यावरण प्रबन्धन एवं खनन उद्योग (Environment Management & Mining Industries)**
पाठ्यक्रम निदेशक
प्रो. विनोद अग्रवाल
- **जियोइन्फॉरमेटिक्स एवं रिमोट सेन्सिंग (Geoinformatics and remote sensing)**
पाठ्यक्रम निदेशक
प्रो. हर्ष भू
- **सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)**
पाठ्यक्रम निदेशक
प्रो. के. वेणुगोपालन
- **औद्योगिक रसायन शास्त्र (Industrial Chemistry)**
पाठ्यक्रम निदेशक (स्नातकोत्तर स्वपोषित पाठ्यक्रम)
प्रो. ए.के. गोस्वामी

केन्द्र (Centre)

- **विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र (University Computer Centre)**
निदेशक
सह आचार्य
सिस्टम मैनेजर
प्रोग्रामर
प्रो. के. वेणुगोपालन
डॉ. एम. के. जैन
श्री संजीव अग्रवाल
डॉ. एन. के. पारीख
- **विश्वविद्यालय वर्कशॉप (University Workshop)**
प्रभारी अधिकारी
श्री हेमन्त भण्डारी

**• अर्न्त विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी सन्दर्भ केन्द्र**

समन्वयक

डॉ. जी. एस. राठौड़

• आई.क्यू.ए.सी. सेल (IQAC Cell)

अध्यक्ष

प्रो. के वेणुगोपालन

• प्लेसमेन्ट सेल (Placement Cell)

अध्यक्ष

प्रो. कनिका शर्मा

• रैगिंग विरोधी एवं अनुशासन समिति (Anti Raging & Discipline Committee)

अध्यक्ष

प्रो. बी. एल. आहुजा

पाठ्यक्रम एवं योग्यता (Courses and Eligibility)

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता, अध्ययन की अवधि एवं कक्षा की प्रवेश क्षमता आदि निम्नानुसार होगी –

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक %*	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	
				सामान्य	पेमेन्ट**
• विज्ञान स्नातक (बी.एससी.)					
1. विज्ञान स्नातक	10+2/विज्ञान	50%	तीन वर्ष	400	20 (कम्प्यूटर साइंस) 20 (बायो ग्रुप)
2. भैषजिक विज्ञान	10+2/विज्ञान (प्री.फार्मसी टेस्ट)	पी.पी.टी. द्वारा निर्धारित	चार वर्ष	40	–
3. विज्ञान स्नातक (भू-विज्ञान अतिरिक्त)	विज्ञान स्नातक	50%	एक वर्ष	20	–
• विज्ञान निष्णात (एम.एससी.) सेमेस्टर प्रणाली					
1. वनस्पति विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	4 सेमेस्टर	25	10
2. रसायन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% (ऐच्छिक विषय)	“	30	10



3. भौतिक विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50%	“	25	10
		(ऐच्छिक विषय)			
4. प्राणी विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50%	“	25	10
		(ऐच्छिक विषय)			
5. भू-विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50%	“	15	10
		(ऐच्छिक विषय)			
6. कला/विज्ञान गणित	कला/विज्ञान स्नातक	50%	“	50	10
		(ऐच्छिक विषय)			
7. कला/विज्ञान सांख्यिकी	कला/विज्ञान स्नातक	50%	“	25	5
		(ऐच्छिक विषय)			
8. प्रौद्योगिकी-व्यावहारिक भू-विज्ञान	भू-विज्ञान स्नातकोत्तर	50%	“	10	5
		(भू-विज्ञान)			
9. पर्यावरण विज्ञान	विज्ञान स्नातक (कृषि विज्ञान को छोड़कर)	50%	“	10	10
		(ऐच्छिक विषय)			
10. जैव तकनीकी	विज्ञान स्नातक*	50%	“	08	12
11. पोलिमर विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50%	“	10	10
12. कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम. सी. ए.)	स्नातक राज्य स्तरीय परीक्षा द्वारा निर्धारित	50%	6 सेमेस्टर	30	30

* किन्हीं दो विषयों में – 1. रसायन विज्ञान, 2. प्राणी विज्ञान, 3. वनस्पति विज्ञान, 4. पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण जैविकी, 5. सूक्ष्म जीव विज्ञान, 6. जैव विज्ञान, 7. जैव तकनीक या जैव तकनीकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान आनुवांशिकी/ जैव रसायन के स्नातक

** पेमेन्ट सीट के लिए अतिरिक्त शुल्क 15000/- देय होगा। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता/पाठ्यक्रम समन्वयक से सम्पर्क करें।



Core Courses (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	* Minimum Required Marks %	Duration	Total Seats	
					Gen.	Payment**
● Bachelor of Science (B.Sc.)						
1.	B.Sc.	10+2 (Science)	50%	3 Years	400	20 (Comp. Sc.) 20 (Bio.Group)
2.	B.Pharma	10+2 (Science)	As specified by P.P.T.	4 Years	40	-
3.	B.Sc. (Additional Geology)	B.Sc.	50%	1 Year	20	-
● Master of Science (M.Sc.) Semester System						
1.	Botany	B.Sc.	50%	4 Sem.	25	10
2.	Chemistry	B.Sc.	50%	4 Sem.	30	10
3.	Environmental Science	B.Sc.	50%	4 Sem.	10	10
4.	Geology	B.Sc.	50%	4 Sem.	15	10
5.	Mathematics (Arts/Sc.)	B.Sc. (Arts/Sc.)	50%	4 Sem.	50	10
6.	Physics	B.Sc.	50%	4 Sem.	25	10
7.	Statistics (Arts/Sc.)	B.Sc. (Arts/Sc.)	50%	4 Sem.	25	05
8.	Zoology	B.Sc.	50%	4 Sem.	25	10
9.	M.Sc. Tech (Applied Geology)	M.Sc. (Geology)	50%	2 Sem.	10	05
10.	Biotechnology	B.Sc.*	50%	4 Sem.	08	12
11.	Polymer Sci.	B.Sc. (Geology)	50%	4 Sem.	10	10
12.	Computer Application (MCA)	Graduate	50%	6 Sem.	30	30
As Specified by state level entrance test.						

* In any two subjects - Chemistry, Botany, Zoology, Environment Science/Environmental Technology, Microbiology, Genetics, Biotechnology/Microbial Genetics/Biochemistry Graduate

** Additional fee (other than college fee) will be charged for payment seats. For details contact respective departmental Head/Dean / Course Coordinator.



स्ववित्त पोषित मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक%*	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
• स्नातक पाठ्यक्रम					
1. विज्ञान स्नातक (जैव तकनीकी)	पूर्व स्नातक विज्ञान (बायो ग्रुप)	50%	तीन वर्ष	60	रु. 25000/प्रतिवर्ष + स्थानीय शुल्क
2. बी.सी.ए. (सेमेस्टर प्रणाली)	10+2 इन्टर विज्ञान	50%	6 सेमेस्टर	60	रु. 22000/प्र.वर्ष + स्थानीय शुल्क
3. बी.सी.ए. (वार्षिक)	10+2	50%	3 वर्ष	60	रु. 20000/प्र.वर्ष + स्थानीय शुल्क
• स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम					
1. सूचना प्रौद्योगिकी	गणित विषय सहित विज्ञान स्नातक/बी.सी.ए.	50%	4 सेमेस्टर	20	20000/सेमेस्टर+ स्थानीय शुल्क
2. कम्प्यूटर विज्ञान	कम्प्यूटर विज्ञान विषय सहित विज्ञान स्नातक	50%	4 सेमेस्टर	20	18000/सेमेस्टर
3. औद्योगिक रसायन शास्त्र	विज्ञान स्नातक (रसायन शास्त्र सहित) एवं बी.फार्मा स्नातक	50%	“ ”	20	रु. 20000/- प्रति सेमेस्टर + महाविद्यालय शुल्क प्रतिवर्ष
4. भू सूचनातंत्र एवं सुदूर संवेदन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	50% ऐच्छिक	“ ”	20	रु. 15000/- (स्व वि. पो.) प्रति सेमेस्टर 5 रु. 20000/- (प्रायोजक) प्रति सेमेस्टर
5. सूक्ष्म जीव विज्ञान	विज्ञान स्नातक (प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैव तकनीक, सूक्ष्म जीव विज्ञान)	50% ऐच्छिक	“ ”	20	25000/- प्रति सेमेस्टर + स्थानीय शुल्क
• स्नाकोत्तर डिप्लोमा					
1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक	50%	2 सेमेस्टर	30	रु.18000/- प्रति सेमेस्टर



2. बीजनेस कम्प्यूटींग	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक	50%	2 सेमेस्टर	30	रु. 18000/- प्रति सेमेस्टर
3. खनन एवं उद्योग में पर्यावरण प्रबन्धन	स्नातक	50%	1 वर्ष (अंशकालीन)		रु. 9000/- रु. 10000/- प्रायोजक छात्रों के लिए
4. आपदा प्रबन्धन	विज्ञान स्नातक	50%	1 वर्ष (अंशकालीन)		रु. 9000/-प्रतिवर्ष
5. इलेक्ट्रॉनिकी यंत्रीकरण					

टिप्पणी :

- (i) 10+2 कृषि संकाय (विषयों) से उत्तीर्ण छात्रों को प्रथम वर्ष विज्ञान में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
 - (ii) स्नातकोत्तर (पूर्वाह्व) विज्ञान संकाय में स्वीकृत स्थान से तीन गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रवेश, पवेश परीक्षा द्वारा नियमानुसार दिया जायेगा।
 - (iii) 10+2 एग्रीकल्चर/होर्टीकल्चर/बायोटेक्नोलॉजी के साथ रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन किया विद्यार्थी बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश के पात्र होंगे।
 - (iv) विज्ञान निष्णात भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान में सेमेस्टर प्रणाली संघटक महाविद्यालय में लागू की गई है।
- * अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम में प्रवेश।
- ** कॉलम संख्या (6) में दी गई प्रवेश क्षमता की संख्या स्ववित्तपोषित सीट है।



Self Finance Courses (Full Time)

S. No	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration		Total Seats	
						Gen.	Self Finance
● Bachelor of Science							
1.	Biotechnology	Graduate (Sc.) (Bio group)	50%	3 Years	60	Rs. 25000/- P.A. + L.F.	
2.	B.C.A. (Semester Scheme)	10+2	50%	6 Sem.	60	Rs. 22000/- Per Year + L.F.	
3.	B.C.A. (Annual)	10+2	50%	3 Years	60	Rs. 20000/- Per Year + L.F.	
● Master of Science (Semester Scheme)							
1.	Information Technology	B.Sc. with Maths/BCA	50%	4 Sem.	20	Rs.20000/- Per Sem. + L.F.	
2.	Computer Science	B.Sc. with Computer Science	50%	4 Sem.	20	Rs. 18000/- Per Semester	
3.	Industrial Chemistry	B.Sc. in Chemistry	50%	4 Sem.	20	Rs.20000/Per Sem. +College Fee (p.a)	
4.	Geo-Informatics & Remote Sensing	B.Sc.	50% (Optional)	4 Sem.	20	Rs. 15000/- (S.F.) Per Sem.	
					5	Rs. 20000/- (Spon.) Per Sem.	
5.	Microbiology	B.Sc. (Zoology, Botany, Biology, Life Sc., Bio-Tech., Microbiology)	50%	4 Sem.	20	25000/- Per Sem. + Local Fund	
● Post Graduate Diploma							
1.	Computer Application	Graduate with Computer Science		2 Sem.	30	18000/- per Sem.	
2.	Business Computing	Graduate with Computer Science		2 Sem.	30	-do-	



3. Environmental Mgt. in Mining and Industries	Graduate	50%	1 Year (Part Time)	Rs.9,000 Rs.10,000 for Sponsored Candidate
4. Disaster Management	B.Sc.	50%	1 Year (Part Time)	Rs. 9,000 p.a.
5. P.G. Diploma in Electronic Instrumentation				

ADD - ON COURSES

Students admitted to various UG and PG courses of the University can offer one add-on Diploma/ Certificate courses in a session to acquire additional professional competency in specified areas of their interest. Course content of Add-on Diploma will be approximately equivalent to that of One Paper in UG/PG (80 hrs - 120 hrs). Depending upon the basic qualifications and courses to which they have been admitted, students can choose from following courses.

Add on Courses

Course	* Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee
OFFERED BY : INFORMATION TECHNOLOGY & COMPUTER APPLICATIONS				
DIPLOMA COURSES (Part Time)				
• Visual Basic Net	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Microsoft. Net Framework	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Web Data Base Development	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Web Site Design	10+2	1 Year	30	Rs.2500/-
• Data Mining	Graduate in Science	1 Year	30	Rs.3000/-
• Computational Methods in Bioinformatics	Regular Students of Life Sciences, Biotechnology	1 Year	30	Rs.2500/-
• Modern Education Technologies	Graduate with B.Ed. or Post Graduate with 50%	1 Year	30	Rs.2500/-
• Network Design and Installation	Graduate in Science with 50% or Students of UG or PG Courses in Computer / Engineering	1 Year	30	Rs.3500/-



• Linux Operating Computer Network Administration and Management	Graduate in Science with 50% or Students of UG or PG Courses in Computer/Engineering	1 Year	30	Rs.3500/-
---	---	--------	----	-----------

CERTIFICATE COURSES (OPEN TO ALL) (PART TIME)

Office Automation & E-Governance	10+2	1 Year	30	Rs.3000/-
ICT & Research Methodologies (for Ph.D. Students)	Post Graduate with 55%	1 Year	30	Rs.3000/-

OFFERED BY : DEPARTMENT OF PHYSICS

- Diploma in Nanotechnology 1 Year Rs.2500/-
- Diploma in Biophysical Instrumentation
& Measurement Techniques 1 Year Rs.2500/-
- Diploma in Astronomy 1 Year Rs. 2500/-

Add-On Diploma Courses will be offered only if number of students admitted is at least 50% of the seats. Regular students from constituent colleges will be given a fee concession of Rs.500/-. Candidates who are interested to Add-On Course may contact office of the University Computer Centre, Vigyan Bhawan / www.mlsu.ac.in for admission forms & details.

OFFERED BY DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Advance Diploma in Clinical Laboratory Techniques (ADCLT) is offered as an Add-on Course for regular students admitted to 1 Year B.Sc. Course of M.L. Sukhadia University. Candidate who have passed 10+2 Examination with Physics, Chemistry and Biology from Board of Rajasthan/ CBSE or equivalent. Total Number of seats will be 20. Admission will be made purely on the basis of merit. Reservations for SC/ST and OBC will be made as per University Rules.

* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

OFFERED BY DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY CREDIT BASED ADD ON COURSE

Add on course in Biotechnology is offered to students who have passed 10+2 examination with Physics, Chemistry and Biology from Board of Rajasthan / CBSE or Equivalent.

नोट : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जायेगा।



विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

विद्यावाचस्पति की उपाधि के लिए शोध-कार्य हेतु विद्यार्थियों को निम्न विभागों में सुविधाएँ उपलब्ध हैं-

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. वनस्पति विज्ञान | 2. रसायन विज्ञान | 3. गणित |
| 4. सांख्यिकी | 5. भौतिक विज्ञान | 6. प्राणी विज्ञान |
| 7. भू-विज्ञान | 8. फार्मसी | 9. पर्यावरण विज्ञान |
| 10. जैव तकनीकी | 11. पोलिमेर साइंस | 12. सूक्ष्म जीव विज्ञान |
| 13. कम्प्यूटर विज्ञान | | |

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Research facilities for Ph.D. Degree is available in following departments.

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Botany | 2. Chemistry | 3. Mathematics |
| 4. Statistics | 5. Physics | 6. Zoology |
| 7. Geology | 8. Pharmacy | 9. Environmental Sciences |
| 10. Biotechnology | 11. Polymer Science | 12. Microbiology |
| 13. Computer Science | | |

Note : Admission to Ph.D. programme will be on the basis of university entrance test followed by personal interview conducted by respective departments. All candidates admitted to Ph.D. programme will be required to complete One Semester course work. Details are available on University website/Dean P.G. Office.



पृथ्वी-विज्ञान संकाय (Faculty of Earth Sciences)

संकायाध्यक्ष

प्रो. विनोद अग्रवाल

संकाय सदस्य

• भू-विज्ञान विभाग (Department of Geology)

आचार्य

डॉ. विनोद अग्रवाल

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. एन.के. चौहान

आचार्य

डॉ. टी.के. पण्ड्या

आचार्य

डॉ. हर्ष भू

आचार्य

डॉ. एम.एस. शेखावत

आचार्य

डॉ. एम.एल. नागौरी

सह आचार्य

डॉ. डी. के. नागौरी

• पर्यावरण विज्ञान विभाग (Department of Environmental Sciences)

आचार्य

डॉ. बी.आर. बामनिया

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. निधि राय

सहायक आचार्य

डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़

सहायक आचार्य

डॉ. अनुया वर्मा

• भूगोल विभाग (Department of Geography)

आचार्य

डॉ. एल.सी. खत्री

आचार्य

डॉ. साधना कोठारी

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. इशाक मोहम्मद कायमखानी

आचार्य

डॉ. पी. आर. व्यास

सह आचार्य

डॉ. सीमा जालान



विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय
University College of Commerce & Management Studies

Tel.: 0294-2411408, 2423020
E-mail : uccms@mlsu.ac.in

Fax : 0294-2411408, 2423020
Website : www.mlsu.ac.in

अधिष्ठाता
सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
प्रॉक्टर
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. विजय श्रीमाली
डॉ. बी. एल. वर्मा
डॉ. ओ. पी. जैन
डॉ. शिल्पा वर्डिया

Faculty of Commerec वाणिज्य संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. विजय श्रीमाली

लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Accountancy and Statistics)

आचार्य डॉ. जी. सोरल
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सी.एम. जैन
सह आचार्य डॉ. शूरवीर सिंह भानावत
सहायक आचार्य डॉ. ओ.पी. जैन
सहायक आचार्य डॉ. शिल्पा वर्डिया

व्यवसाय प्रशासन विभाग (Department of Business Administration)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. कैलाश सोडाणी
आचार्य डॉ. डी.एस. चुण्डावत
आचार्य डॉ. विजय श्रीमाली
सह आचार्य डॉ. राजेश्वरी नरेन्द्रन
सह आचार्य डॉ. शिशुपाल सिंह भादू (अवकाश पर)
सह आचार्य डॉ. मंजू बाघमार (अवकाश पर)
सह आचार्य डॉ. बाबूलाल वर्मा

बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग (Department of Banking and Business Economics)

आचार्य डॉ. आई.वी. त्रिवेदी
आचार्य डॉ. रेणु जटाना
आचार्य डॉ. पी.के. सिंह
आचार्य डॉ. मुकेश माथुर
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक नागर



मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्र. पाठ्यक्रम सं.	पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	प्रवेश क्षमता
● वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम.)				
1. बी.कॉम.	10+2/कला/विज्ञान/वाणिज्य	48%	तीन वर्ष	120
● वाणिज्य निष्णात (एम.कॉम.) सेमेस्टर प्रणाली				
1. लेखा एवं सांख्यिकी	बी.कॉम./बी.बी.एम.	48%	4 सेमेस्टर	50
2. व्यवसाय प्रशासन	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50
3. बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50
● मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.)				
1. लेखा एवं सांख्यिकी	एम.कॉम. (लेखा एवं सांख्यिकी)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
2. व्यवसाय प्रशासन	एम.कॉम. (व्यवसाय प्रशासन)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
3. बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	एम.कॉम. (बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
● विद्यावाचस्पति (पीएच.डी.)				
1. विद्यावाचस्पति	वाणिज्य में स्नातकोत्तर/एम.बी.ए./ एम.एच.आर.एम./एम.आई.बी/ एम.आर.एम./एम.एफ.सी./ एम.बी.आई.	55%**	दो वर्ष (न्यूनतम) निदेशकों की उपलब्धता के आधार पर	

* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** अजा व जजा हेतु 50 प्रतिशत अंक पर (एम.फिल. व विद्यावाचस्पति हेतु)।



Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
● Bachelor of Commerce (B.Com.)					
1.	B.Com.	10+2 (Arts/Science/Commerce)	48%	3 Years	120
● Master of Commerce (M.Com.)					
1.	Accountancy & Statistics	B.Com/B.B.M.	48%	4 Semester	50
2.	Business Administration	Graduate in any Discipline	48%	" "	50
3.	Banking & Business Economics	Graduate in any Discipline	48%	" "	50
● Master of Philosophy (M. Phil)					
1.	Accountancy & Statistics	M.Com. (Accts & Statistics)	55%**	3 Semester	5+2
2.	Business Administration	M.Com.(Business Admn.)	55%**	" "	5+2
3.	Banking & Business Eco.	M.Com. (Bank.& Bus.Eco.)	55%**	" "	5+2
● Doctor of Philosophy (Ph. D.)					
1.	Ph. D.	PG in Faculty of Commerce./ MHRM/MIB/MRM/MBI/ MFC/MBA	55%**	2 Yrs (Min.,)	Availability of Research Guide

Note : Admission to Ph.D. programme will be on the basis of university entrance test followed by personal interview conducted by respective departments. All candidates admitted to Ph.D. programme will be required to complete one Semester course work. Details are available on University website/Dean P.G. Office.

* Admission on merit basis on minimum pass marks for SC/ST and OBC (Except creamy layer)

** For SC and ST 50% (for M. Phil and Ph. D.)



Self Finance Courses (Full Time)

S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
● Under Graduate Courses						
1.	B.Com.	10+2 Arts/Science/ Commerce	48%	3 Yrs.	120	7000 + L.F.
2.	B.B.M.	10+2 in any Discipline (Entrance Test)	48%	3 Yrs.	50+10 Pay. Seat NRI Seat	15000 30000 45000
3.	B.T.M.	10+2 in any Discipline (Entrance Test)	45%	3 Yrs.	40+10 Pay. Seat NRI Seat	15000 30000 45000

Note : NRI Candidates are exempted from entrance Test.

● Post Graduate Courses

1.	Master of International Business (MIB)	Graduate in any discipline	48%	4 Sem.	30+30	1500
2.	Master of Human Resource Management (MHRM)	" "	48%	" "	30+10	15000
3.	Master of Banking & Insurance (MBI)	" "	48%	4 Sem.	30+5	15000
4.	Master of Finance & Control (MFC)	" "	48%	" "	30+5	15000
5.	Master of Retail Management (MRM)	" "	48%	" "	30+5	15000

Note : Admission will be given in above P.G. self finance courses through entrance test / merit base.

● Part Time Post Graduate Diploma

1.	Cost & Management Accounting	Graduate in any discipline	48%	1 Years	30+5	9000
2.	Taxation	" "	48%	1 Years	30+5	9000



3.	International Business	" "	48%	1 Years	30+5	9000
4.	Entrepreneuership Development	" "	48%	1 Years	30+5	9000
					Payment Seat	15000
5.	E-Banking	" "	45%	1 Years	30+5	9000
					Payment Seat	16000
● Add-on Course						
1.	Practical Financial/ Accounting	Optional (As additional Subject for Regular Students)				1000

पाठ्यक्रम निदेशक : स्व-वित्त पोषित

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	निदेशक
1.	बी. कॉम	अधिष्ठाता
2.	बी.बी.एम.	अधिष्ठाता
3.	बी.टी.एम.	अधिष्ठाता
4.	मास्टर ऑफ फाइनेन्स एण्ड कंट्रोल (M.F.C.)	प्रो. जी. सोरल
5.	मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेन्ट (M.H.R.M.)	प्रो. डी.एस. चुण्डावत
6.	मास्टर ऑफ बैंकिंग एण्ड इश्योरेन्स (M.B.I.)	प्रो. पी.के. सिंह
7.	मास्टर ऑफ इन्टरनेशनल बिजनेस (M.I.B.)	प्रो. रेणु जटाना
8.	पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सेशन (P.G.D.T.)	प्रो. सी.एम. जैन

नोट :- इन पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक से सम्पर्क करें।



प्रबन्ध अध्ययन संकाय
(Faculty of Management Studies)

निदेशक एवं संकायाध्यक्ष
कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. करुणेश सक्सेना
डॉ. मीरा माथुर

संकाय सदस्य (Faculty Members)

आचार्य	डॉ. पी. के. जैन
आचार्य	डॉ. करुणेश सक्सेना
सह आचार्य	डॉ. अनिल कुमार कोठारी
सह आचार्य (होटल प्रबन्ध)	डॉ. अशोक सिंह राठौड़
सह आचार्य	डॉ. हनुमान प्रसाद
सह आचार्य	डॉ. मीरा माथुर

Core Courses (Full Time)

S.No.	Course	Eligibility	*Minimum Required Marks	Duration	Seats	Fees
● Post Graduate Course						
1.	M.B.A.	Graduate in any discipline	50%	4 Semester	60	
2.	Master in Tourism Management (M.T.M.)	Graduate in any discipline	48%	" "	33	(30 Seat) 15000 @ Year (3 Seat) U.S. \$ 1100 OR Equivalent to Indian Currency
● Doctor of Philosophy						
1.	Ph. D.	M.B.A. or Master in Related Subject	55%	2 Years (Min.)		Availability of Research Guide

**Self Finance Core Course (Full Time)**

S. No	Course	Eligibility	* Minimum Required	Duration	Seats	Fees
1.	M.B.A. (Financial Services Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester	60 (51 Seat) (9 Seat)	75000 per Year U.S. \$ 4500 or Equivalent to Indian Currency
2.	Bachelor of Hotel Management	(10+2)	Pass Marks	3 Years (6 Semesters)	60	60000 per Year

* ए.आई.सी.टी.ई. भारत सरकार एवं आरमेट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण नीति के अनुसार ।

** विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा ।

पाठ्यक्रम समन्वयक

एम.बी.ए. फाइनेन्सियल सर्विसेज मैनेजमेन्ट	—	डॉ. अनिल कोठारी
बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेन्ट	—	डॉ. अशोक सिंह



विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर
University College of Social Sciences and Humanities, Udaipur

Tel.: 0294-2470143

Fax : 2470143

E-mail : ucssh@mlsu.ac.in

Website : www.mlsu.ac.in

अधिष्ठाता

प्रो. शरद श्रीवास्तव

सह-अधिष्ठाता

डॉ. गिरधारी सिंह कुम्पावत

प्रॉक्टर

डॉ. अरुण प्रभा चौधरी

सह-अधिष्ठाता छात्र-कल्याण

डॉ. जिनेन्द्र जैन

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. धर्मवीर वशिष्ठ

डॉ. पीयूष भादविया

Faculty of Humanities मानविकी संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. मीना गौड़

अंग्रेजी विभाग (Department of English)

आचार्य

डॉ. शरद श्रीवास्तव

आचार्य

डॉ. नफीसा हातमी

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. सीमा मलिक

आचार्य

डॉ. प्रदीप त्रिखा

सह आचार्य

डॉ. मीनाक्षी जैन

सहायक आचार्य

श्री खुशपाल गर्ग

हिन्दी विभाग (Department of Hindi)

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. माधव सिंह हाड़ा

सहायक आचार्य

डॉ. नीतू परिहार

सहायक आचार्य

डॉ. नवीन कुमार नंदवाना

सहायक आचार्य

डॉ. आशीष सिसोदिया

सहायक आचार्य

डॉ. राजकुमार व्यास

सहायक आचार्य

डॉ. नीता त्रिवेदी

इतिहास विभाग (Department of History)

आचार्य

डॉ. मीना गौड़

सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. दिग्विजय भटनागर



सह आचार्य	डॉ. प्रतिभा
सहायक आचार्य	डॉ. पीयूष भादविया
संगीत विभाग (Department of Music)	— — —
दर्शनशास्त्र विभाग (Department of Philosophy)	
आचार्य	डॉ. निर्मला जैन
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. सुधा चौधरी
जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग (Department of Jainology & Prakrit)	
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन
सहायक आचार्य	डॉ. ज्योति बाबू जैन
राजस्थानी विभाग (Department of Rajasthani)	
सहायक आचार्य एवं प्रभारी	डॉ. सुरेश सालवी
संस्कृत विभाग (Department of Sanskrit)	
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. नीरज शर्मा
सह आचार्य	डॉ. अंजना पालीवाल
सहायक आचार्य	डॉ. गट्टूलाल पाटीदार
उर्दू विभाग (Department of Urdu)	
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. मोहम्मद फारूख
सह आचार्य	डॉ. हदीस अंसारी
सहायक आचार्य	डॉ. रईस अहमद
दृश्यकला विभाग (Department of Visual Arts)	
आचार्य	डॉ. हेमन्त द्विवेदी
आचार्य	डॉ. मदनसिंह राठौड़
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. डी.वी. वशिष्ठ
सहायक आचार्य	श्री शाहिद परवेज
Faculty of Social Science सामाजिक विज्ञान संकाय	
संकायाध्यक्ष	प्रो. फरीदा शाह
अर्थशास्त्र विभाग (Department of Economics)	
आचार्य	डॉ. फरीदा शाह
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. अरुण प्रभा चौधरी



सहायक आचार्य	डॉ. नेहा पालीवाल
सहायक आचार्य	डॉ. दीपा सोनी
पुस्तकालय विज्ञान विभाग (Department of Library Science)	
सहायक आचार्य एवं प्रभारी	श्री राम पाण्डेय
राजनीति विज्ञान विभाग (Department of Political Science)	
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. संजय लोढा
सह आचार्य	डॉ. गिरधारी सिंह कुम्पावत
मनोविज्ञान विभाग (Department of Psychology)	
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. कल्पना जैन
सहायक आचार्य	श्री तरुण कुमार शर्मा
लोक-प्रशासन विभाग (Department of Public Administration)	
आचार्य	डॉ. सी.आर. सुथार
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. सुरेन्द्र कुमार कटारिया
सहायक आचार्य	श्री गिरिराज सिंह चौहान
समाजशास्त्र विभाग (Department of Sociology)	
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	डॉ. मोनिका नागौरी
आचार्य	डॉ. पूरण मल यादव
सहायक आचार्य	डॉ. राजू सिंह
सहायक आचार्य	डॉ. सुमित्रा शर्मा
सहायक आचार्य	संगीता अठवाल
• अन्य पाठ्यक्रम एवं केन्द्र	
स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम (P.G. Diploma in Journalism)	
सहायक आचार्य एवं प्रभारी	डॉ. कुंजन आचार्य
भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)	
मानद निदेशक	प्रो. शरद श्रीवास्तव
जनसंख्या अध्ययन में डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	
निदेशक	प्रो. मोनिका नागौरी
कम्प्यूटर एप्लिकेशन केन्द्र	प्रो. शरद श्रीवास्तव
विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र	प्रो. माधव हाडा

**मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)**

1. पाठ्यक्रम	2. प्रवेश पात्रता	3* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	4. अवधि	5. निर्धारित प्रवेश संख्या
• कला स्नातक (B.A.)				
1. कला स्नातक	10+2(कला/विज्ञान/वाणिज्य)	48%	तीन वर्ष	400
2. ऑनर्स स्नातक	"	50%	तीन वर्ष	
संस्कृत	"	"	"	60
राजनीति शास्त्र	"	"	"	60
अर्थशास्त्र	"	"	"	60
अंग्रेजी	"	"	"	60
इतिहास	"	"	"	60
समाजशास्त्र	"	"	"	60
3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	
			50 सामान्य सीट	रु. 6000/-
			5 पेमेन्ट सीट	12,000/-
			प्र.व.+स्थानीय शुल्क	
• कला निष्णात (M.A.)				
1. चित्रकला	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	12
2. अर्थशास्त्र	" "	48%	" "	40
3. अंग्रेजी साहित्य	" "	48%	" "	40
4. भूगोल	" "	48%	" "	40
5. हिन्दी साहित्य	" "	48%	" "	40
6. इतिहास	" "	48%	" "	40
7. दर्शनशास्त्र	" "	48%	" "	40
8. राजनीति विज्ञान	" "	48%	" "	40
9. प्राकृत साहित्य	" "	48%	" "	40
10. मनोविज्ञान	" "	48%	" "	20
11. लोक प्रशासन	" "	48%	" "	40
12. राजस्थानी साहित्य	" "	48%	" "	40
13. संस्कृत साहित्य	" "	48%	" "	40



14. समाजशास्त्र	“ ”	48%	“ ”	40
15. उर्दू साहित्य	“ ”	48%	“ ”	40

नोट :- स्नातकोत्तर (एम.ए.) के सभी विषय ऐच्छिक हैं।

● **एम. फिल. (M.Phil.)**

1. अर्थशास्त्र	कला निष्णात (अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
2. अंग्रेजी साहित्य	कला निष्णात (अंग्रेजी)	55%**	“ ”	***
3. भूगोल	कला निष्णात (भूगोल)	55%**	“ ”	***
4. हिन्दी साहित्य	कला निष्णात (हिन्दी)	55%**	“ ”	***
5. इतिहास	कला निष्णात (इतिहास)	55%**	“ ”	***
6. दर्शनशास्त्र	कला निष्णात (दर्शनशास्त्र)	55%**	“ ”	***
7. राजनीति विज्ञान	कला निष्णात (राज. विज्ञान)	55%**	“ ”	***
8. प्राकृत साहित्य	कला निष्णात (प्राकृत)	55%**	“ ”	***
9. मनोविज्ञान	कला निष्णात (मनोविज्ञान)	55%**	“ ”	***
10. राजस्थानी	कला निष्णात (राजस्थानी)	55%**	“ ”	***
11. संस्कृत साहित्य	कला निष्णात (संस्कृत)	55%**	“ ”	***
12. समाजशास्त्र	कला निष्णात (समाजशास्त्र)	55%**	“ ”	***
13. उर्दू साहित्य	कला निष्णात (उर्दू)	55%**	“ ”	***

● **विद्यावाचस्पति (Ph.D.)**

1. विद्यावाचस्पति	एम.ए.	55%**	दो वर्ष न्यूनतम
(शोध निर्देशकों की उपलब्धता के आधार पर)			

* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** एम.फिल. व विद्यावाचस्पति में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शारीरिक विकलांग हेतु 50% अंक।

*** प्रति संकाय सदस्य तीन छात्र।

**Core Courses (Full Time)**

S. No	Course	Eligibility	* Minimum Required Marks	Duration	Seats
-------	--------	-------------	--------------------------	----------	-------

● Bachelor of Arts (B.A.)

1.	B.A.	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	48%	3 Years	400
2.	B.A. Honours	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	
	Sanskrit	"	"	"	60
	Economics	"	"	"	60
	English	"	"	"	60
	History	"	"	"	60
	Sociology	"	"	"	60
3.	B.Lib.& Inf. Sc.	Graduate /Arts/Science/Commerce	45%	1 Years	
					50 General Seat Rs. 6000/- 05 Payment Seat Rs. 12000/- Per Year + Local Fund

● Master of Arts (M.A.) Semester Scheme

1.	Drawing	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	12
2.	Economics	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
3.	English Literature	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
4.	Geography	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
5.	Hindi Literature	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
6.	History	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
7.	Philosophy	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
8.	Political Science	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
9.	Prakrit Literature	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
10.	Psychology	Graduate (10+2+3)	48%	" "	20



11. Public Adm.	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
12. Rajasthani Lit.	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
13. Sanskrit Literature	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
14. Sociology	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40
15. Urdu Literature	Graduate (10+2+3)	48%	" "	40

Note : The subject of M.A. is optional subject.

● **M. Phil (Semester Scheme)**

1. Economics	M.A. (Economics)	55%**	3 Semester	***
2. English Literature	M.A. (English)	55%**	" "	***
3. Geography	M.A. (Geography)	55%**	" "	***
4. Hindi Literature	M.A. (Hindi)	55%**	" "	***
5. History	M.A. (History)	55%**	" "	***
6. Philosophy	M.A. (Philosophy)	55%**	" "	***
7. Political Science	M.A. (Political Sci.)	55%**	" "	***
8. Prakrit Literature	M.A. (Prakrit)	55%**	" "	***
9. Psychology	M.A. (Psychology)	55%**	" "	***
10. Rajasthani	M.A. (Rajasthani)	55%**	" "	***
11. Sanskrit Literature	M.A. (Sanskrit)	55%**	" "	***
12. Sociology	M.A. (Sociology)	55%**	" "	***
13. Urdu Literature	M.A. (Urdu)	55%**	" "	***

● **Ph.D.**

1. Ph.D.	M.A.	55%**	2 Year (Minimum)
----------	------	-------	------------------

Note : Admission to Ph.D. programme will be on the basis of university entrance test followed by personal interview conducted by respective departments. All candidates admitted to Ph.D. programme will be required to complete One Semester course work. Details are available on University website/ Dean P.G. Office.

**डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)**

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या
1. डिप्लोमा इन फैशन मरकेन्डाइजिंग एण्ड रेडिमेड गारमेन्ट्स	10+2	45%	एक वर्ष	20
2. डिप्लोमा इन टेक्सटाईल डिजाइनिंग	10+2	45%	एक वर्ष	20
3. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	स्नातक	45%	एक वर्ष	30

Diploma Course (Full Time)

Course	Eligibility	* Minimum Required Marks	Duration	Seats
1. Dip. in Fashion Merchandising & Readymade Garments	10+2	45%	1 Year	20
2. Dip. in Textile Designing	10+2	45%	1 Year	20
3. P.G. Dip. in Journalism	Graduate	45%	1 Year	30



स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
● कला स्नातक उपाधि					
दृश्य कला	10+2	48%	चार वर्ष	20	रु.10000/- प्रति वर्ष
● कला निष्णात उपाधि					
1. कंठ संगीत	स्नातक	48%	दो वर्ष	20	रु.5000/- प्रति वर्ष
2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि	45%	एक वर्ष	15 सामान्य सीट 5 पेमेन्ट सीट	रु.10000+ स्थानीय शुल्क & रु. 18000 + स्थानीय शुल्क
3. शारीरिक शिक्षा (M.P.Ed.)	स्नातक या शा.शि में पी.जी. डिप्लोमा	45%	दो वर्ष	30	रु. 30,000 प्रति वर्ष
● स्नातकोत्तर डिप्लोमा					
1. जनसंख्या अध्ययन	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	रु.5000/- प्रति वर्ष
2. योग शिक्षा	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30+10	रु.11000/- (10 स्ववित्त 16000/- पोषित सीट) प्रति वर्ष
3. रिमोट सेंसिंग एवं ज्योग्राफिकल सूचना तंत्र	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	50%	एक वर्ष	20	रु.15000/- प्रति वर्ष + रु.10000/-

**Self Finance Courses (Full-Time)**

Course	Eligibility	* Minimum Required Marks	Duration	Seats	Fee
● Bachelor of Arts (B.A.)					
1. Visual Arts	10+2	48%	4 Year	20	10000/-P.Yr.
● Master of Arts (M.A.)					
1. Vocal Music	Graduate	48%	2 Year	20	5000/-P.Yr.
2. M. Lib. & Inf. Sc.	Graduate & Graduate in M. Lib. & Inf. Sc.	45%	1 Year	15 Gen. 5 Pay.Seat	10000/- + L.F 18000/- + L.F
3. M.P.Ed.	Graduate or P.G. Diploma in Phy. Ed.	45%	2 Year	30 Seat	30000/-
● Post Graduate Diploma					
1. Population Studies	Graduate Arts /Sci./Commerce	45%	1 Year	30	5000/- Per Year
2. Yoga Education	Graduate Arts /Sci./Commerce	45%	1 Year	30+10	11000/- 10 S.S.Seat 16000/- P.Yr
3. Remote Sensing & Geographical Information Sys.	Graduate Arts /Sci./Commerce	50%	1 Year	20	Rs. 15000/- Per Year+ 10000/- Lab Fee.



स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम (अंशकालीन)

पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	* अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
• स्नातकोत्तर डिप्लोमा					
1. गुड गर्वनेंस एवं डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाईजेशन	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	20	रु.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2. हेरिटेज, पर्यटन एवं म्यूजियोलोजी	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	20	रु.8000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
3. थोट एवं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	20	केवल + स्था. शुल्क
4. व्यावसायिक परामर्श एवं मनोचिकित्सा	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15+5	रु. 15000/- (5 स्ववित्त पोषित सीट रु.25000/-)
5. मनोवैज्ञानिक परीक्षण	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15+5	रु. 15000/- (5 स्ववित्त पोषित सीट रु.25000/-)
6. मानवाधिकार एवं कर्तव्य	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	48%	एक वर्ष	20	केवल स्था. शुल्क
• डिप्लोमा					
1. कम्प्यूनिटी हेल्थ इकोनोमिक्स	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	रु.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2. ऐनवायरमेन्ट इकोनोमिक्स	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	रु.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क



3. पालि, बौद्ध एवं अहिंसा	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	एक वर्ष	30	रु.5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
4. वित्तीय बाजार	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	एक वर्ष	30	रु.7000/- + स्था. शुल्क
5. पूँजी बाजार	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	एक वर्ष	30	रु.7000/- + स्था. शुल्क

Self Finance Courses (Part Time)

Course	Eligibility	*Min. Req. Marks %	Duration	Seats	Fee
● Post Graduate Diploma					
1. Good Governance and Democratic Decentralization	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	5000/- + L.F.
2. Heritage, Tourism and museology	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	8000/- + L.F.
3. Thought & Contribution of Jawahar Lal Nehru	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	Only Local Fund
4. Counselling & Psychotherapy	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	45%	6 Months	15+5 (S.F. 5 Seats)	15000/- 25000/-
5. Psychological Testing	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	48%	6 Month	15+5 (S.F. 5 Seat)	15000/- 25000/-
6. Human Rights & Duties	Graduate Arts/Commerce Science	48%	1 Year	20	Only L.F.
● Diploma Courses					
1. Community Health Economics	Graduate Arts/ Commerce Science	45%	1 Year	30	5000/- + L.F.



2.	Environmental Economics	Graduate Arts/Commerce Science	45%	1 Year	30	5000/- + L.F.
3.	Pali, Buddhism & Non-Violence	Graduate Arts/Commerce Science	45%	1 Year	30	5000/- + L.F.
4.	Financial Market	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	7000/- +L.F.
5.	Capital Marketing	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	7000/- L.F.

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (Certificate Courses)

पाठ्यक्रम	पात्रता	*अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
1. अंग्रेजी भाषा प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम	(10+2)	45%	एक वर्ष	60	प्रथम वर्ष कला के समान
2. जनसंख्या एवं परिवार कल्याण प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	छः माह	60	5000/-
3. श्रमण परम्परा और सम सामयिक मूल्य प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	(10+2)	45%	एक वर्ष	60	5000/-
4. वेब पत्रकारिता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	एक वर्ष		3000/-
5. योग प्रशिक्षण में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	(10+2)	33%	छः माह	40+10***	5000/-
6. नेहरू विचार धारा योगदान व प्रासंगिकता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	एक वर्ष	20	स्थानीय शुल्क

* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** In addition to local fund fee.

*** विदेशी छात्रों के लिये।

सूचना : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जायेगा।



Certificate Courses

Course	Eligibility	*Min. Req. Marks %	Duration	Seats	Fee
1. English Language	(10+2)	45%	1 Year	60	At Par with First Year Arts
2. Population & Family Welfare Studies	Graduate	45%	6 Months	60	5000/-
3. Shramana Tradition & Contemporary Values	(10+2)	45%	1 Year	60	5000/-
4. Web Journalism	(10+2+3)	45%	1 Year		3000/-
5. Yog Training	(10+2)	33%	6 Months	40+10***	5000/-
6. Nehru's Thought Contribution & Relevance	(10+2+3)	45%	1 Year	20	Local Fund

टिप्पणी :

- वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे।
 - सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जायेगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- ऑनर्स पाठ्यक्रम में कम से कम पांच विद्यार्थियों का प्रवेश होना आवश्यक है।



3. विशेष आरक्षण** :

- (i) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु आठ स्थान सुरक्षित है। इनमें प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। इस श्रेणी में केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जायेंगे कि अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करेंगे। एक स्थान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके लिए प्रार्थना पत्र किसी साधिकार अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) पुस्तकालय विज्ञान स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु पांच स्थान आरक्षित है। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। इस श्रेणी में उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जायेंगे कि कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करना होगा।
- (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा में 42% प्राप्तांक रखी गई है।
4. ओपन स्कूल की 10+2+3 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे, यदि वे उक्त परीक्षा में पांच विषयों में उत्तीर्ण होंगे एवं न्यूनतम अर्हक योग्यता रखते हों।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में व्यवसायिक पाठ्यक्रम (10+2) के उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के योग्य होंगे। प्रवेश के समय उनके कुल प्राप्तांकों में से सैद्धान्तिक एवं सैद्धान्तिक सत्रांक का योग करते हुए उन्हें वरीयता में सम्मिलित किया जायेगा।

(क) प्रथम वर्ष कला 2015 परीक्षा के लिए

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य अंग्रेजी 2. पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय : निम्नलिखित विषयों में से केवल तीन विषयों का चयन करना होगा। एक वर्ग में से एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकता। कोष्ठक में विषयवार उपलब्ध स्थान अंकित है।



वर्ग :

1. अर्थशास्त्र (120)/संस्कृत साहित्य (60)/संगीत (20)/सिंधी (20)
2. भूगोल (120)/राजस्थानी साहित्य (30)/दर्शनशास्त्र (30)/महिला अध्ययन (30)
3. राजनीति विज्ञान (120)/उर्दू साहित्य (30)/चित्रकला (20)/सांख्यिकी/जनसंख्या अध्ययन (20)
4. मनोविज्ञान (25)/प्राकृत साहित्य (30)/इतिहास (120)/वन संसाधन एवं उनके उपयोग
5. लोक प्रशासन (60)/हिन्दी साहित्य (120)/गृह विज्ञान/ग्रामीण विकास एवं विस्तार/प्रयोजनमूलक हिन्दी (फंक्शनल हिन्दी)
6. समाजशास्त्र (120)/अंग्रेजी साहित्य (60)/गणित/मानवाधिकार (20)

टिप्पणियाँ :

- (i) विद्यार्थी द्वारा कुल 3 विषयों का चयन किया जाना है। उपर्युक्त वर्गों में से एक वर्ग में एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।
- (ii) (क) नियमित विद्यार्थी दो से अधिक प्रयोगशाला के विषय नहीं ले सकेगा।
(ख) प्रयोगशाला के संचालित विषय है – संगीत, भूगोल, चित्रकला एवं मनोविज्ञान।
- (iii) दो साहित्य से अधिक साहित्य विषय नहीं चुने जा सकते हैं।
- (iv) कला महाविद्यालय, उदयपुर में सांख्यिकी, वन संसाधन एवं उनके उपयोग, ग्रामीण विकास एवं विस्तार, गृह विज्ञान, गणित, सिंधी, जनसंख्या अध्ययन और महिला अध्ययन विषय के शिक्षण की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। अतः विद्यार्थी इन विषयों को छोड़कर अपने विषय चुनें।
- (v) चुने गये तीन विषयों में भी प्रवेश योग्यता क्रम एवं विषय के निर्धारित स्थानों के अनुसार देय होगा। अन्तिम प्रवेश सूची में उल्लिखित विषय ही स्वीकृत माने जायेंगे।
- (vi) मनोविज्ञान विषय लेने वाले विद्यार्थी वर्ग 4 के अतिरिक्त वर्ग 5 के विषय भी नहीं ले सकेंगे।

(ख) द्वितीय वर्ष कला 2015 के लिए

अनिवार्य विषय : (i) सामान्य हिन्दी (ii) ऐलिमेन्ट्री कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन

ऐच्छिक विषय : प्रथम वर्ष कला 2014 में लिये गये विषय

- (i) द्वितीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के समय नियमित विद्यार्थी चाहे तो एक वैकल्पिक विषय का परिवर्तन कर सकता है, यदि वह प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण है तथा उसके द्वारा चुने गये वर्ग का विषय उस महाविद्यालय में नियमित अध्यापन किया जा रहा है। नया चुना हुआ विषय इस वर्ष के लिए निर्धारित ग्रुप समूह के अनुसार होगा।
- (ii) द्वितीय वर्ष में परिवर्तित विषय के अध्ययन, नियमानुसार परीक्षा आदि की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।



(ग) तृतीय वर्ष कला 2015 परीक्षा के लिए

ऐच्छिक विषय : द्वितीय वर्ष कला 2014 में लिये गये विषय

(घ) बी.ए. ऑनर्स (B.A. Hons.) त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम – 2015 परीक्षा के लिए

बी.ए. ऑनर्स (विषय)	स्थान
1. संस्कृत	60
2. अर्थशास्त्र	60
3. राजनीति विज्ञान	60
4. अंग्रेजी साहित्य	60
5. इतिहास	60
6. समाजशास्त्र	60

यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों का है। इसमें मुख्य विषय (Main Subjects) के साथ किसी अन्य वर्ग में से एक विषय गौण विषय (Subsidiary Subject) के रूप में लिया जाना है।

(ङ) स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (B.Lib & Information Sc.)

एक वर्षीय पाठ्यक्रम

(च) स्नातकोत्तर (M.A.) द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर (M.A.) शिक्षण निम्नांकित विषयों में होता है –

- (i) **सामाजिक विज्ञान विषय :** अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
- (ii) **मानविकी विषय :** संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी, चित्रकला, इतिहास एवं दर्शनशास्त्र।
- (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर (M.Lib.) (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

(छ) एम.फिल. (M.Phil.) – एक वर्षीय पाठ्यक्रम : इन विषयों में संचालित हो रहा है –

- (i) **सामाजिक विज्ञान :** अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
- (ii) **मानविकी विषय :** संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं राजस्थानी।

(ज) विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु निम्नांकित विषयों में शोध कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है – अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, जैनविद्या एवं प्राकृत, राजस्थानी, इतिहास, चित्रकला, दर्शनशास्त्र एवं लोक प्रशासन।



विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय
University College of Law

Tel.: 0294-2470958

Fax : 0294-2470209

E-mail : uclaw@mlsu.ac.in

Website : www.mlsu.ac.in

अधिष्ठाता	डॉ. आनन्द पालीवाल
सहायक अधिष्ठाता छात्र-कल्याण	डॉ. शिल्पा सेठ
प्रॉक्टर एवं कार्यक्रम अधिकारी-राष्ट्रीय सेवा योजना	डॉ. राजश्री चौधरी

Faculty of Law विधि संकाय

संकायाध्यक्ष	डॉ. आनन्द पालीवाल
सहायक आचार्य	डॉ. राजश्री चौधरी
सहायक आचार्य	डॉ. शिल्पा सेठ

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या
• स्नातक पाठ्यक्रम				
1. विधि स्नातक (LL.B.)	स्नातक	45%*	3 वर्ष	120+ 180 (स्ववित्त पोषित)
• स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम				
1. विधि निष्णात (LL.M.)	विधि स्नातक	55%**	2 वर्ष	40+10
• स्नातकोत्तर डिप्लोमा				
1. श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबन्ध में डिप्लोमा (D.L.L.)	विधि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि/निम्न विषयों के साथ स्नातक #	48%***	एक वर्ष	60

#समाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/लोक प्रशासन या अनुप्रायोगिक अर्थशास्त्र/बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ एम.कॉम./एम.बी.ए./एम.एच.आर.एम./कंपनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा



स्व-वित्त पोषित मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक %	अवधि	प्रवेश क्षमता	शुल्क
● स्नातक पाठ्यक्रम					
1. व्यवसाय प्रबन्धन एवं विधि स्नातक ऑनर्स (B.A. LL.B)	सीनियर सैकेण्ड्री	45% (40% SC/ST/OBC)	5 वर्ष	60	12000/- प्रति सेमेस्टर एकीकृत + स्था. शुल्क
● स्नातकोत्तर डिप्लोमा					
1. कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा (D.C.S.)	एम.कॉम या विधि स्नातक	48%***	1 वर्ष	30	5000/- + L.F.
2. अपराध विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (D.C.L.)	विधि स्नातक/ सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर/ D.C.S./D.L.L.	48%***	1 वर्ष	30	5000/- + L.F.
3. बौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	10000/- 15000/- + L.F.
4. बैंकिंग विधि में डिप्लोमा	" "	" "	" "	" "	" "

*अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 45%।

**अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50% व सामान्य पिछड़ा वर्ग 55%।

***अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु केवल न्यूनतम प्राप्तांक लिए।



नोट :

1. विधि निष्णात (LL.M.) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विधि संकाय के पाठ्यक्रम (Syllabus) 1992 और 1993 परीक्षाओं में प्रकाशित पृष्ठ संख्या 71 (2) (b) पर दिये गये रियायती नियम निरस्त कर दिये हैं।
2. (1) LL.B. (2) LL.M. (3) B.A. LL.B. Five Years Integrated Course में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा / वरीयता के आधार पर दिया जाएगा।
3. B.A. LL.B. Five Years Integrated Course में प्रवेश हेतु जानकारी के लिए अधिष्ठाता कार्यालय से सम्पर्क करें।

● **केन्द्र (Centre)**

1. **निःशुल्क विधि सहायता क्लिनिक (Free Legal Aid Clinic)**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से महाविद्यालय में स्थापित विधि सहायता क्लिनिक निर्धनों, अशिक्षितों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनके दैनिक विधिक कठिनाईयों एवं मुकदमेबाजी के कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी वकीलों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाता है।



प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया (Admission Rules and Procedure)

(क) सामान्य सूचनाएँ (General Information)

1. ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2014 से प्रारम्भ होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. विभिन्न कक्षाओं के लिये प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सहित संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दिया जायेगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/ महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जायेंगे तथा उनका नाम प्रवेश-सूची से हटा दिया जायेगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जायेगा।
4. स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।

(ख) सामान्य नियम (General Rules)

1. विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्ध) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी, को छोड़कर विभिन्न कक्षाओं में सभी नये प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिये जायेंगे। विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **वरीयता/प्रवेश परीक्षा** द्वारा दिया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिये जायेंगे तथा प्रवेश हेतु वरीयता प्रवेश 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक (प्रायोगिक को छोड़कर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोड़कर निर्धारित की जावेगी।
2. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो अंशकालीन डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का पठन-पाठन विश्वविद्यालय में सामान्य पठन-पाठन समय से भिन्न समय पर हो तो विद्यार्थी उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक अंशकालीन डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का एक साथ अध्ययन कर सकेगा।



3. एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत साक्षात्कार (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश को रद्द करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।
4. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जायेगा जब अर्हक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60% (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अर्हक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जायेंगे यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो एवं प्रावधान के अनुसार उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 55% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर)के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।
6. स्नातकोत्तर प्रीवीयस (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी जिन्होंने 50% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम पास अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।

टिप्पणियाँ :

- (i) राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60% से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अन्तर्गत भू-विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 25% तक स्थानों पर राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देना अपेक्षित है। अतः यहाँ यह नियम लागू नहीं होगा।
- (ii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जायेगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।
- (iii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के इस विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय ग्रुप/समूहों के अनुसार ही दिया जायेगा। इन विषय ग्रुप/समूहों



- में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी पड़ेगी।
- (iv) यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जायेगा।
- (v)(a) **किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।** जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। **यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे विश्वविद्यालय के संघटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा।** यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसी श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स-छात्र (Ex-Candidate) के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स-छात्र के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपरोक्त वर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हो।
- (b) **स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जायेगी। उसे पुनः उस पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जायेगी। जहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ पुनः प्रवेश परीक्षा देकर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।**
- (c) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने 2013 में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित हलफनामा (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (vi) स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे इस विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है, उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।
- (vii) जहाँ प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं, वहाँ विद्यार्थी को अपने प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराने होंगे अन्यथा उसका नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं होगा।
- (viii) यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना हो तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में



प्रवेश योग्य नहीं माना जायेगा तथापि यदि समस्त योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए./एम.कॉम. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जायेगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। **एम.एससी./एल.एल.बी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।**

- (ix) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जायेंगे।
- (x) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जायेगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि गणित एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (xi) जिन विभागों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- (xii) एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में दो स्थान राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदकों (T.R.F.) के लिए आरक्षित हैं।
- (xiii) **किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**

(ग) आरक्षण (Reservation)

1. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का निम्नलिखित प्रकार से आरक्षण रहेगा जो किसी भी दशा में 50% से अधिक देय नहीं होगा –
- | | |
|---|----------------------------|
| (i) अनुसूचित जातियाँ | 16% |
| (ii) अनुसूचित जनजातियाँ | 12% |
| (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत छोड़कर) | 21% |
| (iv) अपंग एवं शारीरिक रूप से असक्षम वर्ग | 3% (आरक्षण नीति के अनुसार) |
| (v) महिला वर्ग (केवल स्नातकोत्तर कक्षा में) | 5% (आरक्षण नीति के अनुसार) |
| (vi) विशेष पिछड़ा वर्ग | 1% |
| (vii) एम. फिल. कक्षाओं में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनित शिक्षक (TRF) (प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त स्थान) | 2 स्थान |
- (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवा में तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष स्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा –
- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------|
| (a) एम.एससी. (पूर्वाह्न) | विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर | 1 स्थान |
|--------------------------|-----------------------------|---------|



- | | | |
|---|--|---|
| (b) एम.एससी.–पोलिमर विज्ञान | शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर | 1 स्थान |
| (c) तैयार वस्त्र अध्ययन प्रशिक्षण प्रमाण–पत्रीय पाठ्यक्रम | शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर | 1 स्थान |
| (d) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक | संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत जेटीए के लिए (सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर) | जेटीए के लिए आरक्षित आठ स्थानों में से एक स्थान |
- (ix) सुरक्षा सेवा के निम्नांकित वर्ग के कर्मचारियों के विधवा/आश्रित बच्चे – 5%
- (अ) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य (ब) पूर्व सैनिक (स) सामान्य आरक्षित इंजीनियर
(द) प्रतिरक्षा सेवा के पूर्व कर्मचारी (य) शहीद
- (x) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अतिरिक्त बची हुई सीटों को 50 प्रतिशत सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के लिए होगी। अनु.जाति/जजा. आरक्षित वर्गों की मेरिट अलग बनेगी। अनु.जाति/जजा के लिए आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जजा छात्रों के लिए रखी जायेगी। उचित संख्या में इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जनजाति वर्ग के छात्र उपलब्ध न होने पर ये सीटें इन्हीं वर्गों के लिए (अनु.जाति/जनजाति) छात्रों को दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर एवं प्रवेश की स्टेपिंग कमेटी की बैठक के बाद यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से भरी जा सकेगी। आरक्षित वर्ग की एक सीट होने पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- (xi) (अ) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के लिए ही रहेगा। अन्य किसी प्रकार का आरक्षण इन पाठ्यक्रमों में नहीं रहेगा।
(ब) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों (स्ववित्त पोषित सहित) में अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) आवेदन पत्र की राशि 50 प्रतिशत ही ली जायेगी।
- (xii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी/उनके पुत्र या पुत्री –
- | | |
|---------------------------|----|
| (अ) शैक्षणिक कर्मचारी | 3% |
| (ब) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी | 3% |
- (उपरोक्त आरक्षण का लाभ पाठ्यक्रमों के सभी विषय ग्रुप में उपलब्ध होगा)।
- नोट:** इस आरक्षण के अन्तर्गत किसी शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह लाभ अशैक्षणिक कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को देय होगा। इसी तरह अशैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह आरक्षण का लाभ शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को भी मिलेगा।
- निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा मनोनीत राज्य सरकार एवं उनसे अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक (केवल विज्ञान स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय में) 1 स्थान
- (xiii) कश्मीरी प्रवासी 1%
- भूटान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यू.जी.सी. अथवा भारत सरकार के प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में विभिन्न



पाठ्यक्रमों में दस स्थान निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त आरक्षित होंगे। ऐसे प्रवेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद ही दिये जायेंगे।

टिप्पणियाँ :

- (i) यदि सामान्य रूप से ही किसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा की कुल क्षमता के 5% अथवा उससे अधिक हैं तो महिला वर्ग का आरक्षण वहां लागू नहीं होगा।
- (ii) आरक्षण के लाभ हेतु कर्मचारियों के केवल पुत्र या पुत्री ही उनके आश्रित समझे जायेंगे।
- (iii) यदि जांच के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदक आरक्षित स्थान में किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लाभ का हकदार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु

- (i) किसी भी कक्षा व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के पास अंकों (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ऑनर्स व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु XII कक्षा के पास अंक व स्नातकोत्तर व समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. इत्यादि परीक्षा के पास अंक) पर इन्हीं वर्गों की मेरिट के क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
- (ii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जायेगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (iii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संकायों और विभागों के स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जायेगा।
- (iv) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनु.जाति/जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद रिक्त आरक्षित स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (v) यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः नवीन आवेदन पत्र मांगने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को सूचना दी जायेगी। जहां प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहां नवीन आवेदन पत्र प्रवेश परीक्षा के पूर्व मांगे जायेंगे। तथापि प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
- (vi) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से किसी भी एक वर्ग के रिक्त स्थानों को (अनुसूचित जाति व जनजाति) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर भरा जाकर कुल आरक्षित स्थान भरे जा सकेंगे।
- (vii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम व डिप्लोमा के लिए जहाँ प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) निर्धारित है वहां अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा



- में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि स्नातक के लिए 40%) (Pass Marks) के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जायेगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। बचे हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक (Cutoff Point Marks) नहीं रखते हुए इन्हीं की वरीयता क्रम में निम्नागामी क्रम (Descending Order) में आरक्षण कोटे के पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जायेगा।
- (viii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फायनल) स्तर पर वैकल्पिक विषयों व ग्रुप को उनकी वरीयता के विषय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार दिये जायेंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय व ग्रुप में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 12% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% नियमानुसार रखा जायेगा।
- (ix) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश में 21% आरक्षण देय होगा।
- (x) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्तपोषित सहित) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जायेगी।
- (घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण (Relaxation and Weightage in Determination of Merit)
- (क) बी.बी.एम., एम.बी.ए., विधि संकाय, पुस्तकालय विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान प्रवेश परीक्षा एवं सभी सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई रियायत एवं भारण देय नहीं हैं।
- (ख) अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष गुण सम्पन्न विद्यार्थियों, जिनमें खिलाड़ी/एन.सी.सी. कैडेट बी एवं सी सर्टिफिकेट आदि सम्मिलित हैं उन्हें योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण प्रदान किये जा सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट धारकों के लिये यह अवधि विगत चार वर्ष मानी जायेगी। निम्नांकित तालिकानुसार रियायत/भारण अंक उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रदान किये जायेंगे।

1.1 खेलकूद (Games and Sports)

उपलब्धि	लाभ
(अ) भारत सरकार के मानव संसाधन एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ब) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(स) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।



- (द) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में 5% की वृद्धि। प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण द्वारा अभ्यर्थी के प्राप्तांक
- (य) सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि।
- (र) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी को प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि। उपविजेता
- (ल) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा खण्ड/जिलास्तर आयोजित खेलकूद में स्कूल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व। प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
- (व) केन्द्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व। प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
- (श) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व। प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
- (i) उपर्युक्त अंक : लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को नियमानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा।

वर्ग जिनका प्रमाण पत्र मान्य होगा –

- (1) **अ ब स** भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद् और राज्य क्रीड़ा परिषद् एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।
- (2) **द** विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्।
- (3) **य** राज्य क्रीड़ा परिषद्।
- (4) **र ल** उपनिदेशक स्तर अधिकारी/ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्/निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त।
- (5) **व, श** आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।



- (ii) उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे –
 (1) एथलेटिक्स, (2) जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो), (3) बेडमिन्टन (4) बास्केट बॉल, (5) शतरंज, (6) क्रिकेट, (7) साईकिल चलाना, (8) फुटबॉल (9) हॉकी (10) कबड्डी (11) खो-खो (12) टेबिल टेनिस (13) टेनिस (14) बॉलीबाल (15) हैण्डबॉल (16) कुश्ती (17) भारोतोलन, (18) जिम्नास्टिक (19) जूडो (20) मुक्केबाजी (21) तीरंदाजी (22) योगासन एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।

1.2 एन.सी.सी.

उपलब्धि	लाभ
(अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या महानिदेशक, एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ब) एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(स) निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता में निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
(i) गणतंत्र दिवस कैम्प	
(ii) अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प	
(iii) पैरा जम्पिंग कोर्स	
(iv) आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20,000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग	
(v) छात्र/छात्रा विंग में सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
(vi) छात्र/छात्रा विंग में सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के साथ प्राप्ति	
(vii) स्नोस्कीइंग कोर्स	
(viii) सीनियर अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्त	

टिप्पणी :

गणतंत्र दिवस की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित शिविर में किसी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने पर, पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स करने वाले को और सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड सहित उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् चार प्रतिशत का लाभ देय होगा।

(द) निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में 2% की वृद्धि।
---	---



- (i) ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग केम्प
- (ii) छात्र/छात्रा विंग का सर्टिफिकेट
- (iii) छात्र/छात्रा बी एवं सी ग्रेड के साथ
- (iv) ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स
- (v) कम से कम तीन सप्ताह के अटेचमेन्ट कोर्स
- (vi) वाटर स्कीइंग कोर्स
- (vii) जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट धारी
- (viii) अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति
- (ix) अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वायुसेना कैम्प, नौ सेना कैम्प, थल सेना कैम्प।

1.3 पर्वतारोहण

उपलब्धि

- (अ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व
- (ब) शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊंचाई पर पहुँच।
- (स) विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा एडवांस कोर्स।
- (द) सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स

लाभ

- न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता एडवेंचर्स निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता आयोजित निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि।

1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना

उपलब्धि

- (अ) प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार से पुरस्कृत स्वयंसेवक।
- (ब) प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड/राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में तथा 2 विशेष शिविरों में सम्मिलित एवं 240 घण्टों का हो सेवा कार्य।

लाभ

- न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता हेतु अभ्यर्थी सूची में प्राप्तांक प्रतिशत में 4 प्रतिशत की वृद्धि।



1.5 रोवर स्काउट गाईड

उपलब्धि

- (अ) विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा अखिल भारत स्काउट गाईड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत 5 वर्ष की सेवा अवधि में रोवर के नियमित सदस्य अथवा गत दो वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्त।
- (ब) राज्य स्काउट गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधिकर्ता यदि गत 2 वर्ष की अवधि में रोवर/रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो।
- (स) गत दो वर्ष में राज्य कमिश्नर से प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र प्राप्त अथवा गत दो वर्ष में रोवर/रेंजर मीटर में तीन पताकाएँ प्राप्तकर्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोपण का आधारभूत कोर्सकर्ता।

लाभ

- न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।

1.6 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

उपलब्धि

- (अ) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीयता वीरता पुरस्कार से सम्मनित किया गया हो।
- (ब) भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।
- (स) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप-विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व।

लाभ

- न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश केवल एक बार।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।



टिप्पणी :

उपर्युक्त (ब) व (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा। (उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।)

- (द) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्व-विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त।
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि।

टिप्पणी :

- (1) नियम 1.1 से 1.6 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की न्यूनतम पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।
- (2) **न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के साथ एक शपथ-पत्र भी लगाना होगा जिसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है। भारण समिति (Weightage Committee) के समक्ष उपस्थिति के समय उनकी पात्रता तय की जायेगी।**
- (3) उपर्युक्त लाभ प्राप्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार नहीं किये जायेंगे या ऐसे प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। **मूल प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित संस्थान से प्रमाणीकरण के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होगा।**
- (4) उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.6 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम) का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो।
- (5) उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने परभी उन सबके लिए एक ही बार लाभ देय होगा।

नोट : सीधे प्रवेश योग्य (Out-Right) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय/ग्रुप में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्थान दिया जा सकता है।

(ड) प्रवेशार्थियों के रियायत/भारण अंक सम्बन्धी मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय समिति (Central Committee for Verification of Cases for Concessions, Weightage etc.)

- (i) कुलपति द्वारा गठित समिति रियायत/बोनस अंक प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के मामलों की जांच करेगी। रियायत/भारण चाहने वाले सभी विद्यार्थी अपने आवेदन-पत्र सभी प्रपत्रों सहित इस समिति को प्रस्तुत करेंगे और इस समिति की संस्तुति के पश्चात् ही प्रवेश समिति द्वारा उनके प्रवेश निश्चित किये जायेंगे।



(2) सीधे प्रवेश योग्य (Outright) प्रत्याशियों की पात्रता, साक्षात्कार, मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ के प्रमाणीकरण के आधार पर तय होगी। ऐसे प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/जिलाधीश से अपना शपथ-पत्र/मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणित करा प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्तर पर आयोज्य आमंत्रण प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्र भार अंक हेतु विचार योग्य नहीं माने जायेंगे।

(च) प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होगी –

- 1.(अ) **प्रवेश सम्बन्धी विज्ञापित (Admission Notification)** – प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व कुल सचिव/अधिष्ठाता प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रवेश स्थान, आवश्यक योग्यता, आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियां महाविद्यालयों/विभागों के सूचना पट्ट पर भी लगाई जायेगी।
- (ब) **प्रवेशार्थ आवेदन-पत्रों का वितरण (Distribution of Application Forms)** – आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mlsu.ac.in पर ऑनलाइन (online) भरा जायेगा। भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति मय आवेदन फीस रु.100/- बैंक चालान के साथ में अंतिम तिथि तक संबन्धित महाविद्यालय में जमा करवायें।
2. **आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि (Last Date for submitting Application Form)** पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रसारित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। तथापि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. **प्रवेश अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission)** निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विभागों/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।
 - (i) वे आवेदक जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक महाविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा शिक्षक अथवा उसके कारण कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।
 - (ii) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाये गये हो अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये गये हो या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।
 - (iii) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया हो।



- (iv) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा ग्रुप.111/83, दिनांक 3 जुलाई 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।
- (v) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई-लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

4. आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicants)

1. सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिये। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिये। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन-पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।
2. सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्र उसमें बताये गये प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित महाविद्यालय/संकाय/कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुंच जाना चाहिये।
3. **नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार होनी चाहिए।**
4. रेल तथा बस के किराये की रियायत केवल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश के समय ही, आवेदक के स्थाई पते वाले स्थान, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेखित है, के लिए दी जायेगी।
5. निवास का पता पूर्ण देना है। यदि पते में परिवर्तन हो तो कार्यालय को तुरन्त सूचित करना है।
6. परिचय पत्र प्रवेश की कार्यवाही पूरी होने पर दिया जायेगा।
7. प्रवेश सूची महाविद्यालय/संकाय/सूचना पट्ट पर लगाई जायेगी। प्रवेश पाये हुए छात्रों को निर्धारित दिनांक तक शुल्क अवश्य जमा कराना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
8. गलत घोषणा एवं प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा।
9. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में जो आवेदक एक से अधिक विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त विषय में प्रवेश के लिए स्नातक कक्षाओं के तीनों वर्षों की सत्यापित अंकतालिकाओं सहित अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश होने पर विद्यार्थी उसी विषय में प्रवेश शुल्क जमा कराये जिसमें वह अंतिम रूप से प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसका अन्य विषयों में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

5. आवेदक की घोषणा (Declaration by the Applicant) प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी यह घोषित करेगा कि –

- (i) मुझे किसी फौजदारी मुकदमें में सजा नहीं हुई है अथवा किसी फौजदारी मुकदमें के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।
- (ii) किसी भी न्यायालय में मेरे विरुद्ध फौजदारी का अथवा नैतिक अधमता का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।
- (iii) मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय ने अथवा संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता/आचार्य ने अथवा अन्य सक्षम अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई है, और न उसके लिए मुझे कोई दण्ड दिया गया है।



- (iv) गत सत्र में मैंने अनुशासनहीनता व परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है।
- (v) उपर्युक्त सूचनाओं में से यदि कोई झूठी निकलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाये।
- (vi) प्रवेश के पश्चात् भी यदि मैं (i) से (v) तक किसी प्रवृत्ति में लिप्त पाया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जावे।

6. आवेदन पत्र जमा कराना (Depositing of Application Forms)

उन सभी प्रवेशार्थियों को जो नवीन पाठ्यक्रम में अथवा उसी पाठ्यक्रम में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में प्रवेश चाहते हैं, अथवा पूरक परीक्षा में बैठ रहे हैं एवं अगली कक्षा में प्रवेश चाहते, अपना आवेदन-पत्र सभी दृष्टियों से पूरा कर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करा देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र यदि तिथि न बढ़ाई गई तो रद्द किये जा सकते हैं।

प्रवेशार्थ दिये गये आवेदन-पत्र एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। साथ ही प्रवेश के बाद एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। अलग-अलग आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभागों/महाविद्यालय में देने होंगे।

7. आवेदन-पत्र के साथ लाये जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना श्वेत-श्याम फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होगी।

- (1) अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकमालिका/तालिकाएँ। एम.ए./एम.कॉम. पूर्वाह्न में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगायें।
- (2) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- (3) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र।
- (4) उच्च विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।
- (5) यदि आवेदक शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (6) यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (7) रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिये गये बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (8) अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित हलफनामा देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (9) यदि आवेदक नौकरी में हो तो सम्बन्धित नियोजक का अनापत्ति एवं अच्छे व्यवहार व चरित्र का प्रमाण पत्र।



- (10) आवेदक एवं उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े।

टिप्पणियाँ :

- (i) यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन-पत्र रद्द किया जायेगा। मूल प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं तथा उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है।
- (ii) आवेदन-पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जायेगा।**
- (iii) प्रवेश समिति के संयोजक आवेदन पत्र के साथ दिये गये प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेंगे। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता-पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

8. आवेदन-पत्रों का पंजीकरण (Registration of Application Forms)

महाविद्यालय/विभाग के अधिष्ठाता/अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेशार्थ दिये गये आवेदन-पत्रों की सम्बन्धित सहायक लिपिक द्वारा प्रारम्भिक जांच के पश्चात् पंजीकरण किया जायेगा। तत्पश्चात् ये आवेदन-पत्र विभिन्न कक्षाओं/विभागों में प्रवेश हेतु गठित समितियों को अग्रेषित कर दिये जायेंगे।

9. प्रवेश समिति (Admission Committee)

किसी संकाय में प्रवेश हेतु **निर्धारित अंतिम तिथि** तक जमा किये गये आवेदन-पत्र प्रवेश समिति द्वारा एक साथ विचारार्थ लिये जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन संघटक महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सम्बन्धित संकाय समन्वयक/विभागों के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

10. प्रवेश प्रक्रिया (Procedure of Admission)

- (i) उन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियमानुसार होने वाले भार अंक एवं समय-समय पर सूचित किये गये अन्य प्राप्त नियमों के आधार पर होगा।
- (ii) विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) कक्षा में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित स्थान के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियां बनाई जायेगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों से पहले प्रवेश निश्चित किये जायेंगे एवं बचे हुए आवेदकों के नाम यदि कोई हो तो उन्हें सामान्य योग्यता सूची में योग्यता के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।



- (iv) प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत गठित किये गये समन्वयकों के कार्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी –
1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (कला संकाय के सभी विषय) में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के आवेदन-पत्र स्वीकार करना। इसके लिए केन्द्र पर दो काउन्टर होंगे। एक काउन्टर पर रियायतें एवं भार चाहने वाले अन्य सभी आवेदन-पत्र जमा होंगे तथा दूसरे काउन्टर पर बिना रियायत एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन पत्र जमा होंगे।
 2. रियायतें एवं भार चाहने वाले प्रत्याशी आवेदन पत्र कार्य दिवस में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ सम्बन्धित संकाय की वेटेज कमेटी के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने पर आवेदन-पत्र पर रियायत एवं भार देय नहीं होगा।
 3. वेटेज समिति को मूल प्रमाण-पत्रों में प्रमाणीकरण और प्रत्याशी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरान्त देय रियायतें एवं भार उसके आवेदन-पत्र पर अंकित कर प्रतिदिन के आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति को भिजवाना है। **सीधे उत्तीर्णाक पर प्रवेश लेने वालों के मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिए कार्यालय में जमा किये जायेंगे। इसके साथ इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकृत शपथ-पत्र भी जमा कराना होगा।**
 4. प्रवेश समिति, प्रतिदिन प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अपने कार्यालय में करायेगी एवं प्रिन्ट आउटपुट का मूल आवेदन-पत्र की प्रविष्टियों से जांच करती रहेगी। डेटा एन्ट्री एवं जांच का कार्य आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के अगले दो दिन तक पूर्ण कर लेना होगा।
 5. आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षित स्थानों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा, जिसकी अंतिम तिथि पूर्व घोषित सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से तीन दिन बाद की होगी।
 6. ऐसे विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री व जांच कार्य सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के चौथे दिन तक पूरा कर लिया जायेगा।
 7. प्रत्येक केन्द्र पर योग्यता वरीयता क्रम के अनुसार तथा प्रथम विषय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की समस्त प्रत्याशी सूची आवेदन-पत्र जमा करने की सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से 4 दिन बाद सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी।
 8. योग्यता वरीयता क्रम की प्रसारित सूची के अनुसार व्यक्तिगत प्रवेश प्रक्रिया का परामर्श कार्यक्रम सूचना पट्ट पर लगाया जायेगा, जिसमें प्रत्येक दिन को बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों का विवरण उल्लेखित होगा। उसी क्रम से प्रत्याशी अपने अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों, सत्यापित प्रतिलिपियों एवं आवश्यक शुल्क आदि लेकर परामर्श के लिए प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित केन्द्र पर निश्चित दिन व समय पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त माना जाएगा।
 9. समस्त परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तथा निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि किसी श्रेणी में किसी केन्द्र पर स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें भरने के लिए योग्यता प्रवेश सूची में सम्मिलित किन्तु अवसर से वंचित प्रत्याशियों को परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर एक अन्तिम अवसर और दिया जा सकेगा।



- यह अवसर केवल उन प्रत्याशियों को दिया जायेगा जिनके **पुनर्विचार के लिए लिखित में आवेदन-पत्र** उनकी पूर्व में निर्धारित परामर्श तिथि के दो दिन के भीतर केन्द्र में प्राप्त हो चुके होंगे। आवंटित विषय परिवर्तन हेतु भी लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसी पुनः परामर्श प्रक्रिया में विचार किया जायेगा।
10. यह अन्तिम पुनः परामर्श प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में आरम्भ हुई परामर्श प्रक्रिया के दिन के आठ दिन बाद दो दिन में पूरी कर ली जायेगी और अन्तिम प्रवेश सूची का प्रसारण सभी महाविद्यालयों में करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के वह सूची प्रेषित कर दी जायेगी।
 11. परामर्श प्रवेश प्रक्रिया के दिन प्रत्याशी को पूर्ण शुल्क का ड्राफ्ट/नकद केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।
 12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् किसी कारणवश यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसके लिए आवेदन पत्रों के अभाव में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा सकते हैं। किन्तु यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति द्वारा पूरी कर ली जायेगी।

(v) समस्त विधि सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया

1. विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारत विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) के नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन होंगे तथा रियायतों एवं भार (Concession & Weightage) से मुक्त होंगे।
2. विधि स्नातक (एलएल.बी. त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्रवेश परीक्षा/वरीयता के आधार पर कक्षा की क्षमता तक प्रवेश दिये जा सकेंगे। कक्षा की कुल क्षमता 120 (स्ववित्त पोषित 60) विद्यार्थी हैं।
- 3.(i) प्रवेश परीक्षा देने के लिए वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधि, प्रौद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि (10+2+3) पद्धति से अथवा उपर्युक्त किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (10+2+3) पद्धति से स्नातक के बाद) में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किये हैं।
- (ii) राजस्थान के बाहर के प्रवेशार्थियों पर प्रवेश सामान्य नियम संख्या 4 लागू होगा।
- (iii) इस बुलेटिन के अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी किसी विद्यार्थी को विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि उसने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश की पात्रता अर्जित नहीं की है।
4. यदि किसी अभ्यर्थी का उपर्युक्त विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तब भी वह प्रवेश परीक्षा दे सकेगा किन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र तभी माना जायेगा जबकि वह प्रवेश के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा तथा उसका प्रवेश उपरोक्त नियम 2 के अधीन होगा।
5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत प्राप्तांक केवल विधि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन करने की योग्यता है, इससे प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।
6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित एवं पुनर्मूल्यांकन कराने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।



- 7.(i) किसी विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों से एक भी अंक कम होने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। विधि स्नातक के लिए अजा, जजा, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता पिछली परीक्षा के पास अंक (40%) रहेगी। विवरणिका के पृष्ठ 45 एवं 46 के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।
- (ii) सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्त पोषित सहित) अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जायेगी।
8. ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विभाग (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) में कार्यरत हो उनको विधि संकाय में प्रवेश तब ही दिया जायेगा जबकि वे अपने नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि वे उदयपुर नगर की सीमा में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर की सीमा के बाहर कार्यरत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदयपुर नगर में कार्यरत विद्यार्थियों को बिना उपरोक्त प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र महाविद्यालय से निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित तिथि पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
10. भारत की विधि परिषद् की अपेक्षा की पालना के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विवरणिका में कोई बात इसके विपरित होते हुए भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय विधि स्नातक की परीक्षा देने पर विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में असफल घोषित होने पर उनको नियमानुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।
11. विधि स्नातक का पाठ्यक्रम जो तीन वर्ष का है यदि कोई विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होता है और विश्वविद्यालय के प्रोन्नत (Promoted) के नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष विधि में प्रवेश पा लेता है लेकिन विधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में उसे प्रवेश तभी दिया जायेगा जबकि वह पूर्ण रूप से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुका हो।
12. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. विधि पाठ्यक्रम बार कौन्सिल के नियमों के अध्याधीन है। अतः 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी। नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vi) एम.ए. के लिए योग्यता निर्धारण**
- एम.ए. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के निर्धारण हेतु जिस विषय में अभ्यर्थी प्रवेश चाह रहा है उस विषय में उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों को बी.ए. के प्राप्तांकों को जोड़कर योग्यता का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रवेशार्थी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। प्रवेश हेतु उन्हीं संकाय के स्नातक डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों की योग्यता वरीयता का निर्धारण 5% अतिरिक्त अंक देकर दिया जायेगा। इसके लिए प्रवेशार्थ न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। **एम.कॉम. में प्रवेश बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.बी.एम. में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही देय होगा।**



(vii) प्रपत्रों की मूल प्रति जमा कराना (Depositing of Original Documents)

विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक प्रपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के पश्चात् ही शुल्क/डी.डी. जमा कराके उनके प्रवेश को निश्चित किया जायेगा।

11. वैकल्पिक विषय एवं लघु शोध प्रबन्ध (Optional Subjects & Dissertation)

जिन ऐच्छिक विषय/विषयों को विद्यार्थी लेना चाहता है उसका उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी कक्षा में ऐच्छिक विषयों को योग्यता के आधार पर उन आवेदकों को दिया जायेगा, जो उन विषयों को लेने के इच्छुक हैं। कक्षा में विषय की क्षमता तक ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में ऐच्छिक विषय व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त दिये जायेंगे, जिनमें सामान्यतया परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. पूर्वार्द्ध परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी ने 55 प्रतिशत अंक अर्जित किये हैं तो उत्तरार्द्ध परीक्षा के लिए सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र के स्थान पर लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) को विभाग द्वारा वांछित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुमति दी जा सकेगी। (अजा/जजा हेतु 50% अंक माने जायेंगे।)

12. विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के जिन विद्यार्थियों का आरक्षण कोटे के भरने के बाद भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसे विद्यार्थी अगर उदयपुर के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किये जा सकेंगे।

13. प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission)

अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है –

- (i) आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिये गये हों।
- (ii) यदि आवेदन-पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किये गये हों।
- (iii) यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न किये गये हों।
- (iv) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाये जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया हो।
- (v) यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।
- (vi) परिस्थितिजन्य अन्य कोई समुचित कारण/आदेश होने पर।

14. पाठ्यक्रम को स्थगित करना (Suspension of Course of Study)

यदि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो पाये तो विद्यार्थियों को प्रवेश दे देने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है। यदि किसी नवीन पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या स्नातक पाठ्यक्रम में 10, ऑनर्स में 5 एवं स्नातकोत्तर में 3 न हो तो उस पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अन्य पाठ्यक्रम के पात्र हो तो उन्हें उसमें जाने की अनुमति अथवा प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस लेने की अनुमति दी जायेगी।



15. उत्तर-पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Re-evaluation of Answer-Books)

किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह पुर्नमूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जायेगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

16. पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Students Qualifying at Supplementary Examination)

पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त हो एवं नियम 7 के अधीन वे योग्यता सूची में आते हो। निर्धारित तिथि वही होगी जो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए है तथा यह सुविधा केवल स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए है।

17. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों का प्रवेश (Admission of Students coming from other Universities of Rajasthan)

राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण यहाँ द्वितीय वर्ष में 30.09.2014 तक प्रवेश दिया जा सकेगा। उन्हें दो वर्ष की उपाधि प्रदान की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। किन्तु तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जायेगा।

18. अतिरिक्त विषय/समूह गुप की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश (Admission of Students Appearing in Additional Subjects Group)

किसी विषय की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी विषय के किसी अतिरिक्त विषय समूह में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी को कक्षा में रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल अतिरिक्त विषय/समूह की अंकतालिका ही दी जायेगी।

19. प्रवेश वर्जित

- (i) अन्य महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं हैं।

20. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ

- (i) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आधिकारिक रूप से प्रवेश का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होने पर भी किसी विद्यार्थी को बिना कारण बताये प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है।



- (ii) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकता है, यदि वह विश्वविद्यालय अधिनियम व उपनियमों की धाराओं का अथवा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन अथवा किसी अपराध के लिए दण्डित हुआ हो अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो अथवा यह पाया जाए कि उसने प्रवेश के लिए गलत जानकारी अथवा प्रपत्र दिये हैं।
- (iii) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विधि संकाय के पाठ्यक्रमों, विद्यावाचस्पति (Ph.D.) तथा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग नियम बनाये गये हैं, उनको कृपया अलग से देखें।
- (iv) अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम इस विवरणिका के पृष्ठ 45 एवं 46के अनुसार लागू रहेंगे।

21. प्रवेश अधिकारी

स्नातक स्तर के सभी प्रवेश समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किये जायेंगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समन्वयक/विभागाध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रवेश अधिकृत संचालक द्वारा किये जायेंगे। इस संबंध में निर्णय का इन्हें विश्वविद्यालय के नियमों तथा निर्णयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार होगा।

22. Special Rules Regarding Foreign Students

A. ADMISSION

1. Candidates who have qualification from outside India and are now willing to join any course with the University must first apply to Association of Indian Universities (AIU) Delhi for equivalence certificate, having obtained such certificate, they should apply for eligibility letter for admission to the University. In order to obtain eligibility letter for admission to Ph.D. Programme, the candidate must also submit approved synopsis of Ph.D. by a recognised supervisor, along with the application.
2. In respect of those students who produce letter of admission eligibility form this University, the Indian mission abroad will issue Student Visa/ Research Visa.
3. The foreign students seeking admission to any course of the University including Ph.D. should apply through their embassy/high commission. Those who have passed their qualifying examination from a University, within India (other than MLSU) should also apply under intimation to their embassy/high commission. They also have to submit migration certificate within one month from the date of provisional admission.
4. A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided he/she has obtained minimum 60% marks in the qualifying examination. This rule, however, will not apply in case of those candidates who qualify their graduation from this University.
5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates shall be eligible who had English as a subject in their qualifying examination.



6. For admission to First Year of the Three-Year Degree Course in science faculty, only those candidates shall be eligible who had General Science as a subject in their qualifying examination.
7. The Dean, P.G. Studies will decide the cases for Ph.D. enrollment of foreign students in consultation with the International Students Advisor.
8. The foreign students are required to submit a Medical Fitness Certificate from the specified authority by the Ministry of Home at the time of their admission. They will also submit an AIDS Test Report from S.M.S. Hospital, Jaipur /R.N.T. Medical College, Udaipur for ICMR AIDS SURVEILLANCE Centre.
9. Residential permit granted for studies and entry-visa for more than six months will be treated at par with student visa.
10. All foreign students seeking admission to this University shall be apprised that the medium of instruction in the University is generally Hindi at the Undergraduate level.
11. All foreign students will be admitted, if otherwise found eligible only as regular students in the college concerned. Foreign students are not eligible to appear as a Non-Collegiate (Private) candidate at any examination of this University.
12. Failure students shall be allowed to take regular admission in the same class only twice in the immediate successive session. He/she shall not be entitled to become Ex-students in any case. In case he/she does not pass any class within three years, he/she has to go back to his/her country.
13. The University shall not accept any admission on transfer and/or allow to change his/her admission from other educational institutes/from any other University into this University during packaged programme of study.
14. Foreign students is required to submit a copy of the registration with Criminal Investigation Department, Udaipur after he/she is admitted.
15. Foreign students are required to submit all original documents for verification to the Head of the Institution while seeking admission in the college concerned.
16. Students who fail to furnish the required documents at the time of admission, his/her admission shall remain provisional for a period not beyond 31st December every year. Thereafter provisional admission shall be cancelled by the University/Institution and the matter shall be reported to the Ministry and Embassy concerned.



B. FEE

1. Tuition Fee
 - (i) Undergraduate Courses

First Year	Rs.340 per month
Second Year and Third Year	Rs. 440 per month
 - (ii) Post-Graduate Course Rs. 540 per month
 - (iii) M.Phil Rs. 800 per month
 - (iv) Ph.D. Rs.9600 per year
2. University shall charge Rs.100 (One Hundred only) as Eligibility verification fee on admission.
3. Fees under all other heads charged from local students, shall be payable by foreign students at the same rates.

C. DISCIPLINE

Foreign students are required to maintain good conduct during the course of studies in the University and are to act according to the advice of the Dean Students Welfare, International Students Advisor, Head of the Institution concerned and other University authorities. Otherwise disciplinary action shall be taken as per provisions existing in the Information Bulletin of the University/Institute. They shall not participate into local politics and local franchise except students Union Election wherein they will be eligible to cast a vote only.

2. The student shall make payment of college fee and University dues punctually on the prescribed dates.
3. If the foreign students remain absent from the class for one month continuously, his/her admission will stand cancelled and he/she will be no more a student of the college.

D. MISCELLANEOUS

1. In case, a foreign student desires to leave for abroad during the course of study, he/she should obtain No Objection Certificate from the Head of Institution/Department and Immediately on return. He/She should submit a certificate of medical fitness to the concerned Institution/ Department.
2. So long, the student is not registered for any of the course, the University authorities will not issue a bonafide students certificate to him.
3. The Head of the Institution/Dean P.G. Studies will send the details of the foreign students immediately after their admission to the Registrar and the International Students Advisor.
4. All other rules and regulations for local students shall apply for foreign students also.



उपस्थिति (Attendance)

1. विश्वविद्यालय के समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिनमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित है) की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय-समय पर किये गये रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।
3. **प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं सम्बन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं अपने प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के अनुसार उपस्थिति का लेखा-जोखा रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।**
4. जो छात्र संस्थान/विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अनुमत सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, जैसे खेल-कूद, गणतंत्र दिवस परेड, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे गये उन्हें उपरोक्त गतिविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय में कक्षा में दिये गये व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा, इसमें यात्रा के दिन भी सम्मिलित किये जायेंगे। पर यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अवधि में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जायेगी। उपस्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त और कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।
5. जो विद्यार्थी अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उस विद्यार्थी का नाम सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा छात्रा एवं उसके माता/पिता को सूचित किया जायेगा। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
6. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा।
7. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपेक्षित उपस्थिति की कमी के कारण उन पाठ्यक्रमों में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया है, जिनमें स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के बैठने का विधान है, उन विद्यार्थियों को उसी वर्ष, स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे इसके लिए लिखित आवेदन करें और अवशिष्ट आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दें।



शुल्क (Fees)

शिक्षण शुल्क जुलाई से जून तक बारह महीनों के लिए अग्रिम किश्त में महाविद्यालय अधिष्ठाता को निर्धारित तिथि पर देय होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पाता है तो उसे अधिष्ठाता को विलम्ब के कारणों को बताना होगा। यदि अधिष्ठाता कारणों के औचित्य से संतुष्ट होते हैं तो शुल्क जमा कराने की अनुमति दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे।

1. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)

कक्षा	आयकर न देने वाले के आश्रित	आयकर देने वाले के आश्रित
1. स्नातक कक्षाएँ त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम		
प्रथम वर्ष	रु. 100/- प्रतिमाह	रु. 150/- प्रतिमाह
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	रु. 130/- प्रतिमाह	रु. 200/- प्रतिमाह
2. स्नातकोत्तर कक्षाएँ		
छात्र	रु. 200/- प्रतिमाह	रु. 300/- प्रतिमाह

टिप्पणियाँ

- निम्न श्रेणी के सभी विद्यार्थियों से उचित प्रमाण-पत्र की उपलब्धि पर कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा—
 - स्नातक एवं स्नातकोत्तर भारतीय छात्राएँ।
 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी।
 - पूर्व सैनिक जो स्थाई रूप से असमर्थ हो गये हो और राजस्थान में बस गये हों, वे स्वयं अथवा उनके आश्रित छात्र तथा भारतीय सीमाओं पर हुए युद्धों में मृतक सैनिकों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान में बस गए हों (अन्य सैनिकों को कोई शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगा)।
 - सन् 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गये अथवा स्थाई रूप से असमर्थ हो गए राजस्थान से सम्बन्धित सेना/सीमा सुरक्षा बल/सशस्त्र पुलिस के सदस्यों के बच्चे अथवा पत्नी। (इस श्रेणी के छात्रों से परिचय-पत्र शुल्क छोड़कर शेष स्थानीय शुल्क भी नहीं लिये जायेंगे।)
 - राज्य सरकार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के आयकर नहीं देने वाले कर्मचारियों के संरक्षित। (कोई भी विद्यार्थी जिसके पिता जीवित है और अपंग नहीं है, के संरक्षक उसके पिता ही होंगे। पिता के अपंग होने अथवा मृत होने पर उसका सगा भाई/अविवाहित बहिन/माता उसके संरक्षक होंगे।)
 - सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमानुसार आगे पढ़ने की अनुमति मिली हुई है एवं आयकर नहीं देते हैं।
 - समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों के बच्चे (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)।



2. विद्यार्थी के अनुचित व्यवहार एवं अनुचित आचरण का दोषी पाये जाने पर उपर्युक्त रियायतें तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जायेगी।
3. विद्यार्थी शुल्क की रसीदों को सुरक्षित रखें। एन.सी.सी. का गणवेश, पुस्तकालय पाठक कार्ड आदि शुल्क की रसीद दिखाने पर ही दिया जायेगा।
4. विद्यार्थी को यह रियायत सेना के अभिलेख कार्यालय अथवा पुलिस अधिकारियों से 'एन्टाइटलमेन्ट पत्र' प्रस्तुत करने पर अनुज्ञेय होगी। रियायत स्थाई रूप से असमर्थ स्वयं सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, को भी उपलब्ध होगी।
ऐसी शुल्क मुक्ति का पुनर्भरण महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 4 (2) शिक्षा जी.आर.11/72, दिनांक 4.4.73 के अन्तर्गत किया जायेगा।
5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रज्ञा-चक्षु (अन्धे) छात्र निम्न शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे –

(अ) शिक्षण	(ब) परीक्षा
(स) पुस्तकालय अवधान द्रव्य	(द) पुस्तकालय
(य) क्रीड़ा	(र) विद्यार्थी सहायता

2. अन्य शुल्क (Other Fees)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. प्रवेश शुल्क | रु. 100/- (केवल नये विद्यार्थियों से) |
| 2. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान एवं कला संकाय में प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए)* | |
| स्नातक कक्षा तक | रु. 300/- प्रतिवर्ष |
| स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए | रु. 350/- प्रतिवर्ष |
| 3. नामांकन शुल्क** | रु. 250/- प्रतिवर्ष |
| 4. योग्यता शुल्क | |
| (i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय | रु. 200/- एक बार |
| (ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि. एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर) | रु. 500/- एक बार |
| 5. ऐलीमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन (केवल द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों से) | रु. 500/- प्रतिवर्ष |
| 6. एम.ए. (उत्तरार्द्ध)/एम.लिब. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्छिक प्रश्न-पत्र) | रु. 950/- प्रतिवर्ष |

3. स्थानीय शुल्क (Local Fees)

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. क्रीड़ा शुल्क | रु. 100/- प्रतिवर्ष |
| 2. स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क | रु. 60/- प्रतिवर्ष |



3. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष
4. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 50/- प्रतिवर्ष
5. मनोरंजन शुल्क	रु. 30/- प्रतिवर्ष
6. विकास शुल्क	रु. 170/- प्रतिवर्ष
7. परिचय पत्र शुल्क	रु. 40/- प्रतिवर्ष
8. छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 80/- प्रतिवर्ष
9. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
10. छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 70/- प्रतिवर्ष
11. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
12. मुक्त प्रणाली (वाचनालय)	रु. 50/- प्रतिवर्ष
13. छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 40/- प्रतिवर्ष
14. वाहन स्टेण्ड शुल्क	रु. 50/- प्रतिवर्ष
15. वाहन स्टेण्ड शुल्क (स्वयंपाठी छात्रों से परीक्षा के दौरान)	रु. 50/- प्रतिवर्ष
16. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 50/- प्रतिवर्ष
17. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 25/- प्रतिवर्ष
18. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 200/- एक बार
19. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 200/- एक बार
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	रु. 60/- प्रतिवर्ष
21. शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	रु. 300/- प्रतिवर्ष

(जहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।)

4. एम.फिल. शुल्क (M.Phil. Fees)

1. शिक्षण शुल्क	रु. 400/- प्रतिमाह
2. प्रवेश शुल्क	रु. 300/- प्रतिवर्ष
3. क्रीड़ा शुल्क	रु. 200/- प्रतिवर्ष
4. स्पोर्ट बोर्ड शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
5. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
6. मनोरंजन शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष
7. विकास शुल्क	रु. 600/- प्रतिवर्ष
8. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	रु. 200/- प्रतिवर्ष
9. परिचय-पत्र शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष



10. छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष
11. वाहन स्टेण्ड शुल्क	रु. 90/- प्रतिवर्ष
12. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
13. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 80/- प्रतिवर्ष
14. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
15. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 300/- एक बार
16. छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 120/- प्रतिवर्ष
17. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
18. छात्र-संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 120/- प्रतिवर्ष
19. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	रु. 100/- प्रतिवर्ष

* कला संकाय में संगीत, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला शुल्क लिया जायेगा।

** उन विद्यार्थियों से जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन होना है।

5. विद्यावाचस्पति शुल्क

1. पंजीकरण शुल्क (विश्वविद्यालय में)	रु. 5,000/- एक बार
2. शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों से) (महाविद्यालय में)	रु. 4,000/- प्रतिवर्ष
3. परीक्षण शुल्क (थीसिस प्रस्तुत करते समय) (विश्वविद्यालय में)	रु. 10,000/- एक बार

शोध विद्यार्थी को पंजीयन आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय विवरणिका उपलब्ध करवायी जायेगी।

शोध छात्र द्वारा पंजीकृत होने की तिथि से शुल्क देय होगा। प्रवेश के समय निम्नांकित स्थानीय शुल्क भी जमा करना होगा।

स्थानीय शुल्क

4. प्रवेश शुल्क	रु. 300/- एक बार
5. वाचनालय शुल्क	रु. 150/- प्रतिवर्ष
6. छात्र सहायता निधि शुल्क	रु. 50/- प्रतिवर्ष
7. परिचय-पत्र शुल्क (RFID/Smart Card)	रु. 100/- प्रतिवर्ष
8. साईकिल स्टेण्ड शुल्क	रु. 100/- प्रतिवर्ष
9. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय) (गणित व सांख्यिकी को छोड़कर)	रु. 300/- प्रतिमाह



10. छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 70/- प्रतिवर्ष
11. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
12. छात्र-संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 70/- प्रतिवर्ष
13. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
14. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	रु. 60/- प्रतिवर्ष
15. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	रु. 40/- प्रतिवर्ष
16. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	रु. 200/- एक बार
17. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (विज्ञान संकाय में)	रु. 300/- एक बार
18. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	रु. 130/- प्रतिवर्ष
19. विकास शुल्क	रु. 450/- प्रतिवर्ष
20. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	रु. 60/- प्रतिवर्ष

टिप्पणियाँ :

1. विश्वविद्यालय के संघटन एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी से, जो विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु पंजीकृत होते हैं, शिक्षण तथा प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल प्रवेश एवं पंजीकरण शुल्क देना होगा।
2. आई.सी.ए.आर., यू.जी.आई.आई., आई.सी.एस.एस.आर. इत्यादि की शोध योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे शोध छात्रों को जो विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत हैं और यदि वे अधिष्ठाता की पूर्वानुमति से विभाग के शिक्षण कार्य में आवश्यक कालांश का शिक्षण कार्य करते हैं तो उन्हें शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।
3. अध्यापक शोधकर्ता (Teachers Research Fellow) जो संकाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करते हैं, के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
4. छात्राओं के लिए भी शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के शोधकर्ता के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों को जो कि विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत है, शिक्षण शुल्क से मुक्ति या पुनर्भरण देय नहीं है।
7. अवधान द्रव्य जो देय है, की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर यदि छात्र द्वारा वापस नहीं ली गई तो अदेय होकर विश्वविद्यालय के लिए व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।
8. विवरणिका में इंगित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस देय नहीं होगा।
9. परिचय पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए रु. 100/- शुल्क देना होगा। स्मार्ट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए शुल्क रु. 200/- देना होगा।



10. शोधार्थी प्रतिवर्ष सभी प्रकार के अपेक्षित शुल्क रजिस्ट्रेशन तिथि से एक माह के भीतर जमा कराएगा अन्यथा 500 रु. प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा अन्यथा अधिकतम प्रतिवर्ष 1000 रु. विलम्ब शुल्क देय होगा।
1. पी.एच.डी कार्यक्रम में जिन छात्रों को प्रवेश मिलता है विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक महीने के अन्दर महाविद्यालय शुल्क जमा कराना होगा।
 2. महाविद्यालय शुल्क जमा कराने के लिए उपस्थिति पत्र शोध निर्देशक के हस्ताक्षर और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिये।
 3. यदि कोई शोधार्थी एक वर्ष से अधिक समय तक महाविद्यालय शुल्क नहीं जमा कराता है तो उसका पंजीयन निरस्त हो जायेगा।
 4. पंजीकरण के द्वितीय वर्ष के पश्चात् महाविद्यालय शुल्क उन्हीं शोधार्थियों से प्राप्त की जावेगी जिन्होंने अधोहस्ताक्षकर्ता से वार्षिक प्रतिवेदन जमा करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।
11. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।
12. ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पीएच. डी. सम्पूर्ण कर जमा करवाना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन की दिनांक से एक माह की अवधि में यदि अपना शोध ग्रंथ (Thesis) जमा करवाते हैं तो शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

6. शुल्क वापसी (Refund of Fees)

- (क) विद्यार्थी द्वारा जमा कराये गये समस्त शुल्क में से रु. 1000/- (एक हजार रुपये) प्रवेश प्रक्रिया का काटकर पुनः तभी लौटाया जा सकेगा जब प्रवेश की अंतिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट भर ली गई हो।
- (ख) प्रवेश शुल्क की वापसी किसी भी स्थिति में नहीं होगी।
- (ग) जिस विद्यार्थी को किसी प्रलेख के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्थाई प्रवेश दिया गया है और वह निर्धारित अवधि में उस प्रलेख को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रवेश रद्द होने पर उसका अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।
- (घ) यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा अथवा अन्य किसी भी कारण से अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है परन्तु बाद में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य कारण से अगली कक्षा में प्रवेश के अयोग्य घोषित होने के कारण उसका अगली कक्षा का प्रवेश निरस्त हो जाता है तो उसके द्वारा अगली कक्षा के लिए जमा कराया गया शुल्क, अवधान द्रव्य के अतिरिक्त वापस देय नहीं होगा।
- (ङ) शुल्कों की वापसी के लिए सभी कार्यवाही प्रत्येक सत्र में अक्टूबर माह के पश्चात् ही होगी परन्तु विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अंत तक इस राशि की मांग नहीं करने पर वह राशि व्ययगत (Lapse) हो जायेगी।

7. विश्वविद्यालय के अन्य शुल्क

- | | |
|--|------------------|
| 1. नामांकन | 250 रुपये |
| 2. योग्यता शुल्क | |
| (i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय | रु. 200/- एक बार |
| (ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि. | रु. 500/- एक बार |
| एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर) | |



3.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र	150 रुपये
4.	वरीयता प्रमाण पत्र	200 रुपये
5.	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	100 रुपये
6.	बाह्य विद्यार्थियों के परीक्षा फार्मों का अग्रेषण	20 रुपये
7.	चरित्र प्रमाण पत्र/नियमित छात्र प्रमाण पत्र	20 रुपये
8.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र	50 रुपये
9.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क – स्नातक स्तर	300 रुपये प्रति पेपर
10.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क – स्नातकोत्तर स्तर	350 रुपये प्रति पेपर
11.	डुप्लिकेट अंकतालिका (2008 से 2012 तक)	300 रुपये
12.	डुप्लिकेट अंकतालिका (2008 से पूर्व की)	500 रुपये
13.	डुप्लिकेट प्रोविजनल प्रमाण पत्र	500 रुपये
14.	डुप्लिकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र	300 रुपये
15.	डुप्लिकेट डिग्री	1500 रुपये
16.	सत्यापन प्रमाण पत्र (प्रति प्रमाण-पत्र)	300 रुपये
17.	ट्रान्सक्रिप्ट (प्रति ट्रान्सक्रिप्ट)	500 रुपये

8. परीक्षा शुल्क

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-student	Non-Coll.
				(Incl. Dev. & other fee)
1.	B.A./ B.A. (Hon's) B.Com./ B.Com. Hon's/ All B.Sc. for each part & Add. Sub. for all faculties	600	800	1100
2.	M.A./ M.Sc./ M.Com. (previous & final) and M.Tech. Geology	800	1000	1300
3.	For Improvement of Paper in U.G. P.G.		800 1000	1100 1300
4.	M.Phil (Arts / Commerce)	2000	2200	
5.	B.Ed.	1350	1500	
6.	M.Ed.	1350	1500	



7.	LL.B. each part	800	1000	
8.	B.B.A. LL.B. per semester	700	900	
9.	LL.M. each part	1000	1200	
10.	B.Lib. Sc.	800	1000	
11.	M.Lib. Sc.	1100	1300	
12.	B.P.E. I/II/III for each part	1350	1500	
13.	M.P.E. (P/F) for each part	1350	1500	
14.	B.Pharma each part	1350	1500	
15.	B.E. Each part / Sem.	1350	1500	
16.	M.B.A./M.I.B./M.H.R.M./M.F.C. M.R.M/M.B.I./M.C.A (per sem./ part)	1200	1500	
17.	M.B.A. (executive) part I/II/III (each part / sem)	1200	1500	
18.	All U.G./P.G. Dip./ Cert.Courses	1100	1350	
19.	B.V.A.	700	800	
20.	B.C.A. anual	900	1100	
21.	B.C.A. per semester	700	900	
22.	B.P.Ed.	700	900	
23.	M.T.M. each part / sem.	1200	1600	
24.	M.Sc. I.T.	1100	1250	
25.	M.B.A. (Service sector) per sem.	1100	1250	
26.	B.M.S.	1100	1250	
27.	Electronic Comp. App. practicals	200	350	500
28.	B.T.M./B.H.M./B.B.M. each sem/part	880	1030	
29.	M.Pharm. each part/sem	1100	1250	
30.	U.G.C. Oriented Course	610		

9. परीक्षा आवेदन पत्र (Admission Card)

परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क तथा प्रलेखों के साथ प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी जांच की जायेगी तथा उसके समुचित पाये जाने पर परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। प्रवेश पत्र खो जाने अथवा नष्ट होने के बारे में परीक्षा नियंत्रक/केन्द्राध्यक्ष के संतुष्ट होने पर 10 रुपये के भुगतान पर दूसरी प्रति दे दी जायेगी।



10. छात्रावास शुल्क (Hostel Fees)

छात्रावास सम्बन्धी शुल्कों के लिए छात्रावास विवरण का अवलोकन करें।

11. विधि महाविद्यालय शुल्क विवरण

(क) शिक्षण शुल्क (जुलाई-जून)

— स्नातक	
आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	400 रुपये प्रतिमाह
आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	300 रुपये प्रतिमाह
— डिप्लोमा श्रम विधि	
आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	400 रुपये प्रतिमाह
आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	350 रुपये प्रतिमाह
— निष्णात	600 रुपये प्रतिमाह

टिप्पणी : विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क आयकर देने वालों की श्रेणी के शुल्क का पांच गुना होगा।

(ख) स्थानीय शुल्क

1. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	60 रुपये प्रतिवर्ष
2. छात्र सहायता निधि शुल्क	40 रुपये प्रतिवर्ष
3. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	50 रुपये प्रतिवर्ष
4. विकास शुल्क	170 रुपये प्रतिवर्ष
5. सार्किल स्टेण्ड नियमित विद्यार्थी	50 रुपये प्रतिवर्ष
6. परिचय पत्र शुल्क	40 रुपये प्रतिवर्ष
7. मनोरंजन शुल्क	30 रुपये प्रतिवर्ष
8. छात्र न्यायालय (मूटकोर्ट) शुल्क	150 रुपये प्रतिवर्ष
9. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शुल्क	60 रुपये प्रतिवर्ष
10. पुस्तकालय द्रव्य (वापस देय)	
अ- स्नातक	350 रुपये एक बार
ब- निष्णात (एलएल.एम./डिप्लोमा इन लेबर लॉ)	650 रुपये एक बार
11. क्रीड़ा शुल्क	100 रुपये प्रतिवर्ष
12. स्पोर्ट बोर्ड शुल्क	60 रुपये प्रतिवर्ष
13. छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	80 रुपये प्रतिवर्ष
14. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	40 रुपये प्रतिवर्ष
15. छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	70 रुपये प्रतिवर्ष



16. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	40 रुपये प्रतिवर्ष
17. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	50 रुपये प्रतिवर्ष
18. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	25 रुपये प्रतिवर्ष
19. प्रेक्टिकल डायरी, टाई एवं लीगल कैम्प	250 रुपये प्रतिवर्ष
20. तकनीकी जर्नल एवं साफ्टवेयर फीस	150 रुपये प्रतिवर्ष

(ग) अन्य शुल्क

प्रवेश शुल्क	100 रुपये (केवल नये विद्यार्थियों)
नामांकन शुल्क*	250 रुपये प्रतिवर्ष
योग्यता शुल्क**	
(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	रु. 200/- एक बार
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि. एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	रु. 500/- एक बार
* केवल उन्हीं से लिया जायेगा जो विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित नहीं हुए हो।	
** राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क के अतिरिक्त।	

नोट :

1. शुल्क विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार पर समय-समय पर पुनरीक्षित अथवा उपान्तरित किये जा सकते हैं।
2. सभी शुल्क प्रवेश के समय लिये जायेंगे।
3. अवधान द्रव्य की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर विद्यार्थी द्वारा वापस नहीं ली गई तो विश्वविद्यालय को व्ययगत हो जाएगी और वापस देय नहीं होगी।
4. परिचय-पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जायेगा।
5. जुर्माना सहित बकाया (एरियर्स) पुनः प्रवेश शुल्क 5 रुपया के भुगतान पर काटे गए नाम को पुनः लिखना अधिष्ठाता के विवेकाधिकार में होगा।
6. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा।
7. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
 - (a) स्नातक भारतीय छात्राएँ राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(25)शिक्षा-1/77, दिनांक 27.12.89, सु.वि.वि. पृ.क्र. 13/(37)/सामान्य/1994-1701, दिनांक 9.1.1990 तथापि पूर्ववत् स्वपोषित व्यवसायिक एवं निस्तारित (Extended) पाठ्यक्रमों में अन्य शुल्कों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क भी लिया जाता रहेगा।
 - (b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमिलेयर को छोड़कर) विद्यार्थियों से।
8. परीक्षा शुल्क के साथ प्रति परीक्षार्थी ई-सुविधा शुल्क रुपये 100/- लिया जायेगा।



सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
2. **परिभाषाएँ** : सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं –
 - (क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।
 - (ख) कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।
 - (ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।
 - (घ) सभी प्रकार की जांच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।
 - (ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणेत्तर कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।
 - (च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएँ भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग करना।
 - (छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।
 - (ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक औषधि/सामग्री का उपयोग करना।
 - (झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।
 - (ञ) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में संलग्न होना।
 - (त) उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।
 - (थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तित्ता (Impersonation)
 - (द) उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।

नोट : परीक्षाओं ता छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिये निर्धारित नियम लागू होंगे।

3. अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)

अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जायेगा –



- | | |
|---|--|
| (अ) संस्थाध्यक्ष, अधिष्ठाता, प्राचार्य | (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक |
| (इ) प्रमुख प्रोक्टर | (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष |
| (उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/छात्र कल्याण के सहायक अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रोक्टर | |
| (ऊ) विभागों के अध्यक्ष | (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन |
| (ऐ) शारीरिक शिक्षाधीक्षक, खेल शिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी। | |

4. प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)

- (क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए कुलपति द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जायेगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सम्मिलित हैं।
- (ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा –
1. प्रमुख प्रोक्टर (अध्यक्ष)
 2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रोक्टर
 3. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत सदस्य
- (ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे –
1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
 2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना।
 3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
 4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्यवाही करना।
 5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
 6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना है।

5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)

- (क) कुलपति एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपति एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।



(ख) अनुशासन समिति का गठन :

(i) **विश्वविद्यालय स्तर (University Level)** : कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्राध्यापक (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब) छात्र-कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स) विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो	(सदस्य)
(द) प्रमुख प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

(ii) **संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level)** : अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्राध्यापक (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब) छात्र-कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स) महाविद्यालय के दो प्राध्यापक	(सदस्य)
(द) प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)

- (1) समिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जांच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।
- (2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत् लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपति/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहां विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सहित) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।
- (3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमति के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।
- (4) जांच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जायेगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।



- (5) जांच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन-पत्र में दिये पते पर भेजी जाएगी।
- (6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जांच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद, जांच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।
- (7) जांच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार-विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की कार्यान्वित निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी।

7. अपील का अधिकार (Right to Appeal)

- (1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध पांच दिनों के अन्दर-अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।
- (2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

टिप्पणियाँ :

- (अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थाई रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थाई रूप से निकाला था, पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थाई रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित करेगा।
- (आ) निष्कासन एवं रेस्टीकेशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किये जायेंगे।
- (इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो, उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।
- (ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।
- (उ) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थित पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।



8. अपील का निपटारा (Disposal of Appeal)

- (1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील को निपटा सकेंगे।
- (2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील को निपटा सकेंगे।
- (3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निपटारा किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जांच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुनः निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे, जो अन्तिम होगा।



रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान (Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में 'रैगिंग' लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अथवा दोनों दण्ड के रूप में दिए जा सकते हैं।

रैगिंग का अर्थ :

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुंचाना, निर्दयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षति पहुंचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक-अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षति पहुंचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुंचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाईयाँ बढ़ जाय, संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुशासन के मापदण्डों के विरुद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है।

नोट : परिचय पार्टी में किये जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक 'रैगिंग' में सम्मिलित नहीं है।

रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

- (1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण।
- (2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नं. आदि का प्रकाशन जिनसे रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रों द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जा सके।
- (3) नव प्रवेशित विद्यार्थी को मित्र-समूह के साथ रहने की सलाह दी जावे। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लावे।
- (4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रों को ध्यान से पढ़ें एवं उनमें दिये गये सुझावों पर अमल करें।
- (5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित वरिष्ठ साथी को नव-प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

दण्ड के प्रावधान

रैगिंग की सूचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिये जा सकते हैं :-

- (1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सूचित करना।
- (2) विश्वविद्यालय में दिये गये प्रवेश को निरस्त करना।
- (3) रैगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।
- (4) छात्रावास में दिये गये प्रवेश को निरस्त करना।



- (5) रैगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिये जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।
- (6) “आपराधिक रैगिंग” में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।
- (7) रैगिंग के दोषी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र एवं डिग्री में इस तथ्य का उल्लेख करना कि ‘अमुक डिग्रीधारी रैगिंग लेने का दोषी है।
- (8) रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना।
- (9) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।
- (10) रैगिंग में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।
- (11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी ‘रैगिंग योग्य केस’ मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा ‘रैगिंग निरोधी दस्ते’ को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
- (12) **रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ-साथ दी जा सकती है।**
- (13) रैगिंग लेना अथवा रैगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।
- (14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो- विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें ‘रैगिंग समकक्ष व्यवहार’ प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।
रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

सुझाव/मार्गदर्शन

- (1) वरिष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कनिष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।
- (2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाएँ। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली



परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन (Discipline During Examination)

1. अनुशासनहीनता (Indiscipline)

परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में निम्न सम्मिलित होंगे –

(क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे –

- (i) बहिष्कार तथा बहिर्गमन,
- (ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना,
- (iii) दत्त-पुस्तिका अथवा प्रश्न-पत्र फाड़ना, सभी परीक्षार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाएँ अथवा प्रश्न-पत्र छीनना तथा हटाना,
- (iv) परिवीक्षक-वर्ग को अथवा सह-परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना,
- (v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इंकार करना, शक्ति का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा-कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो। उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढ़ावा देना या स्वयं करना।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे –

- (i) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न-पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न-पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।
- (ii) प्रश्न-पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।
- (i)(अ) परीक्षा के समय प्रश्न-पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।
- (आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।
- (इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न-पत्र पर लिखा हुआ होना।
- (iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे – इशारे करना, हाव-भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।
- (v) उत्तर-पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।
- (vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना।



2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों में व्यवहार—प्रक्रियाएँ निम्नलिखित होगी –

- (i) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उडनदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप विद्यार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
- (ii) ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उससे अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर—पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जायेगी और प्रश्न—पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर—पुस्तिका दी जायेगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत 'अनुचित' आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा दण्डित किये जाने की दशा में नई उत्तर—पुस्तिका नहीं दी जायेगी। दोनों उत्तर—पुस्तिकाएँ (जिन पर । व ।। अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहां तक सम्भव हो सके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष—वीक्षक या उडनदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दशा में इस तथ्य का प्रतिवेदन में उल्लेख किया जायेगा।
- (iii) वीक्षक/उडनदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उडनदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को दी जायेगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।
- (iv) यदि परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इंकार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला वीक्षक/उडनदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जायेगा।
- (v) केन्द्र—अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न पत्र के परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।
- (vi)(अ) परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपयुक्त समिति द्वारा जांच की जायेगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थाई दण्ड निर्धारित करेंगे।
- (आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन—पत्र पर दिये गये पते पर सूचना भेजी जायेगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जायेगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाये तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाये।
- (इ) **अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee)** द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जायेगा। यदि वह निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिये जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपति की स्वीकृति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जायेगा।



- (ई) **अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee)** द्वारा सम्पूर्ण मामले की जांच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिये गये अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (उ) जहां कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिये जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जायेगा।
- (vii) किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जांच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

3. दण्ड के प्रतिमान

1. Norms of Punishment

1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it :

- | | |
|---|--|
| (a) If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory | Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is of insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled. |
| (b) If the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory | Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.). |

1.2 Where a candidate is found to have copied from or used the material caught :

- | | |
|---|---|
| (a) If the behaviour of candidate on being caught is satisfactory | Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in |
|---|---|



possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.

- (b) If the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory

Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.

- (a) If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and candidate shall be exonerated by issuing warning for the & future.

- (b) If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.

Candidate mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. & shall be forfeited and only present theory examination shall be cancelled and if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).

- (c) If the candidate has made use of such electronic equipment & behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.

Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.

- 1.4 If the candidate is involved in sacrilege of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.**

Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.



Note :

- (1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.
 - (2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to cancellation of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/viva/voce/field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal assessment work (marks) / practical work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled. However, if unfair means case is reported during practical examination 1.1 (a) would refer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.
 - (3) After completion of punishment period, if the candidate is reappearing in the subsequent examination, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of the class/course. In case scheme of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the maximum marks of that paper (theory + sessional).
- 1.5 Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which he/she has been found using unfair means will be cancelled, and he/she shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.**
- 1.6 The cases of employee candidates, indulging in unfair means and resorting to violence and misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the University forth with for action by the Centre Superintendent on the prescribed form for departmental action.**
- 1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in case of misconduct or misbehaviour as defined above.**
- 1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate committee on their merit.**
- 2. Norms related with tempering in University document & etc.**

2(अ) परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा –

1. आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।
2. अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी तत्सम संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा रद्दोबदल करना।



3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/फोटोस्टेट प्रति में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा रद्दोबदल करना।

2 (ब) कार्यवाही की प्रक्रिया :

1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय विवरणिका में पृष्ठ संख्या 77 या 79 – “2-अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया” के अनुसार होगी।

2. महाविद्यालय स्तर पर पाये जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपयुक्त समिति द्वारा जांच करवाये तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

2 (स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते हैं –

1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जावे तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जावे।
2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जावे तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जावे।
3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1, 2 अथवा 3 की कार्यवाही किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्टि होने से वंचित कर दिया जावे। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हो तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्टि होने से वंचित कर दिया जावे।
4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तांक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाये। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई है तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्टि होने से वंचित कर दिया जावे।



5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जायेगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूले प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण समिति में रखकर वांछित निर्णय किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्राप्त हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाएँ निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।
7. उपरोक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।
8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जायेगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जायेगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्यवाही हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्यवाही की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination

In addition to the provisions laid down from Page No. 61 to 68 to deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.



**THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION
(PREVENTION OF UNFAIRMEANS) ACT, 1992**

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement :

- (1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force at once.

2. Definitions - In the Act -

- (a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto.
- (b) "public examination" means any examination specified in the schedule.
- (c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone, wireless or electronic or other instrument or gadget; and
- (d) the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to them in that code.

3. Prohibition to use of Unfairmeans : No person shall use unfairmeans at any public examination.

4. Unauthorised possession or disclosure of question paper : No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination.

- (a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or copy thereof; or
- (b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a bearing upon such question paper.

5. Prevention of Leakage by person entrusted with examination work : No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.



6. **Penalty** : Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.
7. **Penalty for offence with preparation to cause hurt** : Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.
8. **Power to amend Schedule** : The Government may by notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

The Schedule

(Section 2)

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).
2. Any examination conducted by any University established by law in India.
3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

J.P. Bansal

Secretary to the Government



छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता (Scholarships and Financial Assistance)

1. सामान्य नियम (General Rules)

वित्तीय सहायता योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। किसी भी छात्रवृत्ति अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के नियमित उपस्थिति/संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं अच्छे आचरण के अभाव की दशा में निलम्बित अथवा स्थाई रूप से रद्द किया जा सकता है। ऐसी निलम्बित छात्रवृत्तियाँ अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर पूर्व प्रभाव से पुनः दिया जा सकता है।

सामान्यतया सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि तक, जिसके लिए स्वीकृत की गई, नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, अच्छे आचरण तथा महाविद्यालय के अनुशासन का उचित पालन किया जा सकता है।

2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (Need-cum-Merit Scholarship)

- सभी विद्यार्थी जिसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है तथा जिन्होंने 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो, आवेदन के योग्य होंगे। वांछनीय योग्यता वाले विद्यार्थियों में से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जावेगी।
- छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के अन्य नियम वही होंगे जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए लागू हैं।

3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों। इसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (UGC Junior Research Fellowship)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जे.आर.एफ.) सीमित संख्या में, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा (NET) में सफलता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत कनिष्ठ शोधकर्ता को 16,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति तथा नियमानुसार वार्षिक आकस्मिक अनुदान के लिए 12000 रुपये विज्ञान संकाय में तथा 10000 रुपये अन्य संकायों में प्राप्त होते हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृत्ति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मौलाना आजा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति— अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृत्ति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।



7. **सी.एस.आई.आर. एवं आई.सी.एस.एस.आर.** द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को शोधवृत्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।
8. **विभागीय कनिष्ठ शोधवृत्ति (Departmental Fellowship)**
प्रत्येक विभाग में एक शोधवृत्ति। न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक (अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50% अंक)। प्राप्तकर्ताओं में से छात्रवृत्ति राशि 600 रुपये प्रतिमाह। एक समय एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष। दूसरे वर्ष के लिए 700 रुपये प्रतिमाह।
9. **छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के सामान्य नियम (General Rules Regarding Scholarship and Financial Assistance)**
- छात्रवृत्ति विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के महीने से अगले वर्ष जून तक प्रदान की जाएगी, यदि उसने सम्बन्धित महीने की 15 तारीख तक प्रवेश प्राप्त किया हो अन्यथा छात्रवृत्ति अगले महीने से प्राप्त की जाएगी।
 - विद्यार्थी द्वारा सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने पर छात्रवृत्ति इसी माह में रद्द कर दी जायेगी, जिसमें वह संस्था छोड़ता है।
10. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां**
- अनुसूचित जाति/जजा तथा विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
 - विकलांग छात्रवृत्ति (विकलांग/बधिर/मूक/नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए)
 - देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम – 2010
11. **राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की क्रीड़ा छात्रवृत्ति**
12. **राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रवृत्ति (NCC Scholarship)**
13. **अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other Scholarships)**
- राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति
 - स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
 - मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति
 - अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
 - भारत-पाक एवं भारत-चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिक के बच्चों एवं विधवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
14. **विद्यार्थी सहायता कोष (Student's Aid Fund)**
विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा 30 रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क से की जाती है।
- इस कोष का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क अथवा पुस्तकों पर व्यय अथवा अन्य ऐसे किसी व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।
 - कोष का प्रबन्ध इस हेतु गठित समिति के माध्यम से महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा किया जाता है।
 - विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त कोष में से ऐसे विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता मिल रही हो।



- (iv) कोष में से सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अधिष्ठाता द्वारा सूचित तिथि तक आवेदन किये जाने चाहिए।
- (v) कोष में से अति निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति सहायता (Freeship/ Half Freeship) प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के 10% तक विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी।
- (vi) इस सहायता हेतु आवेदन के लिए आय प्रमाण-पत्र – तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

15. प्राकृत विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता (Financial Assistance for Prakrit Students)

विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्वीकृत नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि की सीमित सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

16. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक असक्षम छात्र यु.जी.सी. छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आवेदन करें।

17. स्वर्ण पदक (Gold Medals)

- (i) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा कला, वाणिज्य, विधि एवं विज्ञान संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) एवं एम.फिल. परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रथम स्थान पाने पर भी स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जाता है। स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के तत्कालीन नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- (ii) विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से एम.एससी./एम.ए. भूगोल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को "भैरूलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन" (यू.एस.ए.) द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया जायेगा।
- (iii) प्रबन्ध अध्ययन संकाय में एम.बी.ए. नियमित दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को मेहता जगन्नाथ सिंह भौमकुमारी चेरीटेबल फाउण्डेशन की ओर से रु. 1001/- का नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जायेगा।
- (iv) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को "प्रो. आर.के. श्रीवास्तव" रु. 1001/- का नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जायेगा।
- (v) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को "विजयसिंह देवपुरा मेमोरियल" रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) या रु. 5000/- नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
- (vi) एम.ए. हिन्दी में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को "स्व. प्रोफेसर ललित शंकर पुष्पा देवी शर्मा" रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जायेगा।
- (vii) बी. काम.तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को "डॉ. सी. बी. मामोरिया" स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा।
- (viii) व्यवसाय प्रशासन विभाग के स्नातकोत्तर (एम.कॉम एवं एम.फिल) के वे सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्राएँ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 'CEWS सिंघवी अवार्ड' छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष अलर्ट संस्थान द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है।



पुस्तकालय सुविधाएँ (Library Facilities)

विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों में समृद्ध आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय हैं। विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र को भरकर एवं आज्ञा प्राप्त कर संबंधित पुस्तकालयों के सदस्य बन सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पुस्तकालयों से सम्बन्धित संक्षिप्त सूचना दी जा रही है।

(क) केन्द्रीय पुस्तकालय (Central Library)

यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, संदर्भ सामग्री आदि उपलब्ध है। इसमें आदान-प्रदान, शोध प्रतिवेदन, छायाप्रति, लिपिकरण तथा सन्दर्भ एवं शोध पत्रिकाओं के स्वतंत्र विभाग है। पुस्तकालय में 'ई' पुस्तकालय सुविधा भी उपलब्ध है। ई-पुस्तकालय का उपयोग इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं शोध-छात्रों के लिए निर्धारित है। 5000 से अधिक जर्नल्स के फूल टेक्स्ट शैक्षिक लेख ऑन लाईन उपलब्ध है। इनके उपयोग के लिए इन्टरनेट सेन्टर से पासवर्ड लेना होता है। केन्द्रीय पुस्तकालय का लाभ सभी पाठक सदस्य तो ले सकते हैं, परन्तु पुस्तकालय से लेन-देन की सुविधा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी, शोध-छात्र, एम.फिल एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही प्राप्त है।

केन्द्रीय पुस्तकालय की समस्त पुस्तको का Online Public Access Catalogue उपलब्ध है जिससे पुस्तक के संग्रहण सम्बन्धी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

(ख) शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क संसाधन सुविधा (Educational and Research Resources Facility)

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET) एवं विकासमान पुस्तकालय नेटवर्क (DELNET) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा, केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह सुविधा प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं स्नातकोत्तर छात्रों को शैक्षणिक सामग्री की खोज एवं अनुसंधान की दृष्टि से सूचनाएँ एकत्रित करने में अत्यधिक सहायक है।

इस सुविधा के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) सामान्य ज्ञानार्जन हेतु (For Obtaining General Knowledge)

आध्यात्मिक, व्यावहारिक एवं सामान्य उपयोग के लिए मस्ट रीड सेक्शन में पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन पुस्तकालय में ही बैठकर किया जा सकता है।

महाविद्यालय पुस्तकालय (College Libraries)

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर स्वतंत्र रूप से निर्मांकित समृद्ध पुस्तकालय है -



1. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय
2. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पुस्तकालय
3. विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय पुस्तकालय
4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय पुस्तकालय
5. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भू-विज्ञान पुस्तकालय
6. विश्वविद्यालय प्रबन्ध पुस्तकालय (प्रबन्ध भवन में स्थित)

नोट : पुस्तकालय से पुस्तक आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पुस्तकालय से सम्पर्क करें।

विभागीय पुस्तकालय :

विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विभागों में स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों के उपयोग हेतु विभागीय पुस्तकालय है। कला एवं वाणिज्य संकाय में भी कुछ विभागीय पुस्तकालय है। इन विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन-देन बाहर ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। इनका उपयोग संदर्भ कक्ष के रूप में विभागीय स्तर पर होता है।

पुस्तक बैंक :

विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिये, पुस्तक बैंक सुविधा उपलब्ध है। पुस्तक बैंक एवं उसकी नियमावली सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित महाविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है।



छात्रावास (Hostels)

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आवास की व्यवस्था संकाय के अनुसार की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत छः छात्रावास संचालित हैं। उनमें व्यवस्था निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	संबंधित संकाय एवं आवास क्षमता	वार्डन
1.	महाराणा भूपाल छात्रावास विश्वविद्यालय खेल परिसर	सभी संकाय के लिए - 66	डॉ. अजित कुमार भाभोर 99284 86611
2.	रामानुजन छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर	MBA, MCA, Pharma MTM, MIB, MHRM - 40	डॉ. अनिल कोठारी 98282 67678
3.	डॉ. डी.एस. कोठारी शोध छात्रावास, विश्वविद्यालय खेल परिसर	शोध छात्रों के लिए - 18	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान 94142 81130
4.	गार्गी कन्या छात्रावास	केवल छात्राओं के लिए विज्ञान महाविद्यालय परिसर- 147	डॉ. एन. लक्ष्मी 9928093213
5.	कमला नेहरू कन्या छात्रावास सेक्टर-3 हिरणमगरी	केवल छात्राओं के लिए - 79	डॉ. प्रभात कुमार बारोलिया सहायक वार्डन 94608 13854
6.	महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर	केवल जनजाति छात्राओं के लिए - 48	डॉ. राजश्री चौधरी 94148 33511
7.	नेहरू शिक्षक सदन छात्रावास सेक्टर-3, हिरण मगरी	केवल जनजाति छात्रों के लिए - 40	डॉ. राजू सिंह 94134 74727
8.	राणा पुंजा अनुसूचित जाती छात्रावास	केवल जनजाति छात्रों के लिए - 100	डॉ. अनूप सिंह मीणा 97858 37989

नोट :

- (1) क्र.सं. 1 से 5 तक प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 16%, 12%, 21% आरक्षण रहेगा।
- (2) छात्रावास में प्रवेश एवं विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित वार्डन अथवा चीफ वार्डन कार्यालय (कॉमर्स कॉलेज



यात्रा रियायतें (Travel Concession)

भारतीय रेल, नागरिक उड्डयन व राज्य पथ परिवहन निगम सेवाओं द्वारा प्रदत्त रियायती किराये की सुविधाएँ विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को इन संस्थाओं के नियमानुसार दी जायेगी। **यात्रा के लिए विद्यार्थी को स्वयं सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही यात्रा रियायत दी जायेगी।** घर की परिभाषा में वह जगह आयेगी जहां कि विद्यार्थी के माता-पिता स्थायी रूप से रहते हैं। एक शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश आवेदन पत्र में दिया गया घर का पता अपरिवर्तनीय रहेगा। राजकीय सेवारत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर छात्र के अभिभावक का पता महाविद्यालय के अधिष्ठाता/निदेशक के स्वनिर्णय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। **किराये में रियायत के लिए विद्यार्थी को प्रस्थान की तिथि से 8 दिन पूर्व महाविद्यालय के अधिष्ठाता को आवेदन करना चाहिए।** रियायत सुविधा का उपयोग निम्न उद्देश्य से यात्रा के लिए भी किया जा सकता है –

1. शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित या मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए।
2. शिक्षाप्रद कार्यक्रमों, शिविरों व संगोष्ठियों में भाग लेने तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए, साक्षात्कार एवं प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।
3. सामुदायिक योजनाओं में सेवा कार्य में भाग लेने हेतु।
4. शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक महत्व के अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलनों एवं अन्य सम्मेलनों में भाग लेने के लिए।

टिप्पणियाँ

- (i) रियायत के आदेश एक बार प्रसारित किये जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी को यात्रा के दौरान अपना परिचय पत्र साथ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि परिवहन अधिकारी किसी भी समय उसकी जांच कर सकते हैं।
- (ii) विद्यार्थी को उसके चयन के अनुसार एक समय में एक ही प्रकार के किराये में रियायत की सुविधा दी जायेगी। यह ध्यान में रहे कि परिवहन अधिकारियों को धोखा देने का प्रयास करने तथा गलत सूचना प्रदान करने की दिशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।
- (iii) लगातार एक महीने अनुपस्थित रहने वाला विद्यार्थी इस यात्रा रियायत सुविधा के योग्य नहीं होगा।



विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ (University Level Co-curricular Activities)

1. विश्वविद्यालय स्तर की साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ :

- विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं आयोजन हेतु अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया है। इस कार्यालय द्वारा निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित होती हैं –
- (i) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालय के **“युवा समारोह”** में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये टीम का चयन करना।
 - (ii) स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया की जन्मतिथि के अवसर पर **“मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान”** का विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन करना। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विचारक, अर्थशास्त्री अथवा राजनयिक को आमंत्रित करना। विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी के साथ ही उदयपुर शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना।
 - (iii) विश्वविद्यालय के सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिये **“कैरियर गाइडेन्स व्याख्यान”** का आयोजन करना एवं इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।
 - (iv) दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर **“गांधी जयन्ती व्याख्यान”** का आयोजन करना। राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी चिन्तक अथवा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में गांधी विचार के विश्लेषक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक को आमंत्रित करना।
 - (v) उदयपुर संभाग में कार्यरत आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का **“सिविल सेवा परीक्षा परिसंवाद”** आयोजित करना।
 - (vi) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों से चयनित विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय स्तरीय युवा समारोह **“गवरी”** आयोजित करना एवं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित करना।
 - (vii) देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अथवा अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं के निमंत्रणों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने योग्य प्रतिभागी का चयन/मनोनयन करना।
 - (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की **“पूर्व छात्र परिषद”** (एल्यूमनी एसोसियेशन) का विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार सत्रों का आयोजन एवं संचालन करना।
 - (ix) छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की पत्रिका **“शिखर”** का सम्पादन, प्रकाशन एवं वितरण करना।
 - (x) राज्य सरकार/राजभवन के आदेशानुसार एवं कुलपति के मार्गदर्शनानुसार महाविद्यालय एवं केन्द्रिय स्तर पर छात्रसंघ के चुनाव करवाना एवं पदाधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करना।



2. विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र (University Employment & Guidance Bureau)

इस विश्वविद्यालय में छात्रों एवं बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए एक विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र, कला महाविद्यालय नया परिसर में कार्यरत है। यह केन्द्र जरूरतमंद आशार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रवेश सूचनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, स्वरोजगार, भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन की सेवाएँ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्र द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक वार्ताओं एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा स्वनियोजन साहित्य का सृजन, रोजगार के भावी अवसरों/प्रवृत्ति से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन केन्द्र के अन्य कार्य किये जाते हैं।

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ (SC/ST Cell)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ गठित है। प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियमानुसार उनके आरक्षित स्थानों में प्रवेश के लिए सहयोग एवं समुचित कार्यवाही की व्यवस्था की जाती है। यदि उन्हें प्रवेश के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो वे लिखित में सम्पूर्ण विवरण सहित अपनी समस्याएँ उचित माध्यम से इस प्रकोष्ठ को अवगत करा सकते हैं।

4. प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार केन्द्र (Centre for Adult Education & Extension)

यह केन्द्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सन् 1980 से कार्यरत है। वर्तमान में यह सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है। देशव्यापी निरक्षरता उन्मूलन हेतु केन्द्र के द्वारा साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की जनसंख्या नीतियों तथा योजनाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने तथा छोटे परिवार के मानक की आवश्यकता का भाव विकसित करने हेतु जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का संचालन भी किया जाता है।

5. जनसंख्या शोध केन्द्र (Population Research Centre)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यह जनसंख्या शोध केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 1981 से संचालित है। इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य हैं –

1. जनसंख्या विज्ञान में विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करना एवं शोधार्थियों को प्रोत्साहन करना।
2. राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन करना।
3. विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या सम्बन्धी शोध कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना।

अब तक इस केन्द्र ने 121 शोध परियोजनाएँ (प्रोजेक्ट्स) सम्पन्न की हैं एवं इस सम्बन्ध में कई शोध पत्र प्रकाशित किये हैं।

6. महिला अध्ययन केन्द्र (Centre for Women Study)

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। केन्द्र के महिला उत्थान हेतु बहुआयामी उद्देश्य हैं। केन्द्र का



उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का श्रम करना है। केन्द्र, विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करता है।

इसी दिशा में केन्द्र द्वारा समय-समय पर विस्तार व्याख्यान, वार्ताएँ, संगोष्ठी प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। अध्ययन-अध्यापन हेतु **“महिला अध्ययन”** सामाजिक संकाय के एक विषय के रूप में संस्थापित हैं। संदर्भ केन्द्र के रूप में महिला से संबंधित विभिन्न पुस्तक-पुस्तिकाओं, शोध पत्रों और सरकारी योजनाओं का संग्रहण एवं संकलन दिशातीत है। केन्द्र आर्थिक स्वावलम्बन को अग्रसर करने हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है।

7. मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र (Centre for Human Rights Studies)

राजस्थान राज्य में मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र की स्थापना सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय में हुई है। यह केन्द्र विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में मानवाधिकारों की स्थिति, समस्याओं और उनके समुचित समाधानों के सम्बन्ध में शोध/शिक्षण आदि में संलग्न होगा।

8. बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केन्द्र (Centre for Buddhist Studies and Non-Violence)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय में राजस्थान राज्य में यह प्रथम केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग के आचार्य के निर्देशन में संचालित है। इस केन्द्र द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अहिंसा का, समता, समानता, अस्पृश्यता और वैचारिक उदारता आदि मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। केन्द्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी संचालित है।

9. प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Competitive Examination Coaching Centre)

यह केन्द्र सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय के परिसर में संचालित है। केन्द्र द्वारा सुयोग्य अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा RAS, ICS, UGC-NET, SLET आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का शिक्षण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान किया जाता है। कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी संकायों के प्रत्याशी इसका लाभ ले सकते हैं। SC, ST, OBC (Non Creamlair) एवं अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।

10. अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार (International Students Advisor)

विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा अध्ययन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

11. परिषद समितियाँ, संगोष्ठियाँ एवं स्नातकोत्तर अध्ययन समूह (Council, Committees, Conferences & Post Graduate Study Group)

विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विभिन्न अध्ययन परिषदों के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि विद्यार्थी संकाय स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर अपनी प्रतिभा को एक छोटे समूह में विकसित



कर सके। इन शैक्षणिक इकाईयों द्वारा सदस्यों के ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, अध्ययन-समूह आदि का आयोजन किया जाता है। इनके समुचित संचालन हेतु विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता द्वारा प्राध्यापकों को सलाहकार के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सभी नियमित विद्यार्थी इन शैक्षणिक इकाईयों के सदस्य होंगे। विभिन्न गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

12. विशिष्ट आयोजन (Special Programme)

(क) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रायोजन (Literacy & Cultural Programmes)

वश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत यथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय, अंतर-विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)

भारत के सपूत दृष्टा एवं सन्त स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस 12 जनवरी को समस्त देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day)

28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही बहुमुखी प्रगति के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

उपर्युक्त गतिविधियां विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व की बहुमुखी समृद्धि कर जीवन के लिए पाथेय संचित करते हुए नागरिकता के प्रशिक्षण का सुअवसर प्रदान करती है।

13. विश्वविद्यालय योग केन्द्र (University Yog Center)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के सहयोग से विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल परिसर में विश्वविद्यालय के सभी नियमित छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थिति में उपलब्ध है। केन्द्र द्वारा योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी संचालित किया जा रहा है। जिसकी प्रवेश क्षमता 30+10 है तथा इसमें 10 पेमेन्ट सीट है। जिसकी प्रवेश आयु सीमा 45 वर्ष है। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह का योग प्रशिक्षण में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन भी केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

14. नेहरू अध्ययन केन्द्र (Center for Nehru Studies)

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से भारत के महान् आधुनिक विचारकों की योजना के अन्तर्गत नेहरू अध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई थी। केन्द्र का उद्देश्य छात्रों को पंडित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बंधित जानकारी प्रदान करना है। इस हेतु केन्द्र के द्वारा दो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।



15. विश्वविद्यालय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (University Research & Development Cell)

विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए और पाठ्यक्रम गुणवत्ता हेतु वर्ष 2010 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ में सभी संकायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। प्रकोष्ठ की यह भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के साथ सहयोग कर शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

16. समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ का उद्देश्य वंचित समुदायों जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा, रोजगार और व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित जानकारी देना है।

17. सॉफ्ट स्किल केन्द्र (Soft Skill Centre)

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अवगत कराना है, साथ ही साथ केन्द्र के द्वारा विद्यार्थियों के लिए भाषायी दक्षता, सम्प्रेषण और व्यक्तित्व-विकास के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

18. आइडिया सेन्टर (IDEA : Centre for Initiative and Development Action)

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के सहयोग से वर्ष 2010 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में समाज, राजनीति, संस्कृति एवं अन्य पहलुओं से सम्बंधित मुद्दों का शोध एवं अध्ययन करना तथा उनसे सम्बंधित कार्यशालाएं, व्याख्यान आदि आयोजित करना है।

19. महिला उत्पीड़न विरोधी समिति (Committee for Action against Women Harassement)

कार्यालयों में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न पर कार्यवाही करने हेतु इस समिति की स्थापना की गई। समिति का कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालय होंगे।



UNIVERSITY COMPUTER CENTRE

● University Computer Centre

Associate Co-ordinator

Prof. K. Venu Gopalan

Associate Professor

Dr. M. K. Jain

System Manager

Shri Sanjeev Agarwal

Programmer

Dr. N. K. Parikh

The main Computer Centre of the University, located in the University Campus, at Vigyan Bhawan in running MCA Programme. The intake capacity of MCA course is 60. Out of these, 30 seats are on self-financing basis. It also conduct training programme for faculties as well as other staff of the university utilise the facilities available in the computer center. The computer center is well equipped with modern computing facilities consisting of UNIX (RISC based Digital Alpha System), Linux (IBM Xeon Server), Windows NT (Compaq Proliant), and Windows 2003 (Wipro Netpower Itanium based servers)., It also has number of PCs (which can work as clients to all the servers as well as can access Internet), multimedia systems, thin clients, Laser, Line Printers, Network Printer, multifunction printer etc. In addition to standard, thin clients, Laser, Center also has software like Oracle Database Server, Web Developer suite, Visual Studio, SPSS, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview (Network Software), MSDN academic alliance etc. University also has an Internet Centre has optical fiber cabling as well as wireless networking, 100 Mbps/ 1Gbps switches to provide fast and reliable access across the campus. MCA students use these facilities freely for unlimited hour for e-mail, web surfing, down loading lecture notes/technical articles etc. Laboratory facilities are also available for computer hardware, microprocessor, networking and communication practical. Main facilities are listed below :

Hardware : RISC based Digital Alpha 500au workstations, Compaq Proliant work-stations, SGI Octane workstation, IBM Xenon Server (Dual Processor), Sun Netra Server, Compaq workstations, Wipro Netpower, Pentium based PC's with different configurations, 512 Kbps VSAT, cable based internet connection.

Software : Operating Systems - Digital Tru65 Unix, Microsoft Windows NT Server/ Workstation, Windows 2003 Server, Sun Solaris, Novell Netware, Redhat Linux, Microsoft Window Vista/XP/2000/98 MS-DOS, Database Systems : Oracle Web Developer Suite, Sun Java Workshop, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio, WSAD Eclipse. Compilers : C, C++, Cobol, Pascal, Fortran 90, Application Packages : MS Office 2007, SPSS, Adobe Photoshop, Chem Office, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview etc.

The University Computer Center also offers the research programme. Presently, active research programme going on at University Computer Center are image and analysis, embedded system and computer security. The University Computer Center also organise training programme on IBM Products for its MCA Students time. University Computer Center has its own Software Development Center to develop Software for the University and MCA Students are normally encouraged to participate in the programme.



INTERNET CENTRE

The University has a campus network of computers known as Sukhadia University Network (SUNet) connecting all University Departments, constituent colleges, various units and centres, hostels etc. situated in the both campuses of the university. The University Internet Centre located in the Vigyan Bhawan Block-A is responsible for operation and maintenance of the University network. The campus network is a 1000/100Mbps network with about 600 computers using Optical Fiber Cable back bone connectivity to all main buildings and Wireless connectivity between the campuses. The University has also installed Wi-Fi network connectivities in almost all main buildings. The campus network of the University is fully protected and secured using “CyberRoam” (firewalls and Intruder detection system). The network is also protected from external computer viruses using on-line subscription to latest network antivirus software. Following facilities are available to the students and staff of the University.

Internet Access

The university has a 1Gbps leased line Internet connectivity at the University Internet Centre with BSNL India under UGC Infonet programme. Internet access is available to all the regular students, research students and faculty members for academic purposes through the campus network from computers installed in the departments, libraries, colleges, offices and hostels.

The undergraduate, post graduate and research students can access Internet for educational and research purpose from following locations :

1. e-library, University Central Library
2. e-library, College of Science
3. e-library, College of Commerce and Management studies
4. e-library, College of Social Sc. & Humanities

Internet access facilities are also available at college of Law, Vigyan Bhawan Block-A and B, Pharmacy building and hostels for the students.

Internet facilities available in the department can also be used by the post graduate and research students.

E-Journal Access

Access to about 5000 electronic research journals and 3 database under UGC Infonet programme are available from the computers installed in the campus. The computers installed in all the faculty rooms and research laboratories, e-libraries are provided with unlimited access to e-journals. Free training to access e-journals and to search Internet for research materials are provided by the Internet centre and University Central Library. Interested research students can register their names by sending e-mail to suic@mlsu.ac.in with subject: Training.

University Website

The University official web site www.mlsu.ac.in provides information about the University. Admission notices, University examination time table, examination results and important announcements are available on the University web site. For information related to web site updating and publication of new information Internet centre may be contacted 0294- 2471310 or e-mail to information to suic@mlsu.ac.in

Intranet Facilities

1. **University Information system** : Student and staff databases, details of the courses, syllabus, Performa and formats for various purposes etc. are available on the University intranet.
2. **Educational Resources**: Tutorials, Power point presentations, digital herbarium, articles etc.



3. **Student feedback System:** Students can submit their feedback about courses, classes, teachers etc. using the feedback management system. Students are free to express their views using the system without identifying their name.
4. **Student Grievance Submission System:** Students can submit their grievances related to harassments/difficulties faced in courses and examinations.
5. **Departmental Information System:** A departmental Information System to collect and view department level data related to teaching and Research
To access University intranet facilities log on to campus network and access web page:
<http://172.16.0.11>

Important Note

User Id and password to access University network can be obtained from Internet Centre by filling up an application form freely available from all libraries and department offices. The application form can be downloaded from University intranet. All students and staff of the University are hereby informed that use of Internet and Intranet from the University campus is allowed only for academic purpose and access of Information is governed under IT act of the country. Un authorized access of information, use of id and password of other users to gain access to campus network are criminal offenses and punishable.

All students and staff are hereby notified that access of information from Internet and intranet are recorded automatically by the Access server and Cyber Roam system and information is regularly monitored. Strict action including reporting to University and civil authorities and filing of cases will be made those who violate the IT act of the country.

For detailed facilities, training programs, software developments etc contact Prof. K Venugopalan, Co-ordinator, Internet Centre, Vigyan Bhawan, Mohanlal Sukhadia University, Tel No. 0294-2471310.

Important e-mail Addresses of the University

User's Name	Email Address
Vice Chancellor	vcmlsu@mlsu.ac.in
Registrar	registrar@mlsu.ac.in
Comptroller	compt@mlsu.ac.in
Dean, College of Science	ucs@mlsu.ac.in
Dean, College of Commerce & Mgt. Studies	uccms@mlsu.ac.in
Dean, College of Law	uclaw@mlsu.ac.in
Dean, College of Social Sciences & Humanities	ucssh@mlsu.ac.in
Dean, PG Studies	dps@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Science	chscience@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Commerce	chcommerce@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Education	cheducation@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Management Studies	chmanagement@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Law	chlaw@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Humanities	chhumanities@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Social Sciences	chsocialscience@mlsu.ac.in
Chairman, Sports Board	chsportsboard@mlsu.ac.in
Co-ordinator, NSS	conss@mlsu.ac.in
Chief Warden	chiefwarden@mlsu.ac.in
University Engineer	uniengineer@mlsu.ac.in
International Students Advisor	isa@mlsu.ac.in



Deputy Registrar (Exam)	drexam@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (GAD)	drgeneral@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (Affiliation)	draffiliation@mlsu.ac.in
Director, Faculty of Management Studies	fms@mlsu.ac.in
Director, University Computer Centre	ucc@mlsu.ac.in
Head, Department of Physics	physics@mlsu.ac.in
Head, Department of Botany	botany@mlsu.ac.in
Head, Department of Chemistry	chemistry@mlsu.ac.in
Head, Department of Zoology	zoology@mlsu.ac.in
Head, Department of Geology	geology@mlsu.ac.in
Head, Department of Maths & Statistics	mathstat@mlsu.ac.in
Head, Department of Environmental Science	envsc@mlsu.ac.in
Head, Department of Pharmacy	pharmacy@mlsu.ac.in
Head, Accountancy & Business Statistics	abst@mlsu.ac.in
Head, Banking and Business Economics	bbe@mlsu.ac.in
Head, Business Administration	busadm@mlsu.ac.in
Head, Department of Biotechnology	biotech@mlsu.ac.in
Head, Department of English	english@mlsu.ac.in
Head, Department of Hindi	hindi@mlsu.ac.in
Head, Department of History	history@mlsu.ac.in
Head, Department of Music	music@mlsu.ac.in
Head, Department of Philosophy	philosophy@mlsu.ac.in
Head, Department of Jainology & Prakrit	jprakrit@mlsu.ac.in
Head, Department of Rajasthani	rajasthani@mlsu.ac.in
Head, Department of Sanskrit	sanskrit@mlsu.ac.in
Head, Department of Urdu	urdu@mlsu.ac.in
Head, Department of Visual Arts	varts@mlsu.ac.in
Head, Department of Economics	economics@mlsu.ac.in
Head, Department of Geography	geography@mlsu.ac.in
Head, Department of Library Science	libsc@mlsu.ac.in
Head, Department of Political Science	polsc@mlsu.ac.in
Head, Department of Psychology	psychology@mlsu.ac.in
Head, Department of Public Administration	pubadm@mlsu.ac.in
Head, Department of sociology	sociology@mlsu.ac.in
Course Director, MIB	mib@mlsu.ac.in
Course Director, MHRM	mhrm@mlsu.ac.in
Course Director, IT&CS	itcs@mlsu.ac.in
Course Director, MFC	mfc@mlsu.ac.in
Course Director, Microbiology	mbiology@mlsu.ac.in
Course Director, Industrial Chemistry	indchemistry@mlsu.ac.in
Incharge, Polymer Science	polymer@mlsu.ac.in
Incharge, Computer Science	compssc@mlsu.ac.in
Incharge, Department of Journalism	journalism@mlsu.ac.in
Incharge, Hotel Management	mtm@mlsu.ac.in
Incharge, Biotechnology	biotech@mlsu.ac.in
University Central Library	ucl@mlsu.ac.in



राष्ट्रीय सेवाएँ (National Services)

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवाओं के अन्तर्गत निम्न चार विकल्प उपलब्ध हैं –

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| (क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) | (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) |
| (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) | (घ) रोवरिंग (Rovering) |

विद्यार्थी इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। इन चारों राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रभारी हैं, जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) : इसके अन्तर्गत निम्नलिखित खेल वर्ग हैं –

- | | | | |
|------------|---------------|-------------|---------|
| 1. क्रिकेट | 2. फुटबॉल | 3. दौड़-कूद | 4. हॉकी |
| 5. वॉलीबाल | 6. बास्केटबॉल | 7. हैण्डबॉल | |

इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इन सात वर्गों में से एक को चुनना होगा। अपनी रुचि के खेल की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही इस संगठन में नामांकन होगा। इसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) : इसमें सैनिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिविर पर्वतारोहण के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों से अनुशासन एवं सेवा की भावना के साथ-साथ शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से एक को चुना जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती होने वाले छात्र के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की इच्छित शाखा में प्रवेश के आवेदकों में से चयन किया जाएगा। चयन तिथि एवं समय की सूचना कैडेट कोर अधिकारियों द्वारा यथासमय घोषित की जायेगी। जो छात्र एन.सी.सी. की इच्छित शाखा में चयनित नहीं होते हैं उन्हें अन्य निद्रिष्ट शाखा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।

उपस्थिति (Attendance)

एन.सी.सी. कैडेटों के लिए 75 प्रतिशत परेडों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निर्दिष्ट शिविरों में भी उन्हें भाग लेना होगा। यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि पर गणवेश एवं अन्य सामान दिया व लिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना गणवेश एवं सामान लौटाये सत्र के मध्य में महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसका नाम आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस को प्रेषित कर दिया जायेगा।

शाखाओं (Wings) में अन्तर-परिवर्तन की अनुमति नहीं है। एन.सी.सी. के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कुछ चयनित छात्रों को ही दिया जायेगा।

प्रमाण पत्र परीक्षाएँ (Certificate Examinations)

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में वे प्रशिक्षणार्थी 'बी' प्रमाण पत्र के पात्र होंगे जिन्होंने एक शिविर में भाग लिया हो तथा प्रत्येक सत्र में जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में 'सी' प्रमाण परीक्षा के लिये वे ही कैडेट पात्र होंगे जिन्होंने 'बी' प्रमाण



पत्र उत्तीर्ण किया हो, दो शिविरों में भाग लिया हो तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो।

एन.सी.सी. के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में कमीशन

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए आवेदन—पत्र, केडेट अपने एन.सी.सी. यूनिट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर जिस सेवा के लिए उन्होंने आवेदन किया है उसकी चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। कमीशन के प्रत्याशियों की योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

थल सेना

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (थल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

जल सेना

1. भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय का स्नातक अथवा अभियांत्रिक उपाधि धारक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (जल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

वायु सेना (सामान्य सेवाएँ)

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (वायु शाखा) छोड़ने के एक वर्ष भीतर प्रस्तुत हो।

निस्सारण (Discharge)

छात्रों को एन.सी.सी. छोड़ने के एक वर्ष भीतर अपने युनिट कमाण्डर से निस्सारण प्रमाण—पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने एन.सी.सी. अफसर के माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) : इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्रीय सेवा प्रयोजनाओं में लगाना है। सामान्यतया इसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों का विकास करना एवं श्रम की गरिमा के मान का पोषण करना है। कल्याणकारी गतिविधियों के तीन क्षेत्रों, यथा ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत की उन्नति के लिए यह योजना सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देती है।

इसके अतिरिक्त एन.एस.एस. द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक वर्ष में दो अनिवार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों में भी भेजे जाते हैं। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 65 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी।

(घ) रोवरिंग (Rovering) : विश्वविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की गतिविधियों का संचालन रोवर्स के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक छात्र, जिसने विद्यालय स्तर पर स्काउटिंग का अपेक्षित अनुभव ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर के रूप में पंजीकृत हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोवर कार्यक्रमों में योग्यतानुसार भाग ले सकता है। निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किये जाते हैं—

1. साक्षरता अभियान, सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा
2. औषधालय सेवा
3. गन्दी बस्तियों की सफाई
4. ग्रामीण विकास
5. जरूरतमंदों की सहायता
6. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम
7. परिसर विकास, तथा
8. प्रकल्प निदेशकों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य।



विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल (University Sports Board)

अध्यक्ष	—	प्रो. डी. एस. चुण्डावत
प्रभारी	—	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान

खेल-कूद (Games & Sports)

विश्वविद्यालय में खेलों के विकास हेतु एक क्रीड़ा मण्डल की स्थापना की गई है जिसका नाम **मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल** रखा गया है। क्रीड़ा मण्डल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है।

विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है। विश्वविद्यालय की टीमों अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती है। विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को गणवेश (Uniform) के लिए विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा आंशिक आर्थिक सहयोग (Subsidy) रु. 550/- प्रति किट दिया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के लक्ष्य और उद्देश्य शारीरिक शिक्षा व खेलों के द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल प्रतिवर्ष अन्तर महाविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिताएँ अन्तर महाविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रदत्त नियमों तथा निर्देशों के आधार पर आयोजित करता है। अन्तर विश्वविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल अपना दल भेजता है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर इन प्रतियोगिताओं में कई बार विजय व उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। बास्केटबॉल, टेबल-टेनिस, बेडमिण्टन, खो-खो, जिमनास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, हैण्डबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कुश्ती, तैराकी, बॉक्सिंग, जूडो, तीरंदाजी, सॉफ्टबॉल, शूटिंग एवं योगासन आदि खेल-कूदों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी क्रीड़ा मण्डल द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल योग केन्द्र के तत्वावधान में योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय पूर्णकालीन) पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रवेश क्षमता 30+10 है। 10 पेमेन्ट सीट है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा योग प्रशिक्षण में 6 सप्ताह का प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के तत्वावधान में शारीरिक शिक्षा M.P.Ed में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसमें प्रवेश क्षमता 50 सीट है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से क्रीड़ा मण्डल द्वारा साहसिक खेल (Adventure Sports) वाटर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग आदि खेलों के आयोजन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यान चन्द जन्म दिवस) के अवसर पर अन्तर्महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ अन्तर्विश्वविद्यालयी खेलप्रतियोगिताओं तथा अन्तर् राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का टीम अधिकारियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा सम्मानित किया जाता है।



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

शैक्षणिक सत्र 2014–2015

क्र.स.	विभिन्न प्रवृत्तियाँ	निर्धारित दिनांक
1.	शैक्षणिक सत्र का शुभारम्भ	1 जुलाई, 2014
2.	अध्यापन आरम्भ	
3.	मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान	31 जुलाई, 2014
4.	सभी कक्षाओं में स्थानों की रिक्तता आदि के आधार पर प्रवेश की अंतिम तिथि	5 अगस्त, 2014
5.	छात्रसंघ चुनाव	राज्य सरकार के आदेशानुसार
6.	केरियर गाइडेन्स प्रोग्राम	15 अगस्त से 5 सितम्बर, 2014
7.	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय की घोषणा के अनुसार
8.	गांधी जयन्ती व्याख्यान	2 अक्टूबर, 2014
9.	दशहरा अवकाश	02 अक्टूबर से 04 अक्टूबर, 2014
10.	दीपावली अवकाश	16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2014
11.	शीतकालीन अवकाश	25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2014
12.	अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम	31 जनवरी, 2015 तक
13.	शैक्षणिक भ्रमण	31 जनवरी, 2015 तक
14.	राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर रोवर स्काउट गाईड के शिविरों का आयोजन	31 जनवरी, 2015 तक
15.	सत्र का अन्तिम कार्य दिवस	30 अप्रैल, 2015
16.	नवीन सत्रारम्भ	01 जुलाई, 2015



टिप्पणियाँ

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।
2. स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में दिनांक 1.7.2014 तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थाई प्रवेश दे दिया जायेगा तथा दिनांक 1.7.2014 से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जायेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी।
3. सेमेस्टर : प्रारम्भ 15 जुलाई एवं 01 जनवरी



महत्वपूर्ण दूरभाष (Important Telephone No.)

		कार्यालय	आवास
1. कुलपति	प्रो. आई. वी. त्रिवेदी	2470597	2471844 (Fax) 2470259
2. कुलसचिव	डॉ. आर. पी. शर्मा	2470166	—
3. वित्त नियंत्रक	श्री कुमुदनी चांवरिया	2470621	2493106
4. परीक्षा नियंत्रक	डॉ. आर.सी. कुमावत	2471372	2419066
6. उप-कुलसचिव (परीक्षा)	श्री हरकेश मीणा	2470749	2471957
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी	डॉ. जी.एल. वसीटा	2470863	—
8. वि. वि. अभियन्ता	श्री ए. एस. खान	2471900	2471643
9. सहायक कुलसचिव	श्री मुकेश बारबर	2470958	9413217856

1. अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन		2471749	
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	प्रो. डी. एस. चुण्डावत	2413120	2414030
3. संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, विज्ञान महाविद्यालय	प्रो. के. वेणुगोपालन	2413955	
4. संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय	प्रो. विजय श्रीमाली	2411408	
5. अधिष्ठाता, सा.वि.मा. महाविद्यालय	प्रो. शरद श्रीवास्तव	2470143	2560364
6. अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय एवं संकायाध्यक्ष	डॉ. आनन्द पालीवाल	2470958	
7. संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष, मानविकी	प्रो. फरीदा शाह प्रो. मीना गौड.	2470143 2470143	2451782 2451782
8. संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन संकाय	प्रो. करुणेश सक्सेना	2470208	2525414
9. संकायाध्यक्ष, शिक्षा	प्रो. कैलाश सोडाणी	2412009	2414714
10. ऑफिसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रो. एस. एन. ए. जाफरी	2471370	2485191
11. निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर	प्रो. के. वेणुगोपालन	2471370	2451308



12. मुख्य वार्डन, छात्रावास	प्रो. डी. एस. चुण्डावत	2411408	2414030
13. अध्यक्ष, क्रीडा मंडल	प्रो. डी. एस. चुण्डावत	2417308	
14. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्	प्रो. पी. आर. व्यास	2470707	
15. निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र		2412009	
16. निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	डॉ. मोनिका नागौरी	2470117	2410185
17. विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग	प्रो. एन. के. चौहान	2413955	
18. विभागाध्यक्ष, फॉर्मसी विभाग	डॉ. पी. के. चौधरी	2470192	2470283
19. समन्वयक, अनु.जाति व जनजाति प्रकोष्ठ	डॉ. पी. एम. यादव	2471949	2417593
20. समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	प्रो. प्रदीप त्रिखा	2470143	9460112468
21. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्रो. सी. आर. सुथार		9414159777
22. उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय	डॉ. रामकेश मीना	2470602	9414737335
23. प्रभारी, वि.वि. क्रीडा मण्डल	डॉ. दीनेन्द्र सिंह चौहान	2417308	9414281130
23. अन्तर्राष्ट्रीय, विद्यार्थी परामर्शदाता	प्रो. बी. एल. आहुजा	2412009	
24. मैनेजर, विश्वविद्यालय अतिथि गृह	डॉ. दुर्गासिंह राठौड़	2411798	9414160086
25. पूछताछ – परीक्षा	2470749		
26. प्रशासनिक कार्यालय (ई.पी.ए.बी. एक्स)	2471035 2470918 2470509		



BANSWARA

S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)1
220	ADARSH	COLLEGE, AANADPURI, BANSWARA	adarshcollege2010 @GMAIL.COM	02968-285044	9784420001
2	242	ADARSH COLLEGE, GHATOL, BANSWARA	adarshcollegeghatol @gmail.com	9928420863 9950500666	
3	113	ARAVALI COLLEGE, BANSWARA	dpjainck@gmail.com	02962-255544	9414788601
4	261	ASHISH COLLEGE, TALWARA, BANSWARA	rupalruchian @gmail.com	9460410161	
5	188	BVB T.T. COLLEGE, BANSWARA	bvbttbanswara @gmail.com	02962-248577	
6	4	BVM T.T. COLLEGE, BANSWARA	bvmttc@yahoo.com	02962-243751	9983890471
7	5	DR. N.S. COLLEGE OF LAW, BANSWARA	dnslawcollege@yahoo.in	02962-240661	
8	211	GLOBAL INSTITUTE OF EDUCATION & RESEARCH, BARODIYA, BANSWARA	globalcollege211 @yahoo.com	9587960606	02968-285044
9	241	GYAYAK INTERNATIONAL COLLEGE, BANSWARA	shah_virendra912 @yahoo.com	02962-246100	8107761001
10	3	H.D.JOSHI GOVT.GIRLS COLLEGE, BANSWARA	hdjgirlscollege @yahoo.com	02962-244162	
11	238	JAMBHUKHAND COLLEGE, KALINJARA, BANSWARA	jambukhandcollege @gmail.com	02968-290069	9829530947
12	233	L.B.S. COLLEGE, GANODA, BANSWARA	lbscollegeganora @gmail.com	02963-276067	9829468871
13	228	LEO COLLEGE, BANSWARA	leocollegebsw@gmail.com	02962-246374	9414015344
14	15	M.B.D.GOV.T.COLLEGE, KUSHALGARH	mbdcollege21 @yahoo.in	02965-275276	9784553173
15	243	MAA BHARTI COLLEGE, KUSHALGARH, BANSWARA	mbcollege.kushalgarh @gmail.com	9309076150	9414101867
16	245	MAA SHARDE COLLEGE, GANGARTALAI, BANSWARA	mscollege2012 @gmail.com	9414102210	
17	155	MAHARANA PRATAP COLLEGE, PALODA, BANSWARA	maharanapratapcollege2007 @gmail.com	02963-276693	
18	221	MAHARISHI VALMIKI COLLEGE, JOLANA, BANSWARA	mah.val2009@gmail.com	9772433546	9928122104
19	119	MAHATMA GANDHI B ED COLLEGE, BANSWARA	mgtt@rediffmail.com	02962-250021	9414290631
20	244	MAHATMA GANDHI COLLEGE, BANSWARA	mgacademic2014 @gmail.com	9602144475	
21	154	MAHAVEER B.ED. COLLEGE, BANSWARA	varamanju799@gmail.com	02962-215163	9414161134
22	222	MAHI KALA COLLEGE,	mkmsarwan@yahoo.com	8875313420	02962-292328



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)1
		CHHOTISARWAN, BANSWARA			
23	264	MANSI MAHAVIDYALAYA, ANANDPURI, BANSWARA	mansigirlscollege @gmail.com	9828091168	9828831729
24	140	NEW LOOK GIRLS COLLEGE, BANSWARA	newlookgirlscollege @yahoo.com	02962-254013	9461575472
25	78	P. S. P. P. G. COLLEGE, PARTAPUR, BANSWARA	pspcollege@gmail.com	9414385692	02963-221366
26	239	R.N.T. COLLEGE, ARTHUNA, BANSWARA	rntcollege2012@gmail.com	02963-238200	9413017432
27	234	SARASWATI BALIKA COLLEGE, UDAJI KA GADA,GHATOL, BANSWARA	saraswatigirlscollege @gmail.com	02961-235407	9828353601
28	268	SARASWATI COLLEGE, SAREDI BADI BANSWARA		9549373926	8104454379
29	217	SARVODAYA COLLEGE, NAYA PADARIYA,BANSWARA	sarvodaycollege @gmail.com	9414104044	
30	230	SARVODAYA GIRLS COLLEGE, BAGIDORA, BANSWARA	sarvodaygirlscollege @gmail.com	9001999454	9413018147
31	99	SERVPALLI DR. RADHA KRISHNAN COLLEGE, BAGIDORA, BANSWARA	sdrkcollege@gmail.com	02968-280933	9413018867
32	2	SHRI GOVIND GURU GOVT. COLLEGE, BANSWARA	sgggcollbanswara @gmail.com	02962-254022	9414585049
33	231	SHRI UTTAM SWAMIJI COLLEGE, BANSWARA	uttamcollege @gmail.com	02962-244286	
34	209	SHRI YOGESHWAR COLLEGE, SAJJANGARH, BANSWARA	shreeyogeshwareducate @gmail.com	9828645434	
35	235	SHRINATH COLLEGE, GARHI	lokesh.rgg@gmail.com	02963-239857	9950599925
36	96	VIVEKANAND COLLEGE, GHATOL, BANSWARA	vivekanandghatol @rediffmail.com	02961-235028	9983430775
37	133	TEJSWANI GIRLS COLLEGE, PARTAPUR, BANSWARA	tejaswinigirlscollege2007 @gmail.com	02963-220100	
38	213	UTTAKARSH COLLEGE, SAJJANGARH, BANSWARA	uces123@gmail.com	9414741526	
39	102	VAGAD COLLEGE, DAVELA KOTDA, BANSWARA	vagadcollegekotd @yahoo.com	02963-238574	9414104134
40	164	VAGAD SHREE COLLEGE, BANSWARA	vagadshreecollege @yahoo.in	02962-214666	94147090115
41	232	VEER EAKLAYA COLLEGE, JOULANA, BANSWARA	veer.aklaya232 @rediffmail.com	02963-237094	9828035409
42	156	VIVEKANAND COLLEGE, ANJANA, BANSWARA	vivekanandcollege2007 @gmail.com	9571861233	9571861233
43		VIPUL COLLEGE CHOTA DUNGARA, SAJJANGARH, BANSWARA	vps5752@yahoo.com		9828705752



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)1
Chittorgarh					
44	215	A.K.C. COLLEGE, CHITTORGARH	collegakc@gmail.com	01472-512329	9414202332
45	197	ACHARYA SHREE NANESH SAMTA COLLEGE, DANTA, CHITTORGARH	asnsvt@yahoo.in	01476-287410	9887755002
46	20	DR.B.R. AMBEDKER GOVT. COLLEGE,NIMBAHERA	college.nimbahera @gmail.com	01477-221559	
47	7	GOVT.GIRLS COLLEGE, CHITTORGARH.	girlscollegedor@gmail.com	01472-251301	
48	259	GOVERNMENT COLLEGE KAPASAN, CHITTORGARH	drhmkothari@yahoo.co.in	9414620141	9414620141
49	134	M. D. COLLEGE, RASHMI, CHITTORGARH	dr-lalkar@gmail.com	01471-226151	9950438147
50	6	M.P. GOVT P.G. COLLEGE, CHITTORGARH	mppg_college@yahoo.com.in	01472-241041	
51	55	M.P. College, Rawatbhata	maharanapratapcollege @gmail.com	01475-234396	9414377185
52	121	MEERA MAHILA B.ED. COLLEGE, CHITTORGARH	meeracollege@gmail.com	01472-245120	9414396212
53	185	MEWAR COLLEGE OF T.T. , GANAGRAR	mctt.gangrar@gmail.com	01472-291148	9460179787
54	85	MEWAR GIRLS COLLEGE, CHITTORGARH	mgimt04@yahoo.com	01472-251101	9414396303
55	86	MEWAR GIRLS T.T. COLLEGE, CHITTORGARH	mgimt04@yhao.com	01472-251106	9414796788
56	168	R.N.T. COLLEGE OF B.ED. CHITTORGARH	khan.vaseem@yahoo.com	01472-251814	9828058477
57	160	R.N.T. COLLEGE OF TEACHERS & EDUCATION, KAPASAN	mtkapasan1@gmail.com	01472-230167	9829413527
58	61	R.N.T. LAW COLLEGE, CHITTORGARH	mtlawchittorgarh@gmail.com	01472-251198	9413783659
59	54	R.N.T. PG COLLEGE,KAPASAN, CHITTORGARH	mtkapasan1@yahoo.com	01476-231411	9828058477
60	144	RAJASTHAN DEGREE COLLEGE MANGALWAR, CHITTORGARH	rajasthandegreecollege mangalwad@yahoo.com	9468579314	9413813796
61	70	S P COLLEGE , BADI SADRI, CHITTORGARH	spcollegebsr70@gmail.com	9414158100	
62	124	SHRINATH T.T. COLLEGE, BARISADRI	rajeshhsahu@gmail.com	9414158100	
63		SANWARIYAJI GOVT. COLLEGE,MANDFIYA	ssgcm1997@gmail.com	01470-242700	
64	182	SHARDHALAYA MAHILA T.T. COLLEGE, RAWATBHATA	shradhalayamahila@yahoo.in	01475-213475	9252061385
65	92	SHRADHHALAYA JAN JATI T.T.	sdims.kank@gmail.com	01475-213475	9852061385



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)1
		COLLEGE, RAWATBHATA			
66	56	SRK COLLEGE, BEGUN	srkc.begun@gmail.com	01474-230877	9460710505
67	253	SUYASH COLLEGE, RASHMI, CHITTORGARH	idijaj.13@gmail.com	01471-226111	9414164608
68	139	VEDANT BHAIRV COLLEGE, BHADESAR, CHITTORGARH	vbcbhadesar@gmail.com	01470-243877	9166357011
69	80	VISION COLLEGE OF COMMERCE, Chittorgarh	vision_mgmt@yahoo.com	01472-249605	9414156609
DUNGARPUR					
70	202	ARTS COLLEGE, JASELA, CHITRI, DUNGARPUR	sundarpatidar15@gmail.com	8696727272	
71	8	Shri BHOGI LAL PANDIYA, GOVT.COLLEGE, DUNGARPUR	sbpgcd@gmail.com	02964-232523	
72	25	GOVT.COLLEGE SAGWARA, (DUNGARPUR)	govtcollegesagwara@yahoo.in	02966-252731	
73	105	GURUKUL ARTS COLLEGE, DUNGARPUR	gurukulartscollege@gmail.com	02964-234900	9950723262
74	263	GURUKUL COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	gurukulartscollege@gmail.com	9414723262	02964-231627
75	112	GURUKUL DEGREE COLLEGE, ASPUR, DUNGARPUR	gurukarmaasp@gmail.com	9783920987	9414326828
76	210	GYAYAK COLLEGE, SAGWARA	gyayaksagwara@gmail.com	02966-254611	250333
77	247	M.B. MAHILA COLLEGE, DUNGARPUR	mbmttc@gmail.com	02964-234438	9468741345
78	127	M.B. MAHILA T.T. COLLEGE, DUNGARPUR	mbmttc@gmail.com	02964-224438	9414419697
79	10	M.S.R.D. T.T. COLLEGE, DUNGARPUR	r mahant@yahoo.com	02964-232481	9414684734
80	223	MAHI COLLEGE OF EDUCATION, SABLA, DUNGARPUR	mahicollegesabla@gmail.com	9414164818	02967-276006
81	98	MAHILA COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	mmsagwara@gmail.com	02966-254666	9413830251
82	227	MANAS MAHAVIDYALAYA, CHITARI, BADGI, DUNGARPUR	mmsagwara@gmail.com	02966-230777	9783797907
83	114	PRAGATI COLLEGE, DUNGARPUR	pragaticollegedpr@gmail.com	02964-234479	9414352319
84	254	RAJ NOBLE DEGREE COLLEGE, DUNGARPUR	rajnobles_dungarpur @yahoo.com	9461576035	9460908711
85	84	SHIV NARAIN CHOUBISA COLLEGE, SIMALWARA, DUNGARPUR	sncdpr@gmail.com	02964-240572	9414352319
86	219	SIDDHI MAHAVIDYALAYA, SAGWARA, DUNGARPUR	siddhicollege@yahoo.com	02966-254136	9460612262
87	269	SUNRISE MAHILA COLLEGE,	sunrisegirlscollge2013	9602509615	



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)1
88	255	ASPUR, DUNGARPUR SWAMI VIVEKANAND COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	@gmail.com	02966-254774	9983128554
89	104	VAGVAR GIRLS COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	vagvargirlscollege@yahoo.in	02966-254909	9414725013
90	9	VEER KALI BAI GOVT, Girls COLLEGE, DUNGARPUR	vkcollegedpr@gmail.com	02964-232263	
91	246	WAGHAD GIRLS COLLEGE, BADGI, DUNGARPUR	vagargirlscollege@gmail.com	9983766054	9610825070
PRATAPGARH					
92	130	A.P.C. COLLEGE, PRATAPGARH	apccollege130@gmail.com	01478-221236	7864003308
93	266	GAYATRI MAHAVIDYALAYA, PIPALKHUNT, PRATAPGARH	gayatrycollege266@gmail.com	9460246578	9414101330
94	258	GOVERNMENT COLLEGE DHARIYAWAD, Pratapgarh	gcdp.13@gmail.com	9460581487	
95	21	GOVT. P.G.COLLEGE PRATAPGARH	principalgovtcollegepratapgarh@gmail.com	01478-222012	
96	237	HARISH ANJANA COLLEGE, CHHOTISADARI, PRATAPGARH	harishcollege@yahoo.in	01473-262755	9460712329
97	240	IDEALS INTERNATIONAL COLLEGE, DHARIYAWAD, PRATAPGARH	dr.ashakothari@yahoo.in	02950-281045	9460251639
98	248	J.R. GIRLS COLLEGE, PRATAPGARH	rbksprtd@gmail.com	01478-223268	9461725258
99	205	L.B.S. COLLEGE, PRATAPGARH	lbsinstitute.pgh@gmail.com	01478-220636	9617517978
100	23	MAHILA VIDHYA MANDIR T.T. COLLEGE, PRATAPGARH	mvmttc_PGH@rediffmail.com	01478-223077	9461024787
101	181	MODERN SAWALIYA T T COLLEGE, CHHOTI SADRI	omparmesh@gmail.com		9414857959
102	267	R. N. T. COLLEGE, PIPALKUNTH, PRATAPGARH		9414101330	
103	176	S. V. COLLEGE T.T., DHARIYAWAD	svttcollege@gmail.com	9928633855	9414353154
104	212	SAMANT BHADRA GIRLS COLLEGE, DHARIYAWAD, PRATAPGARH	himvand45@gmail.com	02950-270081	8764341728
105	95	SIDDHESHWAR VINAYAK ARTS COLLEGE, DHARIYAWAD, PRATAPGARH	svac.dwd@gmail.com		9928635855
106	265	TRINITY COLLEGE, DALOT, PRATAPGARH	trinitycollegedalot@yahoo.com	01479-240200	9414104028



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)
RAJSAMAND					
107	169	ANKUR B.ED. COLLEGE, NATHDWARA	theankur1984@gmail.com	02953-2710093	9414385519
108	118	B.N. GIRLS COLLEGE, RAJSAMAND	bngc.kankroli@gmail.com	02952-230707	9928579067
110	150	GOVT. COLLEGE,BHIM, DISTT. RAJSAMAND	govtcollege_bhim@yahoo.in	02951-250316	
111	47	GOVT.COLLEGE, AMET, Rajsamand	govtcollegeametrajsamand@gmail.com	02908-251030	
112	24	GOVT.COLLEGE RAJSAMAND	govtcollegerajsamand@yahoo.com	02952-221840	
113	18	GOVT.GIRLS COLLEGE, NATHDWARA	ggcnathdwara@gmail.com	02953-231602	
114	66	J.R. COLLEGE, RAILMAGRA, RAJSAMAND	principaljrc@gmail.com	02952-292166	9414343805
115	111	MAHABALIDANI PANNADHYAY MAHILA T T COLLEGE, DELWARA	mbpmttcdelwara@gmail.com	02953-289189	9414403034
116	110	MAHARSHI MAHILA T.T. COLLEGE, KANKROLI	mmttkankroli@gmail.com	02952-290162	9929826737
117	206	NATHDWARA INSTT. OF BIO.& MANAGEMENT, NATHDWARA, RAJSAMAND	principalnibm@gmail.com	02953-231078	8107675969
118	17	S.M.B.GOVT.COLLEGE, NATHDWARA, RAJSAMAND	govtcollegenathdwara@gmail.com	02953-234630	
119	161	SHREE DWARKADHEESH INSTITUTE OF MANAGEMENT & SC., KANKROLI, RAJSAMAND	sdims.kank@gmail.com	02952-230906	9460969069
109	172	SHRI DWARKADHEESH T.T. COLLEGE, KANKROLI	sdims.kank@gmail.com	02952-230907	9414859357
120	132	SHRI DATTATREYA COLLEGE, KANKROLI, RAJSAMAND	sdcollegeknk@gmail.com	02952-221960	9680262109
121	208	SHRINATHJI INSTT. OF BIO. & MANAGEMENT, NATHDWARA, RAJSAMAND	sitemanagement2006@gmail.com	02953-232346	9829292624
122	117	SAINT MEERA MAHILA T T COLLEGE,NATHDWARA	saintmeerasansthan@gmail.com	02953-234221	9252984040
SIROHI					
123	252	ADARSH COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES, ABU ROAD, SIROHI	adarsh_abr1998@yahoo.com	02974-225581	
124		GOVT. LAW COLLEGE,SIROHI		02972-222078	
125	48	GOVT.COLLEGE,SHIVGANJ, Sirohi	govt.collegesheoganj@gmail.com	02976-272559	



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)
126	27	GOVT.COLLEGE,SIROHI	collegesirohi@gmail.com	02972-221684	
127	28	GOVT.GIRLS COLLEGE SIROHI,	principalggcsirohi@gmail.com	02972-221275	
128	120	GURUKUL MAHILA T T COLLEGE, SIROHI	gmttcsirohi@rediff.com	02972-225032	9460543899
129	157	J R COLLEGE, ABU PARVAT, SIROHI	gayatrifaujdar4@gmail.com	02959-220039	8058082504
130	77	J.R. COLLEGE, PINDWARA, SIROHI	jrcollegepindwara77 @gmail.com		9462685731
131	189	RAJENDRA MUNI T.T. COLLEGE,	drmbdcollege@yahoo.in	02974-235379	9571425101
MOUNT ABU					
132	1	S.M.C.CHOUDHARY,GOVT. COLLEGE,ABU ROAD., SIROHI	smcc.govtcollege@gmail.com	02974-222252	
133	256	S.P. COLLEGE, SIROHI	liondrukrivedi@yahoo.com.in	02972-223241	9414153177
134	159	SANSKAR T T COLLEGE, SHEOGANJ, SIROHI	drijsharma2010@gmail.com		9413740431
135	91	SHRI TEJENDRA PRASAD T.T. COLLEGE, ABU ROAD	bedtpbed@yahoo.in	02974-228252	9828407243
136	109	SHRIMATI CHANDRAWAL GUPTA MAHILA T.T. COLLEGE, ABU ROAD	scgmc@rediffmail.com	02974-225369	9413121952
137	187	SHRINATH T.T. COLLEGE, ABU ROAD	shreenatheducare @yahoo.com	02974-228482	9829246999
138	256	SMT. CHANDRAWAL GUPTA COLLEGE, REODAR, SIROHI	shailendramaurya78 @gmail.com	02974-225369	9413121952
139	218	ST. MEERA COLLEGE, SHEOGANJ, SIROHI	santmeeracollege @rediff.com	02976-272717	9829791775
140	200	ST. PAUL'S COLLEGE OF SCIENCE, ABU ROAD, SIROHI	narendra_abu23 @rediffmail.com	02974-225003	9928400300
141	250	UTTAM PRAKASH AGARWAL COLLEGE OF COMMERCE & ECO., ABU ROAD, SIROHI	rupesh.sujanani @upaca.edu.in	932237006	9828643678
UDAIPUR					
142	87	ADVENT INSTT.OF MANAGEMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY, (UG) UDAIPUR	aims@adventcollege.net	8058790655	9785707190
143	57	AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN UDAIPUR	info@aishwaryacollege.org	0294-2471930	9414166330
144	57	AISHWARYA T.T. COLLEGE, UDAIPUR	info@aishwaracollege.org	2471930	9001999452
145	216	ANEKANT COLLEGE, SALUMBER, UDAIPUR	anecol10@gmail.com	9414758344	02906-232957
146	216	ANEKANT SEWA SANSTHAN SALUMBER	anekantbed2008@gmail.com	02906-232957	9783272800
147	60	ANUSHAKA LAW COLLEGE,	info@anushakaacademy.com	5133351	9414263458



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)
148	178	UDAIPUR ARAVALI T.T. COLLEGE, EKLINGPURA	chandrakant_khushi@ynail.com	2650615	9414684138
149	135	ARAVALI T.T. COLLEGE, KALKA MATA ROAD, UDAIPUR	aravali2007@gmail.com	2471442	9413093939
150	107	ARIHANT MAHILA T.T. COLLEGE, DEBARI	arihant.mttc.udr@gmail.com	6454309	9252013009
151	177	ASIAN COLLEGE OF EDUCATION, BADI	sca_ca@yahoo.com	2452096	9414168501
152	32	B.N. C.P.E. UDAIPUR	bnpg1954@yahoo.in	2428469	9314495356
153	226	B.N. GIRLS COLLEGE, SALUMBER, UDAIPUR	bngirlssulumber@gmail.com	02906-232411	9414609913
154	59	B.N. LAW COLLEGE, UDAIPUR	bnlawcollege2003@gmail.com	2417211	9928400014
155	30	BHUPAL NOBLES' P. G. COLLEGE, UDAIPUR	bnpg1954@yahoo.in	2423948	9414825333
156	31	BHUPAL NOBLES' P. G. GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	bnpggcdr@gmail.com	2422934	9829069839
157	74	BUDDHA INSTITUTE , UDAIPUR	kk_689@yahoo.com	0294-3191330	9829782598
158	122	CHANKYA T.T. COLLEGE, UDAIPUR	info@cctudaipur.org	2803498	9413831852
159	193	CHUNDA MAHILA T T COLLEGE, UDAIPUR	cmttcudipur@rediffmail.com	2481720	9828097611
160	260	GOVERNMENT COLLEGE SARADA, UDAIPUR			
161	257	GOVERNMENT GIRLS COLLEGE KHERWARA, UDAIPUR	kherwaragovtcollege@yahoo.in	9414490933	
162	58	GOVT. COLLEGE,KHERWARA	kherwaragovtcollege@yahoo.in	02907-260278	
163	101	GOVT. COLLEGE,KOTRA	govtcollegekotra@gmail.com	02958-229612	
164	40	GOVT. MEERA GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	meeragirlscollege@gmail.com	0294-2524006	
165	51	GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE, GOGUNDA, UDAIPUR	gpjcgogunda@gmail.com	02959-280001	9414472914
166	37	GURUNANAK P. G. GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	gurunanak37.college @gmail.com	2426548	9413954751
167	26	H.R. GOVT. COLLEGE, SALUMBER	h.r.g.college@gmail.com	02906-232563	
168	192	HADI RANI T.T. COLLEGE, SHOBHAGPURA	hrttcudaipur@gmail.com	2440608	9828515573
169	147	INDO AMERICAN INSTITUTE, VALICHA	indoamericaninstitute @gmail.com		9414934042
170	249	INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & TOURISM , UDAIPUR	ihmudr@gmail.com	0294-5120808	9414245214
171	145	J R COLLEGE RISHABHDEO, UDAIPUR	jrsrishbhdeo@gmail.com	02907-292024	9829443371



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)1
172	126	J. R. SHARMA GIRLS T.T. COLLEGE, JHADOL	jhadolrbs1@rediffmail.com	02959-270026	9414313194
173	229	J.R. SHARMA COLLEGE, PHALASIA, UDAIPUR	rjannawat2010@gmail.com	02959-220355	9414829525
174	46	J.R. SHARMA PG COLLEGE, JHADOL, UDAIPUR	j.r.sharma.jhadol@gmail.com	02959-270025	9784295797
175	166	JYOTI T.T. COLLEGE, FATEHPURA, UDAIPUR	iyotigroups@yahoo.com	2450640	9414562404
176	146	JYOTIBA PHULE T.T. COLLEGE, MANWAKHEDA, UDAIPUR	jbpcollege@yahoo.com	2491560	9214692569
177	148	KALA ASHRAM T.T. COLLEGE, UDAIPUR	nupurdik@yahoo.com	2523456	9352995006
178	214	KAVYANJALI GIRLS COLLEGE, CHAWAND, UDAIPUR	rkssansthana@yahoo.com	02905-260360	9928456341
179	141	KRISHNA COLLEGE OF PHY. EDU., MAVLI, UDAIPUR	rajfootball23@gmail.com	9414158100	
180	167	KRISHNA MAHILA T.T. COLLEGE, SISARAMA, UDAIPUR	mail@kmttcollege.com	2811028	9636482088
181	73	M.R. COLLEGE, FATEHNAGAR, UDAIPUR	mrcollegefnr@gmail.com	02955-220813	9251369222
182	175	MAA VAISHNOVDEVI T.T. COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR	vasuumar@yahoo.in	2463277	9460030331
183	88	MAHARAJA COLLEGE OF ARTS & EDUCATION, UDAIPUR	maharajabedcollege@gmail.com	2491534	9461384751
184	173	MAHARANI GIRLS B.ED. COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	rajeshmantri0@gmail.com	2418469	9414934786
185	168	MAHARISHI INSTITUTE OF EDUCATION, SUNDERWAS, UDAIPUR	mier.udr@gmail.com	2458290	9461384751
186	137	MAHAVEER T.T. COLLEGE, UDAIPUR	mahaveerjvsansthana@yahoo.com	2465838	94141688380
187	152	MANTRAM T.T. COLLEGE, NAI, UDAIPUR	mantramedu@yahoo.co.in	2423599	8559906901
188	184	MATHESHWARI T.T. COLLEGE, SURAJPOLE, UDAIPUR	rejjudaipur@gmail.com	2418295	8902044424
189	41	NIMBARK T.T. COLLEGE, UDAIPUR	nimbarkprincipal@yahoo.com	2417732	9460558991
190	42	PACIFIC COLLEGE OF COMMERCE, UDAIPUR	contact@pacificcollegeudaipur.com	2461556	9414168690
191		Pratap Shodh Sansthan, UDAIPUR		0294-217230	9772080222
192	196	PREMSHANTI NIKETAN T T COLLEGE, UDAIPUR	psnttc@gmail.com	2466651	9460253234
193	12	PT. UDAI JAIN COLLEGE, KANOD, UDAIPUR	pujc1976@gmail.com	02957-233236	9414683080
194	43	R.M.T.T. COLLEGE, UDAIPUR	vajprabha@yahoo.com	2491864	9414157007
195	203	R.M.V. GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	principalrmv2011@gmail.com		9983891166
196	191	R.N.T. T.T. COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR		2800025	9414730682



S.No	C_Code	College_Name	Email	Tel.(office)	Tel.(Res)1
197	62	R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER, UDAIPUR	rpgirlscollege948@yahoo.in	02957-250807	9460729936
198	53	R.P. GIRLS Phy. Edu COLLEGE, BHINDER	rpgirlscollege948@yahoo.in	02957-250239	9351166401
199		R.P T.T College, Bhindar		02957-250239	
200	179	RAJDEV T.T. COLLEGE, SISARMA, UDAIPUR	suranarajni@gmail.com	2430891	9460402280
201	183	RAM KISHAN T.T. COLLEGE, MANWAKHEDA, UDAIPUR	rktcollege@yahoo.com	2470384	9214960259
202	149	S S COLLEGE OF EDUCATION, UMARDA, UDAIPUR	drdharphisharma12@gmail.com	2650019	9829046988
203	13	S.B.S. CHORDIA J.V.P. T.T. COLLEGE, KANORE	abhayksharma14@yahoo.com	02957-233237	9413979876
204	171	S.S COLLEGE OF EDUCATION SWAMI SHARANAM SANSTHAN, UMARDA, UDAIPUR	sscollegeofeducation @gmail.com	2650611	9782400202
205	138	SAGAR B ED COLLEGE, KHERWARA	support@sagarkherwara.com	02907-260256	9413886567
206	163	SANJIVANI T.T. COLLEGE, KAYA, UDAIPUR	dr.nareshkumarपालीवाल @yahoo.in	2641674	9530084955
207	153	SCHOLAR ARENA GIRLS T.T. COLLEGE, SAVINA, UDAIPUR	dr.lokeshjain@gmail.com	2481775	9829009390
208	125	SHREENATH MAHILA T.T. COLLEGE, MAVLI, UDAIPUR	shreenathgirlscollege @gmail.com	9460878793	9352390298
209	174	SHRI RAM T.T. COLLEGE, UDAIPUR	srcte174@gmail.com	2412405	9413480476
210		SRAJAN RESOURCES LEARNING INSTITUTE, UDAIPUR		2415704	9828066789
211	225	ST. GREGORIOS COLLEGE, UDAIPUR	sgcollegeudaipur@gmail.com	2427594	9829160852
212	201	SUN COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES, UDAIPUR	info@suneducation.org	2417070	9414156570
213	90	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE, VALLBHANAGAR, UDAIPUR	dr.mljanwa@gmail.com	02957-240890	9414832244
214	123	THE NOBAL T.T. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	drameshchandranagda @gmail.com		9414785170
215	108	TT College, jhadol, UDAIPUR	jhadolttcollege@gmail.com	02959-220128	9414621502
216	162	V.B. GANDHIAN INSTITUTE, BADGOAN, UDAIPUR	sugunsharma@gmail.com	2411015	9414157015
217	45	V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR	vb_jase2@yahoo.co.in	2451323	9414263345
218	180	VIDHYA BHARTI T.T. COLLEGE, MAVLI	vasuumar@yahoo.in	9351663963	9983467021
219	44	VIDYA BHAWAN RURAL INSTITUTE, (VBRI), UDAIPUR	vbriudr@yahoo.com	2450403	8764270893
220	129	VIVEKANAND COLLEGE OF B.ED., DABOK, UDAIPUR	vivekanand_college_2006 @yahoo.com	6451477	9828056023
221	165	WISDOM T.T. COLLEGE, MULLA TALAI, UDAIPUR	siddiq4u18@yahoo.com	2430371	9413024600



**EPABX TELEPHONE FACILITY
NEW CAMPUS TELEPHONE NUMBER LIST**

EPABX LINE : 2471035, 2470918

EPABX WILL BE OPERATED ONLY DURING OFFICER HOURS

I	University Adm Block	No.			
				Accounts(Exam.)	3135
A	V-C Secretariat			Section Officer (Exam)	3136
	Vice-Chancellor	3100, 3102		Asstt. Registrar(Secy.)	3143
	Retiring Room	3101		Section Officer(Secy.)	3145
	PS to vice- Chancellor	3102		UG/PG Arts Faculty(Secy.)	3146
	Meeting Hall	3103		Examination Store	3138
B	P.G Studies			Section Officer(Exam)	3132
	Dean, P.G Studies	3110		Education Faculty(Exam)	3134
C	Registrar Office			Result Incharge	3285
	Registrar	3140	F	Library	
	Dy. Registrar(GAD)	3111		Dy. Librarian	3180
	Asstt. Registrar(Estt.)	3126		PA to Librarian	3184
	PA to Registrar	3120		Computer Room(Librarian)	3185
	General Section	3124		Periodical	3186
	Meeting Section	3127		Book Issue Counter	3189
	Recruitment Section	3128	G	MISCELLANEOUS	
	Computer Room	3122		Pool Officer	3121
	SC/ST Cell	3126/3300		EPABX Operator	3299
D	Comptroller Office			NTSA Officer(Central)	3191
	Comptroller	3150		NTSA Officer(Admin)	3192
	PA to Comptroller	3150		Sahayak Karmachary Union	3195
	Dy. Comptroller	3151	H	ESTATE OFFICE	
	Account Officer(Tender)	3175		Univ Engineer	3390
	Sr. Account Officer	3171		Estate Office	3393
	Internal Audit	3152	II	LAW COLLEGE	
	Section Officer(Planning)	3153		Dean	3400
	Section Officer(PF)	3165		PA To Dean	3400
	Section Officer(Bill)	3166		Head. Law Deptt	3410
	Section Officer(Comp.)	3168		Asstt. Registrar	3402
	Section Officer(Cash)	3178		Section Officer	3403
	Cheque Section	3169		Library	3404
	Pension Cell	3173		A.D.S.W	3408
	IQAC Cell	3123	III	UNIV COLLEGE OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES	
	Store	3177	A	Office	
E	Examination			Dean	3200
	Controller of Examination	3144		PA to Dean	3200
	Science & Comm. Faculty	3131		Chairman(Social Science	3232
	Asstt. Registrar(Degree)	3137		Chairman(Humanities)	3330
	Dy. Registrar(Exam)	3133			



Assoc. Dean	3210	Library	3204
Asstt. Registrar	3306	A.D.S.W	3240
Section Officer	3203	Physical Education	3380
Exam. Control Romm	3205	Director, Women Studies	3385
Store	3305	Adult Education	3386
B Departments		Information Bureau	3398
Head. Visual Arts	3370	Proctor	3260
Head, Economics	3210	Warden(Shikshak Sadan)	3291
Head, English	3220, 3237	Dr. G.S Kumpawat	
Language Lab. English	3225	D. Population Research Centre	
Head. Geography	3230	Director	3450
Head. Hindi	3202	P.R.C office	3453
Head. History	3240	E. Competitive Examination Centre	
Head. Library Science	3260	Dr.Sanjay Lodha	3292
Head. Music	3270	Dr. I.M. Kayamkhani	3201
Head, Philosophy	3280	F. Human Right Center	3301
Head. Political Science	3290	G Diploma Journalism	3255
Head. Jainology & Prakrit	3310	H. Vigyan Bhawan Campus	3281, 3282
Head, Psychology	3320	Internet	3283
Head, Sanskrit	3341	I. SC/ST Cell	
Head, Sociology	3372	Prof. L.C. Khatri	3300
Head, Urdu	3360	J. Computer Application Center	
Head, Pub. Admin	3193	Prof. Anju Kohli	3301
C. Miscellaneous			

M.B. CAMPUS TELEPHONE NUMBER LIST
EPABX LINE : 2413955, 2412009, 2414366, 2412715

IV University College of Science		C. Department of Chemistry	
A. Office		Head	2220
Dean	2200	Prof. A.K.Goswami	2225
PA to Dean	2200	Office	2223
Astt. Registrar	2202	Dr. Anita Mehta	2174
Office	2203, 2288	Polymer Science	2229
Library	2204	D. Department of Mathematics & Statistics	
Examination Room	2206	Head	2230
B. Department of Botany		Office	2233
Head	2210	Dr. V.L Mandowara	2234
Prof. S.D. Purohi	2284	Dr. G.S. Rathore	2236
Office	2213	Dr. Atul Tyagi	2237
Dr. Jaya Arora	2217	Dr. Rakeshwar Purohit	2235
Dr. K. Sharma	2214	Dr. S.K. Gandhi	2239
Dr. Sandhya Tyagi	2216		
Dr. Harish	2211		



E. Department of Physics		B. Department of Accountancy and Statistics	
Office	2243	Head	2321
Prof. K. Venugopalan	2242	Office	2322
Prof. R. Pandey	2244	Prof. G.Soral	2323
Prof. B.L Ahuja	2290	Sh. B.L. Heda	2324
Prof. S.N.A jaffary	2189	Dr. C.M. Hain	2326
Prof. N. Laxmi	2129	Dr. O.P. Jain	2326
Prof. M. Roy	2101	Computer Lab	2305
Dr. Sudhish Kumar	2245	C. Department of Business Administration	
Internet Center	2249	Head	2311
Store	2155	Office	2312
F. Department of Zoology		Prof. K.C. Sodani	2313
Prof. M. Bhatnagar	2248	Prof. D.S. Chundawat	2311
Library	2250	Prof. Vijay Shrimali	2315
Office	2253	Dr. Rajeshwari Narendran	2317
G. Department of Geology		Dr. Manju Baghmar	2319
Office	2413	Dr. B.L. Verma	2320
Prof. N.K. Chouhan	2410	D. Department of Banking & Business Economics	
Library	2414	Head	2331
H. General Facilities		Office	2332
NTSA	2209	Prof. I.V. Trivedi	2333
Estate Office	2281	Prof. Renu Jatana	2334
Games	2287	Prof. P.K. Singh	2335
Employment Office	2227	Prof. Mukesh Mathur	2336
Workshop	2111	Prof. Ashok Kumar Nagar	2337
Office Computer Center	2273	E. Self-Finance Course	
Girls Hostel Warden	2113, 2110	BBM	2318
V University college of Commerce & Management Studies		VI Guest House Office	
A. College Office		Manager	2175
Dean	2301	Office	2178
PA to Dean	2302	VII Girls Hostel	
Section Officer	2303	Warden	2110
Library(Astt. Lib)	2304, 2345	Hostel Office	2113
Office	2306	VIII Dean Student's Welfare	
Cash section	2307	DSW Office	2285
Store	2308		
Examination Control Room	2309		



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

समय सारणी परीक्षा - 2015

1. स्नातक कला में विषय गुप सहित प्रश्न पत्र क्रम संख्या या संक्षिप्त नाम दर्शाये गये हैं विषय **गुप इस प्रकार है:-**
 - G.1 अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, संगीत एवं सिंधी
 - G.2 भूगोल, राजस्थानी साहित्य एवं दर्शनशास्त्र
 - G.3 राजनीति विज्ञान, उर्दू साहित्य, चित्रकला एवं जनसंख्या अध्ययन
 - G.4 मनोविज्ञान, प्राकृत साहित्य, इतिहास, वन संसाधन एवं उनके उपयोग
 - G.5 लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, गृह विज्ञान, ग्रामीण विकास एवं विस्तार एवं फंक्शनल हिन्दी
 - G.6 समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, गणित
2. (i) परीक्षार्थियों की अधिकता के कारण प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष कला के स्वयंपाठी छात्रों के लिए कतिपय विषयों की परीक्षा के लिए अलग से समय सारणी घोषित की गई है इन समय-सारणियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन विषयों की परीक्षा स्वयंपाठी छात्रों की नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार देनी होगी।
(ii) स्नातक द्वितीय वर्ष कला स्वयंपाठी छात्रों के प्रथम वर्ष के बकाया प्रश्न पत्र (हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र व सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन) की परीक्षा प्रथम वर्ष स्वयंपाठी छात्रों की समय-सारणी के अनुसार आयोजित होगी, शेष बकाया विषयों की परीक्षा प्रथम वर्ष नियमित छात्रों की समय-सारणी के अनुसार आयोजित होगी।
(iii) तृतीय वर्ष कला के वे स्वयंपाठी परीक्षार्थी जिनका हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी व ऐलीमेन्ट्री कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन बकाया चल रहा है तो ऐसे छात्रों को इन विषयों की परीक्षा तृतीय वर्ष कला स्वयंपाठी छात्रों की समय सारणी के अनुसार परीक्षा देनी है, शेष बकाया विषयों की परीक्षा तृतीय वर्ष नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार देनी होगी साथ ही प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के सभी बकाया विषयों की परीक्षा प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार आयोजित होगी।
3. स्नातकोत्तर कला पूर्वाद्ध व उत्तराद्ध की समय-सारणी में विषय गुप व प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या दर्शाई गयी है जो इस प्रकार है :-

पूर्वाद्ध :-

- G.1 राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र
- G.2 भूगोल, लोक प्रशासन, हिन्दी
- G.3 समाज शास्त्र, संस्कृत
- G.4 चित्रकला, अंग्रेजी, इतिहास, संगीत, दर्शनशास्त्र, रूरल सोशियोलॉजी, प्राकृत साहित्य, मनोविज्ञान, राजस्थानी, उर्दू, गृह विज्ञान



उत्तरार्द्ध :-

- G.1 राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी ,भूगोल
G.2 हिन्दी, लोक प्रशासन, चित्रकला, अंग्रेजी, संगीत, दर्शनशास्त्र, रुरल सोशियोलॉजी, प्राकृत साहित्य, मनोविज्ञान, राजस्थानी, उर्दू गृह विज्ञान
G.3 इतिहास, संस्कृत, अर्थशास्त्र
4. स्नातक व स्नातकोत्तर वाणिज्य,विज्ञान, विधि, एवं बी.सी.ए. में विषयों या प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या या उनके संक्षिप्त नाम दर्शाये गये हैं। विस्तृत समय सारणी परीक्षा प्रारम्भ से 1 माह पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
 5. उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अलावा शेष सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से प्रारम्भ की जायेगी।
 6. स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की सभी प्रायोगिक परीक्षाएं 25 जनवरी 2015 से 19 फरवरी 2015 के मध्य संबधित महाविद्यालयों में आयोजित होगी।
 7. राज्य सरकार द्वारा किसी तिथि को अवकाश घोषित करने के अलावा अपरिहार्य कारणों से भी परीक्षा की इन तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक



**UNDER GRADUATE & POST GRADUATE EXAMINATION
PROGRAMME - 2015**

CLASS/YEAR	FACULTY U.G. ARTS (Regular/Ex)			U.G.ARTS (NON-COL)		
	IYr	IIYr.	IIIIYr	I Yr	II Yr	III Yr
TIME	11AM-2PM	3PM-6PM	7AM-10AM	11AM-2PM	3PM-6PM	7AM-10AM
DATE	Sub. Group & Paper Nu.			Sub. Name & Paper Nu.		Sub. Name & Paper Nu.
20-Feb-15				HIST.-I		HIST.-I
21-Feb-15					HIST.-I	
23-Feb-15				HIST.-II		HIST.-II
24-Feb-15					HIST.-I	
25-Feb-15				HINDI.-I		HINDI.-I
26-Feb-15					HINDI.-I	
27-Feb-15				HINDI.-II		HINDI.-II
28-Feb-15					HINDI.-II	
2-Mar-15				POL.- I		POL.- I
3-Mar-15					POL.-I	
9-Mar-15		G-1-P-I		SANS.- I		SANS.- I
10-Mar-15	G-1-P-I		G-1-P-I		SANS.-I	
11-Mar-15				SANS.- II		SANS.- II
12-Mar-15		G-1-P-II				
13-Mar-15	G-1-P-II		G-1-P-II		SANS.-II	
14-Mar-15				SOCIO.-I		SOCIO.-I
16-Mar-15		G-3-P-I		SOCIO.-II		
17-Mar-15	G-3-P-I		G-3-P-I		SOC.-I	
18-Mar-15		G-3-P-II		POL.- II		POL.- II
19-Mar-15	G-3-P-II		G-3-P-II		POL.-II	
20-Mar-15				PUB.-I		G.E.
21-Mar-15		G-5-P-I		PUB.-II		ECA
23-Mar-15	G-5-P-I		G-5-P-I		G.H.	
24-Mar-15		G-2-P-I				
25-Mar-15						SOCIO.-II
26-Mar-15	G-5-P-II		G-5-P-II		ECA	
27-Mar-15		G-5-P-II		EVS		
30-Mar-15	G-4-P-I		G-4-P-I		SOC.-II	
31-Mar-15		G-2-P-II				
1-Apr-15				G.E.		
4-Apr-15	G-4-P-II		G-4-P-II			
6-Apr-15		G-4-P-I				
7-Apr-15	G-2-P-I		G-6-P-I			
8-Apr-15						
9-Apr-15		G-4-P-I				
10-Apr-15	G-2-P-II		G-6-P-II			
11-Apr-15						
13-Apr-15	MATH-III	G.H.				
15-Apr-15	G.E.		GE			
16-Apr-15		ECA	MATHS-III			
17-Apr-15						
18-Apr-15	EVS		ECA			
20-Apr-15		G-6-P-I				
21-Apr-15	G-6-P-I		G-2-P-I			
22-Apr-15						
23-Apr-15		G-6-P-II				
24-Apr-15	G-6-P-II		G-2-P-II			
25-Apr-15						
27-Apr-15						
28-Apr-15		MATH-III				



P. G. ARTS

MA(P) MA(F)
7AM-10AM 11AM-2PM
Sub. Group & Paper Nu./Code

G-1-P-I
G-2-P-I
G-3-P-I
G-1-P-II
G-2-P-II
G-3-P-II
G-1-P-III
G-2-P-III
G-3-P-III
G-1-P-IV
G-2-P-IV
G-3-P-IV
G-1-P-V
G-2-P-V
G-3-P-V

Geo-I, Soc, ECA
Geo. PR-I

G-4-P-I
G-3-P-I
G-2-P-I
G-1-P-I
G-4-P-II
G-3-P-II
G-2-P-II
G-1-P-II
G-4-P-III
G-3-P-III
G-2-P-III

G-1-P-III
G-4-P-IV

G-3-P-IV
G-2-P-IV
G-1-P-IV
G-4-P-V
G-3-P-V
G-2-P-V
G-1-P-V

G-1-Pol.Sc/ Eco, G-2-Geog./Pub.Ad/Hindi G-3-Soc/ Sans G-4-Hist/
DP/ Eng/Mus/Phil/R.Soc/Prak/ Psy/Raj/Urdu/ H.Sc.G-1-Pol.Sc/
Soc /Geog, G-2- Hindi/Pub.Ad/DP/Eng/Mus /Phil/R.Soc/ Prak/
Psy/Raj/Urdu/H.Sc, G-3-Hist/Sans/ Eco